

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 5-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6-अपर मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 7-निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 8-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 20 अक्टूबर, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 का प्रख्यापन।

महोदय,

अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम अधिसूचित किया गया है, जिसके नियम-15(ड) में यह प्राविधानित है कि निकायों द्वारा उपरोक्त नियमावली के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुए उसके अनुरूप उपविधि बनाकर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। परन्तु प्रदेश के अधिकांश निकायों में उपरोक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुरूप समुचित प्रकार से उपविधि लागू नहीं किये जाने के कारण निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं स्वच्छता हेतु किये जाने वाले कार्यों के विषयगत आशानुरूप कार्य न होने के कारण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण प्रभावित होता है।

2- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं स्वच्छता को निकाय स्तर पर प्रभावी रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 114, 124, 420 तथा 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 को लागू किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्रभावी किया गया है।

3- अतएव उक्त नियमावली की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन, संचालन एवं स्वच्छता)

नियमावली, 2021 की प्रति।

भवदीय,  
20.10.2021

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या:-257/नौ-2021-162सा/2021

लखनऊ, दिनांक: 20 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

सा040नि0-70

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 114, 124, 420 और 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, अधिनियम, सन् 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण की सूचना के लिये और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इस प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियाँ व सुझाव, यदि कोई हों, लिखित रूप से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या-824, बापू भवन, लखनऊ 226001 को प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल ऐसी आपत्तियों व सुझावों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

**नियमावली**

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 114, 124, 420 तथा 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा उसके संचालन को विनियमित करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

**उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021**

**प्रस्तावना**

समुचित स्वच्छता बनाये रखने के उद्देश्य से अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण नगरीय स्थानीय निकायों का मूलभूत उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट को घटाने, उसका पुनर्उपयोग करने, पुनर्चक्रण करने और निस्तारण करने की क्रमबद्धता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपशिष्ट के स्रोत पर

ही पृथक्करण और उसके मूल उद्गम पर पृथक्करण के समय ही उसे प्रसंस्कृत किया जाना अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वाधिक लागत परक और व्यवहारिक तरीका है।

अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण एक वैज्ञानिक समस्या है और इसे प्रौद्योगिकीय समाधानों का प्रयोग करके वैज्ञानिक रूप से संचालित किया जाना चाहिए।

## अध्याय—एक

### सामान्य

#### 1—संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:—

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 कही जायेगी। यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(2) राज्य के किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उक्त संबंध में बनायी गयी नियमावली या दिशा-निर्देशों पर इस नियमावली का प्रतिकूलता की सीमा तक अध्यारोही प्रभाव होगा।

(3) नगरीय स्थानीय निकाय के किन्हीं नियमों के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली अभिभावी होगी।

#### 2—परिभाषाएँ:—

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में;

(क) “अभिकरण” का तात्पर्य उस इकाई/फर्म/कंपनी/स्वयं सेवी संस्था/सिविल सोसाइटी समूह से है, जिसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सौंपे गये कार्यों का दायित्व ग्रहण करने के लिए नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया गया है;

(ख) “वातजीवी कम्पोस्टीकरण” का तात्पर्य ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जीवी अपघटन/कार्बनिक विघटन से अंतर्वलित किसी नियंत्रित प्रक्रिया से है;

(ग) “अवातजीवी कम्पोस्टिंग” का तात्पर्य आक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ के सूक्ष्म जीवी अपघटन/विघटन से अंतर्वलित किसी नियंत्रित प्रक्रिया से है;

(घ) “प्राधिकार” का तात्पर्य, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी सुविधा के प्रचालक या नगरीय स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण को दी गयी अनुज्ञा से है;

(ङ) “जैव नाशित अपशिष्ट” का तात्पर्य किसी ऐसी कार्बनिक सामग्री से है, जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में नाशित किया जा सकता है;

(च) “जैविक मिथेनीकरण” का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जो मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमी अपघटन/विघटन को अपरिहार्य बनाता है;

(छ) “ब्रांड स्वामी” का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या कंपनी से है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेबल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है;

(ज) “मध्यवर्ती परिक्षेत्र” का तात्पर्य ऐसे विकास रहित परिक्षेत्र से है जिसे कि 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जायेगा। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा;

(झ) “थोक अपशिष्ट उत्सर्जक” का तात्पर्य ऐसे किसी स्वामी अधिभोगी या किसी अन्य व्यक्ति से है जो 100 कि०ग्रा० प्रतिदिन से अधिक के औसत अपशिष्ट उत्पादन दर वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम (नर्सिंग होमों), विद्यालय (विद्यालयों) कॉलेजों, विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालयों) अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावास (छात्रावासों), होटलों, वाणिज्यिक अधिष्ठान (अधिष्ठानों), पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिग्रहीत भवनों सहित भवनों/पलैटों, सामूहिक भवनों/पलैटों, आवास समितियों/कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेन्ट्स, होटलों, बाजारों, औद्योगिक सम्पत्तियों तथा शापिंग कॉम्प्लेक्स/मॉलों अथवा नगरीय स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों द्वारा चिन्हित तथा अधिसूचित अन्य अधिष्ठान संबंधी स्रोतों/परिसरों का प्रतिनिधित्व करता हो;

(ज) "जनगणना नगर" का तात्पर्य भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा परिभाषित नगरीय क्षेत्र से है;

(ट) "ज्वलनशील अपशिष्ट" का तात्पर्य प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्रियों को छोड़कर गैर-जैव अवक्रमणीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर पुनः उपयोज्य, गैर-परिसंकटमय टोस अपशिष्ट से है जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति कि०ग्रा० से न्यूनतम कैलोरीफिक मान हो;

(ठ) "कम्पोस्टीकरण" का तात्पर्य जैविक पदार्थ का सूक्ष्मीजीवी अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ड) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या फर्म से है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने हेतु सामग्री या श्रम प्रदान करने के लिए ठेका ग्रहण करता है;

(ढ) "सह-प्रसंस्करण" का तात्पर्य प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को दोनों प्रतिस्थापित या अनुपूरित करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरीफिक मूल्य वाले गैर जैव अपघटनीय और गैर-पुनर्चक्रणीय टोस अपशिष्ट के उपयोग से है;

(ण) "विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण" का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्ट का स्थानीयकृत प्रसंस्करण करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को प्राप्त करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े;

(त) "निपटान" का तात्पर्य भूगर्भ जल, भू-पृष्ठ जल, परिवेश वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए भूमि पर पश्च प्रसंस्कृत अवशिष्ट टोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा-करकट और भू-पृष्ठ नालों की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान करने से है;

(थ) "घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" का तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्सर्जित फेंके हुये पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियों सहित औषधियों, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियों, प्रयुक्त सुइयों तथा सिरिन्ज और संदूषित पेट्टियों आदि से है;

(द) "द्वार-द्वार संग्रहण" का तात्पर्य घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों से द्वार तक जाकर टोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कॉम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल या प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से टोस अपशिष्ट का संग्रहण करना सम्मिलित है;

(ध) "शुष्क अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्ट और निष्क्रिय गली के कूड़ा-करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाह्य अपशिष्ट, और स्वास्थ्यकर नैपकीन, डाइपर आदि अपशिष्ट भी सम्मिलित है;

(न) "क्षेपण स्थल" का तात्पर्य किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा टोस अपशिष्ट का निपटान बिना सेनेटरी लैंडफिल के सिद्धान्त का पालन किये उसका ढेर लगाने के लिये उपयोग की गयी भूमि से है;

(प) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व" का तात्पर्य पैकेजिंग उत्पादों जैसे कि प्लास्टिक, टिन, काँच और सिकुड़े हुये बक्सों इत्यादि के अस्तित्व में रहने के अंत तक पर्यावरणीय रूप से समुचित प्रबंधन के लिए किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व से है;

(फ) "सुविधा" का तात्पर्य ऐसे किसी अधिष्ठान से है जिसमें टोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं अर्थात् पृथक्करण पुनः प्राप्ति, भण्डारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान किये जाते हैं;

(ब) "संचालन" के अन्तर्गत टोस अपशिष्टों की छटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनः प्राप्ति, संग्रहण, गौड़ भंडारण, काटना, गट्टा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित है;

(भ) "भस्मीकरण" का तात्पर्य ऐसी अभियांत्रिकीकृत प्रक्रिया से है जिसमें उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से अपघटित करने के लिए टोस अपशिष्ट को जलाया जाना या उसका दहन किया जाना सम्मिलित है;

(म) "अक्रिय" का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो जैव अपघटनीय, पुनः चक्रणीय या दाह्य न हो, और गली की सफाई तथा भू-पृष्ठीय नालियों से निकाली गयी धूल या गाद से है;

(य) "अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक" के अन्तर्गत व्यक्ति, समूह, ऐसे अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित हैं जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विक्रय और खरीद में लगे हों;

(क क) "निक्षालितक" का तात्पर्य ऐसा द्रव से है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यमसे रिसता है और जिसमें उसमें घुली हुई या स्थगित सामग्री का सत्व है;

(क ख) "सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा" का तात्पर्य ऐसी सुविधा से है जहाँ गैर कम्पोस्टीय ठोस अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय या किसी अन्य इकाई या व्यक्ति या अभिकरण, जो उनमें से किसी के

द्वारा प्राधिकृत हो, द्वारा अपशिष्ट के प्रसंस्करण या निपटान हेतु प्रदत्त किये जाने या उठाये जाने से पूर्व अपशिष्ट उत्पादकों, अनौपचारिक पुनः चक्रण करने वाले प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर या उक्त प्रयोजनार्थ नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण द्वारा लगाये गये किसी अन्य कार्यबल द्वारा विभिन्न अपशिष्ट संघटकों से पुनर्चक्रित अपशिष्टों का पृथक्करण करने, छंटाई करने तथा पुनर्प्राप्ति करने को सुगम बनाने के लिये अस्थायी रूप से भण्डारित किया जा सकता है;

(क ग) "नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) के अधीन स्थापित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय से है;

(क घ) "जैव अनाशित अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट से है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित नहीं किया जा सकता है;

(क ङ) "अधिभोगी" में निम्नलिखित सम्मिलित है"

(क) ऐसे किसी प्रयोजन जो भी हो, के लिये किसी भूमि या भवन या उसके आंशिक भाग का अधिभोग करते हुए या अन्यथा रूप में उसका उपयोग करते हुये ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी भूमि या भवन, जिसके सम्बन्ध में किराया संदत्त हो या संदेय हो, का किराया या आंशिक किराया तत्समय स्वामी को संदत्त कर रहा हो या संदाय किये जाने का दायी हो;

(ख) किसी भूमि या भवन का अधिभोगी स्वामी, जो उक्त भूमि या भवन का अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(ग) किसी भूमि या भवन का किरायामुक्त किरायेदार;

(घ) किसी भूमि या भवन का अधिभोगी लाईसेंसधारी, और;

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अधिभोग के निमित्त स्वामी को क्षतियों का भुगतान करने के लिये दायी हो;

(च) नगरीय स्थानीय निकाय की भौगोलिक सीमा की अधिकारिता के भीतर अवस्थित किसी अधिष्ठान/कार्यालय का प्रभारी;

(क च) "प्रचालक" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या इकाई से है जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संचालन, संग्रहण, छंटाई, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण तथा निपटान की सुविधा को नियंत्रित करता है या प्रचालित करता है और इसमें अपने क्षेत्र में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन हेतु स्थानीय निकाय/नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई अन्य अभिकरण और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य इकाई या अभिकरण सम्मिलित है;

(क छ) "प्राथमिक संग्रहण" का तात्पर्य पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्सर्जन के स्रोत, जिसके अन्तर्गत घर, दुकाने, कार्यालय और कोई अन्य गैर-आवासीय परिसर सम्मिलित हैं, से या किसी संग्रहण स्थल से या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने, उसे उठाने या हटाने से है;

(क ज) "प्रसंस्कृत करना" का तात्पर्य ऐसी किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग करने, पुनः चक्रित करने या नवीन उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए प्रसंस्कृत किये जाने हेतु निरूपित किया जाता है;

(क झ) "पुनर्चक्रण" का तात्पर्य पृथक्कृत जैव-अनाशित ठोस अपशिष्ट को ऐसे नये उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पृथक्कृत जैव अनाशित ठोस अपशिष्ट को कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं;

(क ज) "पुनर्विकास" का तात्पर्य जहाँ विद्यमान भवन और अवसंरचनाएं जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं वहाँ उसी स्थल पर पुराने आवासीय या वाणिज्यिक भवनों के पुनर्निर्माण से है;

(क ट) "कचरा से व्युत्पन्न ईंधन" का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरोनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा गुटिकाओं या रोएँ के कप में उत्पादित ज्वलनशील अपशिष्ट प्रभाज से व्युत्पन्न ईंधन से है;

(क ठ) "अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट" में ऐसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्राप्त अपशिष्ट और क्षिप्तक सम्मिलित है, जो पुनर्चक्रण या अग्रेतर प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

(क ड) "सेनेटरी लैंडफिल" का तात्पर्य भू-गर्भ जल, भू-पृष्ठ जल या पलायक वात धूल, वात वाहित कूड़ा-कचरा, दुग्ध, अग्नि परिसंकट, पशुओं - खतरा, पक्षी खतरा, पीड़क जन्तु, कृंतक, ग्री नहाउस गैस उत्सर्जन, सतत् जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपायों से अभिकल्पित सुविधा में भूमि पर अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट तथा अक्रिय अपशिष्ट के अन्तिम एवं सुरक्षित निपटान से है;

(क ढ) "सेनेटरी अपशिष्ट" का तात्पर्य प्रयुक्त डाइपर, सेनेटरी तौलिये या नैपकीन, टैम्पोन, कंडोम, अनाचार चादरों और किसी अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बने अपशिष्ट से है;

(क ण) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची से है;

(क त) "द्वितीयक भंडारण" का तात्पर्य प्रसंस्करण या निपटान सुविधा स्थल तक अपशिष्ट को आगे परिवहन के लिए द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण डिपों या एमआरएफ या आधानों में संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट के अस्थायी संरोधन से है;

(क थ) "पृथक्करण" का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटनों अर्थात् जैव नाशित अपशिष्ट, जिसके अन्तर्गत कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट जैव अनाशित अपशिष्ट है, जिसमें पुनः-चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-चक्रण योग्य, दाह्य अपशिष्ट, मल अपशिष्ट और गैर-चक्रण योग्य अक्रिय अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट सम्मिलित है, की छंटाई और पृथक भंडारण से है;

(क द) "सेवा-प्रदाता" का तात्पर्य जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि जैसी लोक उपयोगिता की सेवायें प्रदान करने वाले प्राधिकरण से है;

(क ध) "ठोस अपशिष्ट" का तात्पर्य नगरीय स्थानीय निकाय के अधीन उत्सर्जित ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट, मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, भू-पृष्ठ की नालियों से हटाई गयी या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट से है;

(क न) "छंटाई करना" का तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनः चक्रणयोग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि जो पुनः चक्रण की सुविधा हेतु उपयुक्त हो, को पृथक करने से है और कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य तथा जोखिम पूर्ण अपशिष्ट को पुनः चक्रण सुविधा की श्रेणी में पृथक करने से है;

(क प) "स्थिरीकरण" का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्टों का ऐसी स्थायी अवस्था में जैवीयअपघटन से है, जहाँ वह कोई निक्षालन या बदबू उत्पन्न न करता हो और कृषि भूमि, भू कटाव नियन्त्रणतथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त हो;

(क फ) "पथ विक्रेता" का तात्पर्य किसी पथ, गली, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खड्गजा, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना से या स्थान-स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, मॉल, सौदा, खाद्य-सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु का विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति से है जिसके अंतर्गत फेरीवाला, टेलेवाला, खोमचा वाला तथा ऐसे

सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, और अपने व्याकरणिक रूप भेदों सहित शब्द "पथ विक्रय" सम्मिलित हैं;

(क ब) "अंतरण स्थल" का तात्पर्य ढके हुए यानों या आधानों में भारी मात्रा में संग्रहण एवं परिवहन कृत सुविधा से अपशिष्ट प्रसंस्करण और या निपटान सुविधा स्थलों तक ले जाने हेतु टोस अपशिष्ट प्राप्त करने के लिये सृजित सुविधा स्थल से है;

(क भ) "परिवहन" का तात्पर्य विशेष रूप से अभिकल्पित तथा ढकी हुई परिवहन प्रणाली के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त रीति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपचारित, आंशिक उपचारित या अनुपचारित टोस अपशिष्ट को ले जाने वाले वाहन से है, जिससे कि बदबू, कूड़ा-कचरा तथा न देखने योग्य स्थितियों और रोगवाहकों, पशुओं तथा पक्षियों तक अधिगम्यता को रोका जा सके;

(क म) "उपचार" का तात्पर्य किसी अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या उसकी संविरचना का उपान्तरण करने हेतु अभिकल्पित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया से है जिससे कि नुकसान पहुँचाने की उसकी मात्रा तथा क्षमता को कम किया जा सके;

(क य) "प्रयोक्ता शुल्क" का तात्पर्य टोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने हेतु अपशिष्ट उत्सर्जक पर अधिरोपित शुल्क से है;

(ख क) "कृमि कम्पोस्ट बनाना" का तात्पर्य केंचुओं का प्रयोग करते हुए जैव नाशित अपशिष्ट को कम्पोस्ट में संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया से है;

(ख ख) "अपशिष्ट उत्सर्जक" का तात्पर्य नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर नगरपालिका टोस अपशिष्ट को उत्सर्जित करने वाले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से है और इसमें

टोस अपशिष्ट उत्सर्जित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय अधिष्ठान राज्य या केन्द्रीय अधिष्ठान सम्मिलित हैं;

(ख ग) "अपशिष्ट की क्रमबद्धता" का तात्पर्य ऐसे प्राथमिकता क्रम से है जिस क्रम में टोस अपशिष्ट का प्रबंधन, निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण सर्वाधिक अधिमानित विकल्प और भू-भरण निपटान न्यूनतम अधिमानित विकल्प होगा;

(ख घ) "अपशिष्ट उत्थापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अपशिष्ट उत्सर्जन स्रोत, गलियों, डिब्बों, सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाओं, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से पुनर्प्रयोज्य तथा पुनः चक्रण योग्य टोस अपशिष्ट के संग्रहण और उसकी प्राप्ति से पुनः चक्रणों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यमवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लगे हुए हैं;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली जैसे-टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 और ई-कचरा प्रबन्धन नियम, 2016 आदि में उसके लिये समनुदेशित है।

## अध्याय दो

### पणधारियों के कर्तव्य

#### क-पृथक्करण

#### 3-अपशिष्ट उत्सर्जकों के कर्तव्य

(क) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों सहित प्रत्येक अपशिष्ट उत्सर्जक अपने द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट को तीन श्रेणियों अर्थात् जैव नाशित, जैव अनाशित (पुनर्चक्रणीय) और परिसंकटमय (घरेलू या वाणिज्यिक) अपशिष्टों (गैरपुनर्चक्रणीय) में पृथक्कृत करेंगे और यथोचित कचरे के डिब्बों में भंडारित करेंगे और समय-समय पर यथा अधिसूचित निदेशानुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट उत्थापकों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेंगे;

(ख) उपयोग किये गये मल अपशिष्ट जैसे डायपर्सों और सेनेटरी पैडों आदि को इन उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी थैलियों में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा अनुदेशित उपयुक्त वेष्टन (रैपर) सामग्री में सुरक्षा पूर्वक वेष्टित करेगा और उसे शुष्क अपशिष्ट या जैव अनाशित अपशिष्ट हेतु तात्पर्यित कचरे के डिब्बे में डालेगा;

(ग) समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, बाजार संघों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पृथक्कृत अपशिष्टों का भण्डान स्वयं के परिसर में समुचित स्थलों (आन साइट) पर करना होगा;

(घ) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, जैसा और जब उत्सर्जित हों, निजी परिसर में पृथक रूप से भण्डारित किये जायेंगे और नगरीय स्थानीय निकाय उनका निस्तारण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार करेगा;

(ङ) परिसरों से उत्सर्जित उद्यान-कृषि अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट, निजी परिसरों में पृथक रूप से भंडारित किये जायेंगे और समय-समय पर नगरीय स्थानीय निकाय के निदेशों के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे और जैव नाशित कचरे के रूप में भंडारित किये जायेंगे और उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निकटस्थ कम्पोस्टीकरण संयंत्रों में ले जाया जायेगा;

(च) प्रत्येक पथ-विक्रता अपने क्रिया-कलाप के प्रक्रम के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट यथा खाद्य अपशिष्ट, अपघटनीय (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, कैनो, रैपरों, शेष बचे खाद्य पदार्थ, सब्जियों, फलों इत्यादि का भंडारण करने के लिये अपेक्षानुसार दो अथवा तीन पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो, या पात्र या यान में डालेगा;

(छ) समस्त थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों, आवासीय कल्याण संघों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल वाली संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकाय की भागीदारी में नियमावली में यथा विहित रूप में उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर किये जाने वाले अपशिष्ट पृथक्करण को सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण को पृथक रूप में सुगम बनायेंगे और पुनर्चक्रणीय सामग्री को या तो प्राधिकृत अपशिष्ट उत्पादकगण को या प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपेंगे; जैव नाशित अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचारीकरण तथा निस्तारण, कम्पोस्टीकरण या जैव मिथेनीकरण के माध्यम से यथा सम्भव परिसर के भीतर किया जायेगा;

(ज) अपशिष्ट उत्सर्जक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैव अनाशित अपशिष्ट यथा पैकेट, खाद्य-पदार्थ के पात्र, डिब्बे, बोतल, टेट्रापैक, पेटियाँ, गत्ते, कागज के कप प्लेट और अन्य निपटान योग्य वस्तुएं साफ किये जायं, सुखाये जाये और तब उन्हें प्रभावी पुनर्चक्रण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय को सौंप दिये जायं;

(झ) अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से प्रसंस्करण सुविधा तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला के किसी व्यक्ति द्वारा ठोस अपशिष्ट के साथ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा औद्योगिक अपशिष्ट का मिश्रण नहीं किया जायेगा;

(ञ) अवशिष्ट अपशिष्ट को अपशिष्ट संग्राहक, अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अभिकरण को दिया जायेगा;

(ट) विक्रेताओं दुकानों वाणिज्यिक अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2018, के अधीन प्रतिषिद्ध डिस्पोजेबल सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए;

4-कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वधशाला अभिहित वधशालाओं/गृहों/बाजारों से भिन्न अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्य-

अभिहित वधशालाओं और बाजार से भिन्न ऐसे किसी परिसर, जिसमें किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप कुक्कुट पालन, मत्स्य और वधशाला अपशिष्ट उत्सर्जित होता हो, के प्रत्येक स्वामी/अध्यासी को उसे पृथक रूप से बंद पात्र में अच्छी स्थिति में भण्डारित करेगा, और इसे दैनिक आधार पर विनिर्दिष्ट समय में इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये गये नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण यान को प्रदान करेगा। ऐसे अपशिष्ट का किसी सामुदायिक कचरा पात्र में जमा किया जाना प्रतिषिद्ध है और ऐसा करने पर जुर्माना अनुसूची (अनुसूची दो) में यथा सूचित जुर्माना लगाया जायेगा;



## 5-विक्रेताओं/फेरीवालों के कर्तव्य :-

समस्त विक्रेता/फेरीवाले, विक्रय स्थल पर ही अपने-अपने जैव नाशित अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट को पृथक-पृथक डिब्बे में रखेंगे। अपशिष्ट उत्सर्जक/विक्रेता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्यक रूप से पृथक्कृत (अलग-अलग) किये हुए अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण यान में अथवा निकटतम अभिहित सामुदायिक कचरे के डिब्बा में डालेगा। प्रत्येक विक्रेता/फेरीवाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपना आंगन स्वच्छ रखे। यदि स्वामी अथवा विक्रेता नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो जुर्माना, जुर्माना अनुसूची के अनुसार अधिरोपित किया जायेगा;

## 6-झंझा-जल नालियों/गलियों के सम्बन्ध में कर्तव्य-

(एक) ऐसे परिसर, जिसके पास झंझा-जल नाली/गली स्थित हो, का प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी, यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि इसमें कोई अपशिष्ट क्षेपित न किया जाय या फेंका न जाय और इसे साफ रख जाय। परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी का कर्तव्य होगा कि वह किसी ठोस अपशिष्ट को पदाधिकारी/प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित स्थानों पर और समयों में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपबंधित किये गये अपशिष्ट संग्रहण यान तक पृथक्कृत करके ले जाय। अधिभोगी परिसर के अन्दर की नालियों/गली को स्वच्छ रखेगा। परिसर के अन्दर की गली में अपशिष्ट के संचय होने की स्थिति में अधिभोगी उसकी सफाई करेगा, अपशिष्ट को पृथक्कृत करेगा और इसे नगरीय स्थानीय निकाय को सौंप देगा या इसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चिन्हित स्थल पर परिदत्त कर देगा;

(दो) जहाँ ऐसे परिसर के स्वामी/अधिभोगी भवन की गली की सफाई के लिये नगरीय स्थानीय निकाय की सेवाओं का उपभोग करना चाहें वहाँ उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन करना होगा और समय-समय पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित समुचित प्रभारों का भुगतान करना होगा। स्वामियों/अधिभोगियों का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे सफाई करने के प्रयोजनार्थ भवन गली तक पहुँचने का उपाय करें;

(तीन) नगरीय स्थानीय निकाय का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह नगर के झंझा जल नालियों/गलियों को अपशिष्ट तथा मलवहन से स्वच्छ रखे;

## 7-भण्डारा/लंगर आयोजकों के कर्तव्य:-

किसी भण्डारा या लंगर को आयोजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बों का उपबंध करना होगा;

## 8-सरकार की स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन संस्थाओं का उत्तरदायित्व:-

(1) सरकारी/अर्द्ध सरकारी, सांविधिक निकाय, अपने स्वामित्वाधीन या कब्जाधीन लोक परिसर के भीतर इस नियमावली को लागू करने हेतु उत्तरदायी होंगे;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग, अधिसूचना द्वारा, किसी भी श्रेणी के उत्सर्जनकर्ताओं से अपने ठोस अपशिष्ट को अतिरिक्त श्रेणियों में पृथक्कृत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(3) इस नियमावली की किसी बात से उत्सर्जनकर्ता के लिये लागू तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपशिष्ट को अतिरिक्त श्रेणियों में पृथक्कृत करने के किसी उत्सर्जनकर्ता के कर्तव्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

## (ख) प्राथमिक ठोस अपशिष्ट का भण्डारण

## 9-ठोस अपशिष्ट का भण्डारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(क) निजी सम्पत्ति के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी को अपने परिसर में पर्याप्त संख्या में कचरा आधानों को इस रूप में अनुरक्षित करना होगा कि कूड़ा-करकट सार्वजनिक पथ/मार्गों तथा पार्श्वमार्गों से दृष्टव्य न हो और न ही पशुओं के पहुँच में हो;

(ख) थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या किसी व्यक्तिगत उत्सर्जनकर्ता समूह, जिसमें बहु मंजिले भवन, अपार्टमेंट, गली में स्थित गृह, वासगृह, नगर क्षेत्र, होटल, पार्क मॉल, सरकारी या निजी आवासीय कालोनियाँ या समितियाँ, दुकानें, कार्यालय, वाणिज्यिक अधिष्ठान, विमानपत्तन, रेलवे, लोक उपयोगिताएं, उद्योग और घरेलू उद्योग आदि सम्मिलित हैं, को अपने परिसर के भीतर प्रत्येक श्रेणी के पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु समुचित आकार, रंग और विशिष्टता के पृथक-पृथक आधानों को उपलब्ध कराना होगा और उन्हें अनुरक्षित करना होगा;

(ग) स्थायी या अस्थायी रूप में स्थित फेरीवालों, विक्रेताओं, छतरी स्टाल, खाद्य पदार्थ स्टाल तथा खाद्य पदार्थ ट्रक वालों को अपने-अपने व्यवसाय स्थल पर किसी कूड़ा-कचरा से बचने के लिये शुष्क तथा आर्द्र अपशिष्ट हेतु कम से कम दो आधान उपलब्ध रखना होगा और अनुरक्षित रखना होगा;

10-विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट भण्डारण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

(क) खाद्य अपशिष्ट की अनुज्ञेय पैकेजिंग सामग्री से उन्हें पृथक्कृत किये जाने से पूर्व खाद्य पदार्थों को खाली कर लिया जायेगा। अग्रतर यह कि गैर प्लास्टिक नाशित अपशिष्ट (जिसमें खाद्य अपशिष्ट सम्मिलित हैं) का निस्तारण प्रतिषिद्ध प्लास्टिक थैलों में नहीं किया जायेगा और इसका निस्तारण गैर प्लास्टिक नाशित अपशिष्ट के निस्तारणार्थ विनिर्दिष्ट रूप से विनिर्मित उपयुक्त कूड़ा-कचरा थैलियों/स्तर युक्त थैलियों में किया जायेगा;

(ख) समस्त सेनेटरी अपशिष्ट, जैसा और जब उत्सर्जित किये जायें, सुरक्षित रूप से नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अनुदेशित या ऐसे उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपबंधित किये गये समाचार पत्रों या उपयुक्त लपेटने वाली वस्तुओं या थैलों में विशिष्ट रूप से चिन्हांकित थैलों में (उदाहरणार्थ लाल 'X' चिन्ह से या डाइपरों/नैपकिन हेतु मानकीकृत लेविलों से) किसी सम्भावित रिसाव या बहाव को रोकने हेतु लपेटे जायेंगे और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित रीति से शुष्कअपशिष्ट हेतु तात्पर्यित आधान में रखे जायेंगे;

(ग) घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में:-

(एक) समस्त घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित पृथक थैलों/आधानों में विहित रूप में भण्डारित तथा लेबिलकृत किये जायेंगे;

(दो) ऐसे समस्त नुकीले अपशिष्ट जो घरेलू परिसंकटमय अपशिष्टों के अंग हों, किसी पृथक नुकीले अपशिष्ट वाले पात्र में भण्डारित किये जायेंगे, जैसाकि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(घ) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संबंध में:-समस्त उत्सर्जनकर्ताओं को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन विहित और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित रीति से अपने परिसर के भीतर पृथक्कृत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को परिदान एवं संग्रहण हेतु सुविधाजनक अवस्थान पर भण्डारित करना होगा;

(ङ) उद्यान एवं उद्यानकृषि थोक अपशिष्ट के संबंध में:- ऐसे समस्त अपशिष्ट, उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा अपने-अपने परिसर/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट उद्यान स्थलों/अवस्थानों के भीतर बिखरने के पर्याप्त संरक्षण और नगरीय स्थानीय निकाय या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भण्डारण, परिदान तथा संग्रहण किये जाने की सुविधा सहित बड़े-बड़े थैलों, डिब्बों या ढरे ढों में भण्डारित किये जायेंगे;

#### ग-द्वितीयक ठोस अपशिष्ट भण्डारण

11-द्वितीयक भण्डारण स्थलों पर ठोस अपशिष्ट का भण्डारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) दहलीजों से संग्रहीत पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट भण्डारण डिपो, सामुदायिक भण्डारण डिब्बों या स्थिर या गतिशील अन्तरण केन्द्रों अथवा नगरीय स्थानीय निकाय और/या द्वितीयक अपशिष्ट भण्डारण अभिकर्ता द्वारा विहित अवस्थानों तक ले जाये जायेंगे।

(2) किसी नियत क्षेत्र में अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा तथा जनसंख्या घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये भण्डारण सुविधाएं सृजित एवं स्थापित की जायेंगी। ऐसे द्वितीयक भण्डारण स्थलों पर विनिर्दिष्ट रंगों के ढके हुये पात्र निम्नलिखित के पृथक-पृथक भण्डारण के लिये होंगे-

क- जैव नाशित या आर्द्र अपशिष्ट

ख- जैव अनाशित या शुष्क अपशिष्ट

ग- घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट

(3) जैव अनाशित अपशिष्ट हेतु शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्र/सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधायें/पुनर्चक्रण केन्द्र-

क-पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट की छंटाई को विनियमित करने तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से नगरीय स्थानीय निकाय को उतने शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों/एम0आर0एफ0 या पुनर्चक्रण केन्द्रों का उपबंध करना होगा जैसा कि सम्भव एवं अपेक्षित हों। पथ/द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली से और वाणिज्यिक अधिष्ठानों से शुष्क (जैव अनाशित) अपशिष्ट, इन अभिहित केन्द्रों तक अन्तरित किये जायेंगे। इन अभिहित केन्द्रों को केवल शुष्क अपशिष्ट ग्रहण करना होगा। ऐसे केन्द्र चहारदीवारी/बंद स्थान में इस रूप में होंगे कि अपशिष्ट निकट से गुजरने वाले लोगों को दृष्टव्य न हो।

ख-इन शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों को रजिस्ट्रीकृत/लाईसेंस प्राप्त पुनर्चक्रणकर्ताओं या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत/नियुक्त किन्हीं अन्य अभिकर्ताओं द्वारा संचालित किया जायेगा।

ग-परिवारों के लिये यह भी उपबंध होगा कि वे अपना पुनर्चक्रणीय शुष्क अपशिष्ट सीधे नगरीय स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं और/या प्राधिकृत अपशिष्ट व्यवहारियों को इन पुनर्चक्रण केन्द्रों पर पूर्व अधिसूचित दरों, पर जमा करें या विक्रीत करें। प्राधिकृत अभिकर्ताओं और/या प्राधिकृत अपशिष्ट व्यवहारियों को द्वितीयक बाजार या पुनर्चक्रण इकाईयों को एस0डब्ल्यू0एम0 नियमावली के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रण अपशिष्ट का निस्तारण या विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) विनिर्दिष्ट घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट जमा केन्द्र-

क-घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का संग्रहण करने हेतु विनिर्दिष्ट घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवस्थानों पर निक्षेप केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। ऐसे सुविधा स्थलों का, सीधे परिसंकटमय अपशिष्ट को निक्षेपित करने हेतु जनता को तत्संबंध में जागरूक करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता समस्त अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं से पृथक्कृत रीति से घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहीत कर सकता है;

ख-ऐसे अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा स्थल तक पृथक रूप से परिवहनकृत किये जायेंगे;

ग-मल अपशिष्ट, द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों और/या निक्षेप केन्द्रों पर घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट से पृथक्कृत किये जायेंगे और भस्मीरण के माध्यम से प्रसंस्कृत किये जायेंगे;

(5) द्वितीय भण्डारण सुविधा स्थलों की विशिष्टतायें-

क-नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता या पूर्ण वाह्य स्रोतित अभिकरण, ठोस अपशिष्ट भण्डारण सुविधा स्थलों को इस रीति से अनुरक्षित करेंगे कि उससे उसके चारों ओर अस्वास्थ्यकर तथा अस्वच्छ स्थिति उत्पन्न न हो;

ख-भण्डारण सुविधा स्थल सहज उपयोगिता के रूप में होंगे और वे इस प्रकार अभिकल्पित किये जायेंगे कि अपशिष्ट की सघनता को सुनिश्चित किया जा सके और यह कि भण्डारित अपशिष्ट खुले वातावरण में परिलक्षित न हो;

ग-द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थल, जनसंख्या घनत्व और क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के अनुसार नियत क्षेत्र या वार्ड में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्राओं को दृष्टिगत रखते हुए सृजित और स्थापित किये जायेंगे;

### अध्याय-तीन

#### क-ठोस अपशिष्ट संग्रहण और परिदान (डिलीवरी)

12-शुष्क तथा आर्द्र अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिदान (डिलीवरी) निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) द्वार-द्वार संग्रहण के मामले में-अधिसूचित समयों पर नगरीय स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर द्वार-द्वार पृथक्कृत आर्द्र (गीला) तथा शुष्क अपशिष्ट संग्रहण, यथा स्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय/या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा लागू किया जायेगा और अधिसूचित किया जायेगा;

(2) स्थल-स्थल पर संग्रहण के मामले में- यदि द्वार-द्वार तक सेवायें विनिर्दिष्ट अवधि तक नहीं प्रदान की जा सकती हैं अथवा सेवायें किसी अन्य अदृश्य कारण से नहीं प्रदान की जा सकती हैं अथवा जबतक द्वार-द्वार तक सेवायें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं तब तक नगरीय स्थानीय निकाय वास्तविक क्षेपण स्थलों के रूपमें प्रयुक्त किये जा चुके अवस्थानों सहित अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक वार्ड में

बहु अवस्थानों को अधिसूचित कर सकता है और वहाँ पर विस्तृत सुसंहत डिब्बे प्रतिष्ठापित कर सकता है जहाँ नागरिक अपना-अपना पृथक्कृत टोस अपशिष्ट जमा कर सकते हैं। संग्रहण स्थल बिन्दुओं पर प्रतिदिन अपशिष्ट की सफाई की जायेगी। उक्त स्थल के चारों ओर के क्षेत्रों की भी सफाई की जायेगी जहाँ डिब्बे या पात्र या संहृतकर्ता पात्र रखे जाते हैं;

(3) स्वस्थाने (ऑन साइट) प्रसंस्करण इकाइयों से अवशिष्ट अपशिष्ट के संग्रहण के मामले में-नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकरण स्वस्थाने (ऑन साइट) अपशिष्ट प्रसंस्करण कर्ता इकाइयों/स्थानों से अपशिष्ट संग्रहण की समय सारिणी नियत करेगा और उक्त को उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकाय के वेबसाइट/जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर प्रकाशित करायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय अपने क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमान्तर्गत ऐसे समस्त इकाइयों/स्थानों की अद्यतन सूची अनुरक्षित करेगा जो टोस अपशिष्ट उत्सर्जक होते हैं और स्वस्थाने (ऑन साइट) अपशिष्ट का प्रसंस्करण करते हैं यथा होटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय परिसर, शैक्षिक संस्थान, विवाह गृह, जैव अनाशिष्ट अपशिष्ट उत्सर्जक चिकित्सालय, वाणिज्यिक क्षेत्र, आदि। उक्त सूची का प्रकाशन वेबसाइट पर भी किया जायेगा;

(4) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों से संग्रहण के मामले में- ऐसी स्थिति में जब प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक टोस अपशिष्ट किसी उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित हो रहा हो तब नगरीय स्थानीय निकायों/या अभिकर्ताओं को ऐसे थोक टोस अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये ऐसी पृथक संग्रहण प्रणाली स्थापित करनी होगी जिसमें संग्रहण हेतु पृथक परिवहन/संग्रहण वाहन सम्मिलित होंगे;

(5) भारी/बड़े आकार के अपशिष्ट के मामले में- नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता माह में एक दिन द्वार-द्वार भारी/बड़े आकार के अपशिष्ट संग्रहण के लिये विनिर्दिष्ट करेगा और उस क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकाय की वेबसाइट/जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर संग्रहण हेतु उक्त समय सारणी को प्रकाशित करेगा;

### ख-विभिन्न अन्य विनिर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्टों का संग्रहण तथा परिदान (डिलीवरी)

13-विभिन्न अन्य विनिर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्टों के संग्रहण और परिदान (डिलीवरी) निम्नानुसार किया जायेगा :

(क) परिसंकटमय (वाणिज्यिक/घरेलू) अपशिष्ट : ऐसा अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित निक्षेप केन्द्रों पर उत्सर्जकों द्वारा जमा किया जायेगा अथवा इसे अधिसूचित संग्रहण प्रणाली को प्रतिदिन परिदत्त किया जायेगा या उसके द्वारा संग्रहीत किया जायेगा, जहाँ संग्रहण वाहन के पास परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु पृथक आधान हो, अथवा यदि संग्रहण वाहन के पास परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु पृथक आधान न हो तो नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस क्षेत्र के नागरिकों के लिये ऐसे विनिर्दिष्ट दिवस अधिसूचित किये जायें जब ऐसे अपशिष्ट संग्रहीत किये जायें;

(ख) ई-अपशिष्ट : उत्सर्जकों द्वारा इस हेतु निर्दिष्ट संग्रहण केन्द्र/वितरक या उत्पादक/विध्वंसकर्ता/ ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से अथवा उत्पादक के अभिहित वापसी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राधिकृत विध्वंसकर्ता या ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना होगा;

(ग) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट : उत्सर्जनकर्ता, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित किया जाये या अधिसूचित किया जाय, उत्सर्जित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण तथा परिदान (डिलीवरी) के लिये उत्तरदायी होंगे;

(घ) थोक उद्यान या उद्यान कृषि अपशिष्ट : उत्सर्जनकर्ता थोक उद्यान और उद्यान कृषि अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिदान (डिलीवरी) तथा प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होंगे, जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित या अधिसूचित किया जाये;

(ङ) अन्य अपशिष्ट : जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, शव-द्रव बहिःस्राव, बैटरी अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय के ऐसे अन्य अपशिष्ट, जिनके लिये नगरीय स्थानीय निकाय ने पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो, अधिसूचित आर्द्र (गीले) और शुष्क अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली को नहीं परिदत्त, किये जायेंगे या उसके द्वारा संग्रहीत नहीं किये जायेंगे और उन्हें उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा समुचित फीस दिये जाने या जैसा कि इस नियमावली में विहित किया जाय। उक्तानुसार फीस का संदाय किये जाने पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसे अपशिष्टों के संग्राहकों या अभिकरणों को परिदत्त किया जायेगा;

(च) फेरीकर्ताओं, बिक्रेताओं, छतरी स्टालों, खाद्य स्टालों तथा खाद्यान्न ट्रकों, जो अपने कारोबार स्थल पर कूड़ा-कचरा डिब्बों को अनुरक्षित करते हुये स्थायी या अस्थायी रूप में स्थित हों, को पृथक्कृत अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी), संग्रहण स्थलों, सामूहिक डिब्बों, सामूहिक पात्रों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा इस निमित्त अधिसूचित अपशिष्ट संग्राहकों/वाहन तक सुनिश्चित करना होगा;

14-प्रकाशन व घोषणा के उपबंध: -

(1) क्षेत्र या वार्ड वार विनिर्दिष्ट समय सारणी, जिनमें विभिन्न श्रेणी के ठोस अपशिष्टों के लिये सप्ताह का सुसंगत दिवस सम्मिलित है, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे और उन्हें उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर और साथ ही साथ जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट/यथास्थिति नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा, सामान्यतः द्वार-द्वार कूड़ा-कचरा संग्रहण का समय प्रातः 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक निर्धारित किया जायेगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों या किन्हीं अन्य संस्थागत अपशिष्ट उत्सर्जकों से संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय पृथक-पृथक समय सारणी अधिसूचित कर सकता है;

(2) संग्रहण हेतु ठहराव के स्थल सहित मार्ग मानचित्र, आरम्भिक समय एवं समापन समय और अन्य सुसंगत विवरण समय-सारिणी के साथ-साथ प्रकाशित किये जायेंगे;

(3) जहाँ नगरीय स्थानीय निकाय ने द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो वहाँ प्रत्येक उत्सर्जक को पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी) सार्वजनिक मार्ग या सामूहिक डिब्बा, जैसा कि विहित किया जाय या अधिसूचित किया जाय, से प्राथमिक संग्रहण केन्द्र अर्थात् दहलीज/द्वार/प्रवेश बिन्दु तक सुनिश्चित करना होगा;

(4) जहाँ नगरीय स्थानीय निकाय ने स्थल-स्थल संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो वहाँ प्रत्येक उत्सर्जनकर्ता को पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी), सामूहिक आधानों में अथवा सीधे अपशिष्ट संग्राहकों/वाहनों जैसा कि विहित या अधिसूचित किया जाय, को करने के लिये सुनिश्चित करना होगा;

(5) अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों के अन्तर्गत स्वचालित आवाज अभिलेखन युक्ति, घंटी, हार्न, अपशिष्ट संग्राहकों द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कूड़ा-कचरा संग्रहण यान में लगाये जायेंगे। संकीर्ण तथा संघनित गलियों में तथा पथों पर अपशिष्ट संग्राहक/चालक/सहायक को सीटी का उपयोग करना होगा और ऐसी गलियों तथा पथों से चलना होगा जिससे कि वह आगमन की घोषणा कर सके और संग्रहण को सुनिश्चित कर सके;

15-संग्रहण एवं परिदान (डिलीवरी) हेतु अन्य कार्यवाही:-

(1) नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, सन्निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट, उद्यान या उद्यान कृषि थोक अपशिष्ट, पथ सफाई अपशिष्ट, कूड़ा-कचरा अपशिष्ट और मृत पशुओं (पालतू पशुओं और बड़े पशुओं) हेतु पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणालियां प्रतिष्ठापित की जाय, जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय हेतु लागू केन्द्र सरकार के सम्बन्धित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन आवश्यक हों;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय विशिष्ट श्रेणी के उत्सर्जकों यथा होटलों तथा आहारगृहों, वध शालाओं, दुग्धशालाओं आदि अथवा विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट यथा ई-अपशिष्ट आदि के लिये पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणाली अधिसूचित करेगा;

(3) कोई अपशिष्ट, संग्रहण के दौरान इस रीति से नहीं सौपा जायेगा जिससे अपशिष्ट उत्सर्जक या अपशिष्ट संग्राहक या सामान्य जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाय अथवा यातायात के लिये खतरा उत्पन्न हो जाये या पर्यावरण के लिये क्षतिकारक हो जाय या उपताप सृजित करे/बदबू उत्पन्न हो या फलस्वरूप कूड़ा-कचरा उत्पन्न हो जाय;

(4) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहण किये गये पृथक्कृत जैव नाशित अपशिष्ट, आवृत्त/ढक करके प्रसंस्करण संयंत्रों यथा कम्पोस्ट संयंत्र, जैव मिथेनीकरण संयंत्रों या ऐसे किन्हीं अन्य सुविधा वाले स्थानों तक अन्तरित किये जायेंगे;

(5) संग्रहण किये गये जैव अनाशित अपशिष्ट सम्बन्धित प्रसंस्करण सुविधा स्थलों या पुनर्चक्रण हेतु सृजित द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों तक परिवहन किये जायेंगे;

## अध्याय—चार

### ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिवहन

16—ठोस अपशिष्ट संग्रहण तथा परिवहन निम्नानुसार किया जायेगा:—

(क) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिवहन करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को वाहन अभिनियोजन योजना इस रीति से तैयार करनी होगी कि पृथक्कृत शुष्क अपशिष्ट, आर्द्र (गीले) अपशिष्ट और परिसंकटमय अपशिष्ट परिवहन किये जाने के दौरान अंतर्मिश्रित न हो जाय;

(ख) जहाँ तक सम्भव हो नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट संग्रहीत करने और क्षेपित करने हेतु स्वचालित तंत्रों का उपयोग करने वाले स्वचालित अपशिष्ट संग्रहण वाहन उपाप्त कराना होगा जिससे कि अन्तर्वस्तुओं को हाथ से उठाने तथा क्षेपित करने की आवश्यकता न हो। प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन वाहन का अभिकल्प इस रूप में होगा कि ठोस अपशिष्ट को अन्तिम प्रसंस्करण/निस्तारण स्थल तक पहुँचाने में अपशिष्ट भूमि पर एकत्रित न हो और इस प्रकार अपशिष्ट के मैनुअल हैंडलिंग से बचा जा सके;

(ग) अपशिष्ट परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन इस रीति से आवृत्त किये जायेंगे कि परिवहन किये जाने के दौरान संग्रहीत अपशिष्ट खुले वातावरण में दृष्टव्य न हो या जनता के लिये दृष्टव्य न हो या मार्ग में न बिखरे। उक्त वाहनों में ऐसे संहृतकर्ता तथा गतिशील अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) भी सम्मिलित हो सकते हैं जो नगरीय स्थानीय निकाय की इस विषयगत अपनाये गये तकनीकी विकल्प पर आधारित होंगे;

(घ) नगरीय स्थानीय निकाय प्रत्येक चिन्हित वार्ड के लिये आवृत्त अपशिष्ट संग्रहण यानों की संख्या निर्धारित करेगा। अपशिष्ट उत्सर्जकों की संख्या से अपशिष्ट संग्रहण यानों की संख्या के अनुपात की संगणना प्रत्येक छः माह में और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाने वाले सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी;

(ङ) नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर समर्पित गतिशील अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) या नियत संहृतकर्ता अंतरण केन्द्र (फिक्सड ट्रांसफर स्टेशन) को अभिनियोजित किये जाने की संभाव्यता, अनुमोदित मार्ग योजनाओं के अनुसार परिवारों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों से मार्गवार और द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण में संलग्न स्वतः उतारने वाले वाहनों; श्री हवीलरों और रिक्शों आदि से अपशिष्ट प्राप्त करने हेतु विनिर्दिष्ट अवस्थानों पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। गतिशील अंतरण केन्द्र और नियत संहृतकर्ता अंतरण केन्द्र को इस प्रकार अभिकल्पित किया जायेगा कि अपशिष्ट को बिखरे बिना प्राथमिक संग्रहण वाहनों से अपशिष्ट न्यूनतम समय में अन्तरित हो जाये। ऐसे नगर निगमों में जहाँ के वार्ड आकार में बड़े हो और उस वार्ड के क्षेत्र के भीतर प्रतिदिन दस से अधिक मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्सर्जन होता हो वहाँ नगर निगम वार्ड में द्वितीयक संग्रहण हेतु एक संहृतकर्ता उपलब्ध करा सकता है;

(च) संग्रहण और परिवहन उपकरणों तथा यानों के चयन हेतु प्रौद्योगिकी में परिवर्तनशील आवश्यकताओं और उसकी अभिवृद्धियों पर विचार किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट संग्रहण हेतु अभिनियोजित किये गये समस्त वाहनों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली/जी0पी0एस0 प्रतिष्ठापित की जायेगी।

## अध्याय—पाँच

### ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

17—जैव नाशित अपशिष्ट या आर्द्र अपशिष्ट का प्रसंस्करण:—

(1) परिवहन/संग्रहण लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण यथा कम्पोस्टीकरण, जैव मिथेनीकरण, सूक्ष्मजीवी कम्पोस्टीकरण, कृमि कम्पोस्टीकरण, अवायवीय संग्रहण

या जैव नाशित अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण हेतु किसी अन्य समुचित प्रसंस्करण के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा। जहां कहीं प्रयोज्य हो, जैव नाशित अपशिष्ट हेतु ऐसे अपशिष्ट का स्वस्थाने प्रसंस्करण किये जाने के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय को यह प्रवर्तित करना होगा कि जैव नाशित अपशिष्ट का प्रसंस्करण किये जाने के दौरान सब्जियों, फलों, फूलों, मॉस, कुक्कुट और मत्स्य का लेन-देन करने वाले बाजारों में स्वास्थ्यकर स्थितियां सुनिश्चित रहें;

(3) **स्वस्थाने (ऑनसाइट) प्रसंस्करण** : जैव नाशित अपशिष्ट के थोक उत्सर्जकों को इस नियमावली की अधिसूचना के 90 दिन के भीतर नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त लाइसेंस/ अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपना-अपना आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित और अनुरक्षित करना होगा;

(4) नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त लाइसेंस/प्राधिकार में निर्धारित शर्तों के अनुसार नीचे सारणी में उल्लिखित अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये अपना-अपना आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित करना तथा उन्हें अनुरक्षित रखना अनिवार्य होगा;

#### सारणी

क्र० सं०	उत्सर्जक के प्रकार	उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा
1	होटल, रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालय	प्रतिदिन 100 किग्रा० से अधिक अपशिष्ट होटल या समस्त तीन स्टार और उच्चतर श्रेणी के होटल।
2	मैरिज हॉल, व्यापार मेला, प्रीतिभोज स्थल, सामुदायिक हाल, क्लब	प्रतिदिन 100 किग्रा० से अधिक या समारोहों के दौरान।
3	वधशालायें, चिकन, मछली और मटन की दुकानें	प्रतिदिन 50 किग्रा० से अधिक (या तो एकल प्रतिष्ठान से या एकल स्वामित्वाधीन बहु प्रतिष्ठानों से)
4	चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थायें	20 शैय्याओं से अधिक का संचालन या प्रतिदिन 100 कि०ग्राम से अधिक आर्द्र अपशिष्ट का उत्सर्जन।
5	औद्योगिक क्षेत्र	प्रतिदिन 50 किग्रा० से अधिक का उत्सर्जन
6	निजी उद्यान/सार्वजनिक पार्क	प्रतिदिन 50 किग्रा० से अधिक उद्यान उपशिष्ट
7	दुग्धशालायें और पशुशालायें	समस्त दुग्धशालायें और पशुशालायें
8	5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के समस्त द्वार बंद समूह और संस्थायें	परिसर के भीतर उत्सर्जित समस्त अपशिष्ट।

(5) जहाँ ऐसे उत्सर्जक भूमि की कमी के कारण ऐसे सुविधा केन्द्र स्थापित करने की स्थिति में न हों वहाँ वे जैव नाशित अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकरण को परिदत्त कर सकते हैं, उत्सर्जकों द्वारा उत्सर्जित एवं परिदत्त अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर प्रयोज्य और अतिरिक्त प्रयोक्ता फीस का संदाय किया जाएगा;

(6) नगरीय स्थानीय निकाय में अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी स्वविवेक से जैव नाशित अपशिष्ट के प्रसंस्करण किये जाने की आवश्यकता के विषयगत किसी अन्य श्रेणी के उत्सर्जक को भी उक्त हेतु निर्दिष्ट कर सकेंगे;

(7) यथा निर्दिष्ट उत्सर्जकों द्वारा स्वस्थाने (ऑनसाइट) प्रसंस्करण सुविधा विकसित होने के विषयगत नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर जाँच और निरीक्षण करेगा कि ऐसी स्थलीय प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाये, संचालित किये जायं और वे इस निमित्त निर्धारित किन्हीं मानकों के अनुसार उत्सर्जक द्वारा जनित सम्पूर्ण आर्द्र (गीले) अपशिष्ट को

प्रसंस्कृत करें। मानकों को स्थापित करने, समुचित रूप से संचालित करने या अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण से सम्बन्धित किन्हीं प्रोत्साहनों को विखण्डित और प्रत्युद्धत कर दिया जायेगा और नगरीय स्थानीय निकाय यथा विहित प्रशासनिक शुल्क और प्रशमन शुल्क ऐसे समय तक के लिये उत्सर्जक पर अधिरोपित करेगा जब तक कि उत्सर्जक द्वारा आर्द्र (गीले)-अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्रसंचालित नहीं हो जाते हैं और उक्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता है;

(8) नगरीय स्थानीय निकाय निम्न अधिसूचित करेगा और उन्हें नियमित रूप से अद्यतनकृत करेगा:-

(क) स्वस्थाने (आनसाइट)/स्थलीय अपशिष्ट प्रसंस्करण (निर्माण, संचालन, प्रबन्धन, अवशेष एवं उत्पाद सहित) की गुणवत्ता के मानक, जोकि समस्त उत्सर्जकों के लिये बाध्यकारी होगा और भवन योजनायें तथा अनुज्ञा ऐसे मानकों का अनुपालन करने के अध्यक्षीन होंगे;

(ख) इस नियमावली के सरलीकरण और क्रियान्वयन के लिये, बाजार में उपलब्ध विभिन्न पर्यावरण, परिचालन, और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुये स्वस्थाने (आनसाइट) आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये अनुमोदित प्रौद्योगिकियां और विस्तृत अभिकल्प से भिन्न कराया जाएगा, परन्तु यह कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसी किसी भी प्रौद्योगिकी या विक्रेता को अपनाया जाना, उत्सर्जकों के लिये अनिवार्य नहीं होगा;

(9) अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा केन्द्र या थोक कम्पोस्ट अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा;

(10) नगरीय स्थानीय निकाय को दो वर्ष में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से हटाना होगा और स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित समस्त पार्कों, उद्यानों, में और उसकी अधिकारिता के अधीन जहाँ कहीं सम्भव हो, अन्य स्थानों पर कम्पोस्ट खाद का उपयोग किया जाएगा।

(11) नगरीय स्थानीय निकाय प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करने, अपशिष्ट उत्पादकों को लगाये जाने तथा उन्हें संयोजित किये जाने, जागरूक किये जाने, अभियान चलाये जाने, उत्सर्जकों को शिक्षित किये जाने या कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण को सरलीकृत करेगा;

(12) नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट प्रबंधन में जन समुदायों को सम्मिलित करना होगा और सुविधा केन्द्र के चारों ओर बदबू को नियंत्रित करने और स्वास्थ्यप्रद स्थितियाँ बनाये रखने के अध्यक्षीन घरेलू कम्पोस्टीकरण, जैव गैस उत्सर्जन और विकेन्द्रीयकृत सामुदायिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना होगा;

(13) संस्थागत कम्पोस्ट वितरण प्रबंध;

(क) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग को उत्सर्जित कम्पोस्ट और उसका कृषकों और कम्पनियों आदि को वितरण के लिये विभिन्न दर अनुसूची के लिये तंत्र स्थापित करने हेतु उर्वरकों के वितरण करने वाले सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय करना होगा;

(ख) कम्पोस्ट विनिर्माणकर्ता अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र, समुचित गुणवत्ता परक जाँच सुनिश्चित करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता यथा विनिश्चित कम्पोस्ट का अंश, उर्वरक का वितरण करने वाले सम्बन्धित विभागों से समय-समय पर परामर्श करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग द्वारा यथा निर्धारित रियायती दरों पर समीपवर्ती क्षेत्रों के कृषकों को प्रदान करेगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि रियायती दरों पर कम्पोस्ट उपलब्ध कराये जाने की जानकारी क्षेत्र के कृषकों तक सहज रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(14) स्वस्थाने (आनसाइट) /स्थलीय आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाकेन्द्रों का विनिर्दिष्टीकरण -

(क) सुविधाकेन्द्र केवल पृथककृत आर्द्र (गीले) अपशिष्ट को ग्रहण करेंगे, भण्डारित करेंगे और उपचारित करेंगे;

(ख) सुविधाकेन्द्रों पर उत्सर्जकों से संग्रहीत किये जाने वाले मिश्रित ठोस अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण स्थल हेतु एक पृथक रिक्त स्थान रखना होगा;



(ग) समस्त अवशिष्ट आर्द्र (गीले) अपशिष्ट को संग्रहण परिदान (डिलीवरी) हेतु अधिसूचित प्रणाली के अधीन सौंपे जाने में सुरक्षित एवं बन्द कचरा पात्रों में इस प्रकार अस्थायी रूप से भण्डारित किया जायेगा कि उपरोक्त को कूड़ा-कचरा होकर छितरने, बिखरने, जनसामान्य को उपतापित करने, दुर्गन्धयुक्त होने आदि से बचा जा सके;

(घ) सुविधाकेन्द्रों पर यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त अवसंरचनाएं तथा उपयोगी सेवायें होंगी कि कोई अस्वच्छ तथा अस्वास्थ्यकर स्थितियां न हों तथा जनता और सुविधा केन्द्र संचालित करने वाले कर्मकारों को कोई उपताप न हो;

(ङ) समस्त सुविधा केन्द्रों को प्राप्त आर्द्र (गीले) अपशिष्ट और कूड़ा-करकट एवं अवशिष्ट को रूपांतरित करने हेतु जनित उत्पाद (कम्पोस्ट/गैस) की गुणवत्ता तथा मात्रा और अप्रसंस्कृत अपशिष्ट के परिमाण का अनुश्रवण करने के समुचित उपाय करने होंगे।

#### 18-जैव अनाशित अपशिष्ट या शुष्क अपशिष्ट का प्रसंस्करण-

(1) जैव अनाशित अपशिष्ट के थोक उत्सर्जकों को अपना-अपना स्वयं का सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र (अर्थात् छंटाई शेड) स्थापित करना होगा और अनुरक्षित करना होगा या अवशिष्ट अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किन्हीं शर्तों के अनुसार अपशिष्ट संग्राहकों या अभिकरण को देना होगा;

#### (2) विद्यमान सुविधाकेन्द्रों का एकीकरण-

(क) नगरीय स्थानीय निकाय रजिस्ट्रीकृत अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों द्वारा संचालित विद्यमान अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहण/एकत्रीकरण/व्यापारिक सुविधा केन्द्रों को एतद्द्वारा ऐसे सुविधा केन्द्रों से संबंधित उपबंधों, मानकों तथा विनिर्देशों का अनुपालन करने के अध्यक्षीन सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के रूप में रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत करने का प्रयास करेगा;

(ख) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को घरेलू वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट निक्षेप केन्द्रों के रूप में अभिहित करने का प्रयास करेगा; परन्तु यह कि ऐसी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के भीतर एक पृथक्कृत सुरक्षित भण्डारण क्षेत्र उपबंधित किया जाय और ऐसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों में प्रबंधरत/संचालन रत/कार्यरत अपशिष्ट उत्पादकों/संग्रहण अभिकरणों को ऐसे अपशिष्ट को सुरक्षापूर्वक संभालने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संभालने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण दिये जाय;

(3) समस्त सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के प्राधिकृत आपरेटरों को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा;

(क) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को पृथक्कृत जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट को ही ग्रहण करना होगा;

(ख) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्र कोई मिश्रित अपशिष्ट, जैव नाशित अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट आदि को तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जबतक इस नियमावली और अन्य लागू नियमावली के अधीन उपबंधों, मानकों और विनिर्दिष्टीकरणों के अनुसार ऐसी श्रेणियों के अपशिष्ट के लिये, पृथक-पृथक पर्याप्त सुविधा केन्द्रों का उपबंध करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अधिसूचित न किया जाय;

(ग) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के पास तदनिमित्त पर्याप्त स्थल और सुविधायें होंगी :-

(एक) संग्रहण वाहनों/अपशिष्ट संग्राहकों/अभिकर्ताओं से शुष्क अपशिष्ट ग्रहण किया जाना;

(दो) शुष्क अपशिष्ट की छंटाई, गट्टरकरण और अस्थाई भंडारण किया जाना;

(तीन) अक्रिय अपशिष्ट, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर-पुनर्प्रयोज्य अपशिष्ट का अस्थायी भंडारण करने के लिये और अन्य श्रेणी के अपशिष्टों, जिनके लिये सुविधायें उपबंधित की गयी हों, के लिये समुचित और पृथक-पृथक पात्रों का उपबंध किया जाना;

(चार) अक्रिय, गैर पुनर्चक्रणीय, गैर पुनर्प्रयोज्य शुष्क अपशिष्ट और अन्य श्रेणियों के अपशिष्ट, जिनके लिये सुविधाएँ उपबंधित की गई हों, के द्वितीयक संग्रहण के लिये अंतरण किया जाना;

(घ) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के पास सुगम कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने और अस्वास्थ्यकर स्थितियों से बचने की पर्याप्त सुविधाएँ होंगी;

(ड) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों, विशेष रूप से ऐसे खंडों में, जहां घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट अस्थायी रूप से भंडारित किया जाता हो, की सफाई/विसंक्रमण और स्वच्छता सहित सुविधा को सुनिश्चित करना, जिससे जनसामान्य या अपशिष्ट उत्पादकों/कर्मकारों के प्रति कोई उपताप स्थिति न हो;

(च) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्र इस रीति से चिन्हित परिसरों के भीतर निर्मित किये जायेंगे जिससे कि आवारा पशुओं या पक्षियों द्वारा अपशिष्ट को बिखरे जाने से रोका जा सके और वहां पर रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट उत्पादकों/प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित रूप से सुनिश्चित किया जा सके;

(छ) अपशिष्ट उत्पादकों, अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों या किसी सामग्री प्राप्त सुविधा केन्द्र के आपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त पुनर्चक्रीय अपशिष्ट पुनर्चक्रण धारा में डाल दिये जायें और यह कि केवल अक्रिय, गैर पुनर्चक्रीय, घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय तथा गैर पुनर्प्रयोज्य अपशिष्ट उक्त सुविधा से अस्वीकृत किये जायें और अग्रतर प्रसंस्करण या निपटान हेतु द्वितीयक संग्रहण प्रणाली को अंतरित कर दिये जायें;

19-जैव-अनाशित पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण :

जैव-अनाशित पुनर्चक्रीय अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों/सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों पर और तत्पश्चात् प्राधिकृत पुनर्चक्रण इकाइयों तक प्रेषित किये जायेंगे। यथा संभाव्य रूप में नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या नगरीय स्थानीय निकायों और/या अभिकर्ताओं द्वारा सीधे प्राधिकृत पुनर्चक्रण इकाइयों तक प्रेषित किये जाने हेतु पृथक्कृत जैव अनाशित पुनर्चक्रीय अपशिष्टों के लिये संस्थागत तंत्र सृजित करना होगा;

20-जैव-अनाशित गैर-पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण :-

(1) इस नियमावली के अनुसार गैर पुनर्चक्रीय जैव अनाशित अपशिष्ट, जिनका कैलोरिक मान मूल्य 1500किलो कैलोरी/किलो ग्राम से अधिक हो, ऐसे अपशिष्ट होंगे, जो ऊर्जा प्रसंस्करण, जिसमें दाह्य अपशिष्ट अंश हेतु अग्रहीत व्युत्पन्न ईंधन सम्मिलित है, हेतु अथवा ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों या सीमेंट भट्टों के लियेपोषक स्टॉक के रूप में आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किये जायेंगे;

(2) प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मेंस्ट्रुअल और अन्य सेनेटरी अपशिष्टों का निस्तारण और प्रसंस्करण, भस्मीकरण के माध्यम से किया जाये;

21-परिसंकटमय (घरेलू और वाणिज्यिक) अपशिष्टों का प्रसंस्करण :-

परिवारों, थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं, वाणिज्यिक अधिष्ठानों और/या उद्योगों से संग्रहीत किये गये परिसंकटमय अपशिष्ट, टीएसडीएफ (उपचार अपशिष्ट भंडारण निपटान सुविधा केन्द्र) , भस्मीकरण के माध्यम से और/या नगरीय स्थानीय निकाय अथवा नगर विकास विभाग द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य उपयुक्त रीति से प्रसंस्कृत किये जायेंगे;

22-निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण :-

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, के अनुसार प्रसंस्कृत किये जायेंगे और वे समुचित प्रसंस्करण संयंत्रों, सेनेटरी लैंडफिल और/या अन्य अभिहित अवस्थानों तक परिवहनकृत किये जायेंगे;

23-वधशाला अपशिष्टों का प्रसंस्करण :-

वधशालाओं, कुक्कुट पालन स्थलों और मत्स्य बाजारों से उत्सर्जित अपशिष्ट विरूपण, कम्पोस्टीकरण, जैव मीथेनीकरण, नियंत्रित भस्मीकरण और दाह-संस्कार स्थल, जहां निर्धारित वैज्ञानिक मानकों का अनुश्रवण किया जाता हो, के माध्यम से प्रसंस्कृत या निस्तारित किये जायेंगे;

24-ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा उपचार और अपशिष्ट भराई स्थलों के मानक :-

यह सुनिश्चित करना नगरीय स्थानीय निकाय का कर्तव्य होगा कि समस्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र और अपशिष्ट भराई स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन विहित उपबंधों और मानकों और इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अभिकल्पित और अनुरक्षित किये जाय। यदि वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाना, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय के स्तर पर संभव न हो तो उस दशा में वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण की व्यवस्थाएँ परिक्षेत्रीय या राज्य स्तर पर की जा सकती हैं। इस नियमावली के अधीन संग्रहीत प्रयोक्ता शुल्कों का प्रयोग ऐसी राज्य स्तरीय परियोजनाओं के वित्तपोषण और उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके संचालन और अनुरक्षण लागत के लिये भी किया जा सकेगा;

**अध्याय—छः****नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य बाध्यकारी कर्तव्य**

25—बाध्यकारी कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय :-

(क) नागरिकों को समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध करायेगा जिससे कि वे इस नियमावली के उपबंधों का अनुपालन कर सकें। अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं के अतिरिक्त स्थानीय नागरिकों के परामर्श से कूड़ा-कचरा के डिब्बे, शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्र और कम्पोस्टीकरण केन्द्र, जहां कहीं संभव और आवश्यक होंगे, स्थापित किये जायेंगे;

(ख) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपेक्षित रूप में स्रोत पर संग्रहण या स्थल संग्रहण किये जाने का उपबंध किये जाने तक स्वयं या किसी अभिकर्ता के माध्यम से अन्तरिम व्यवस्था के रूप में यथा अवधारित सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समुचित सामूहिक कचरे को संग्रहित करने हेतु पात्र उपलब्ध कराये जायेंगे और अनुरक्षित किये जायेंगे। पृथक्कृत अपशिष्ट संबंधित उत्सर्जकों द्वारा ऐसे सामुदायिक कचरे को संग्रहित करने हेतु पात्र से परिदत्त किये जायेंगे और तत्पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संग्रहीत किये जायेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को इन सामुदायिक कचरा पात्र से लोक उपताप या स्वास्थ्यगत संकटों से बचाव और पृथक्करण का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक सामुदायिक कचरा पात्र जैव नाशित और जैव अनाशित अपशिष्ट के लिये पृथक्कृत रखा जायेगा। समस्त ऐसे स्थानों के विवरण, जिनमें ऐसे स्थानों से अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्थायें और अपशिष्ट संग्रहण समय-सारणी सम्मिलित हैं, नगरीय स्थानीय निकाय के कार्यालय के सूचना पट्ट और जिला एन.आई.सी. के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय सामुदायिक कचरा पात्र अधिप्रवाहित (ओवरफ्लो) न हो या खुले वातावरण में उपदर्शित न हों जिससे कि कूड़ा बिनने वालों द्वारा उसके अपशिष्ट के बिखरे जाने को रोका जा सके;

(ग) जन सामान्य की जानकारी के लिये कम्पोस्टीकरण केन्द्रों और शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों के माध्यम से शुष्क अपशिष्ट के कम्पोस्टीकरण और पुनर्चक्रण के सम्बंध में सुविधा की सूचना जिला एन.आई.सी. के वेबसाइट पर सूचीबद्ध करके प्रदर्शित की जायेगी;

(घ) अपशिष्ट उत्पापक/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करेगा और द्वार द्वार अपशिष्ट संग्रहण सहित टोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहभागिता को सुगम बनाने हेतु इन प्राधिकृत अपशिष्ट उत्पापकों और अपशिष्ट संग्राहकों की एकीकरण प्रणाली संप्रवर्तित करेगा। उक्त प्रणाली स्थापित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक और अपशिष्ट उत्पापक के स्वयं सहायता समूह बनाने पर विचार कर सकते हैं और उन्हें टोस अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकृत करने का पहचानपत्र जारी कर सकते हैं। नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे लोगों/समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये भी प्रयास करना होगा जो स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और सफाई अभियान में संलग्न हों और ऐसे व्यक्तियों/समूहों को एकीकृत किया जाना चाहिए जब वे पर्यावरण को स्वच्छ करने हेतु प्रयासरत हों;

(ङ) नगरीय स्थानीय निकाय के परिवहन ठेकेदार और/या अभिकर्ताओं/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, यदि ठेकेदार का या नगरीय स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी किसी संग्रहण स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट को मिश्रित करता है या विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार अपशिष्ट को उठाने में विफल रहता है;

(च) भिन्न-भिन्न भरण-स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों पर डाले जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के सम्बंध में मासिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से जारी करेगा। ऐसी सूचना कार्यालय में यानगरीय स्थानीय निकाय के वेबसाइट/जिला एन.आई.सी. वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी;

(छ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची तीन के पैरा-7 के अनुसार समुचित कदम उठायेगा और अपने सांविधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा;

(ज) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उसे सौंपे गये किसी कृत्य का निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर ऐसी सहायता, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के साथ समस्त युक्तियुक्त समयों में प्रवेश करने का अधिकार होगा अथवा (ii) यह अवधारित करेगा कि क्या और यदि ऐसा है, किस रीति से ऐसे किन्हीं कृत्यों का निष्पादन किया जाना है अथवा क्या इस नियमावली या अधिसूचित की गयी अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के उपबंधों का अनुपालन किया गया है;

(झ) समुचित तकनीकी सहायता प्रदान करके उपताप संसूचक प्रणाली उपबंधित करेगा और उसे सशक्त बनायेगा;

(ञ) अपने नियंत्रणाधीन ऐसे अधिकारियों को अभिहित करेगा जो क्रियान्वयन हेतु योजनाओं और समय अनुसूचियों के अनुसार इस नियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय के बाध्यकारी उत्तरदायित्वों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे। कमियों, यदि कोई हों, के कारणों सहित उक्त के सापेक्ष विनिर्दिष्ट योजनायें, समय अनुसूचियां और उपलब्धियां भी नगरीय स्थानीय निकायों के पदाधिकारी/प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा की जायेंगी। पर्यवेक्षकों और सफाई निरीक्षकों के पास कार्य हेतु सम्पर्क करने और उसका समन्वय करने हेतु वर्दी और वाकी-टाकी अथवा मोबाइल आधारित यंत्र होना चाहिए;

(ट) नगरीय स्थानीय निकायों या उसके प्राधिकृत अभिकरण द्वारा द्वार-द्वार संग्रहण हेतु अभिनियोजित सफाई कर्मियों/अपशिष्ट उत्पादकों को कूड़ा-कचरा संग्रहकर्ता या द्वितीयक संग्रहण स्थल (जो प्राथमिक संग्रहण स्थल से 2 से 3 किलोमीटर के भीतर होने चाहिए) तक ले जाने के लिये समुचित प्रकार के यथा आवश्यक वाहन/हैंडकार्ट गाड़ी/ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराया जायेगा;

(ठ) अधिकाधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच को सुनिश्चित करते हुए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ऐसी समस्त आवश्यक सूचनायें उपलब्ध करानी होंगी जो जिला एन0आई0सी0 के माध्यम से प्रचारित की जानी अपेक्षित हैं। प्रत्येक परिवार या अधिष्ठान को उस क्षेत्र के सफाई कर्मी और पर्यवेक्षक का नाम और नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा;

(ड) चिन्हों, चिन्हों, वाहनों द्वारा घोषणा के माध्यम से/या किसी अन्य समुचित माध्यम से नियमावली के उपबंधों को प्रचारित करेगा ताकि समस्त नागरिक इस नियमावली के विभिन्न उपबंधों यथा प्रयोक्ता प्रभारों, सांविधिक कर्तव्यों (अर्थात् अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण) कूड़ा-कचरा रोधी तथा उपताप रोधी, शास्तियों तथा जुर्माना और अन्य प्रतिषेधों से अवगत हो सकें;

(ढ) इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अन्य सरकारी अभिकरणों तथा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा;

(ण) नगरीय स्थानीय निकाय के समस्त सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, कॉलोनियों, झोपड़ियों, बाजारों और पर्यटन स्थलों तथा पार्कों और शमशान स्थलों (घाटों) आदि की नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और नगरीय स्थानीय निकाय, कूड़ा-कचरा को इन स्थानों से द्वार-द्वार से या निकटतम कूड़ा-कचरा डिब्बा/पात्र/सुविधा स्थल से संग्रहीत करने तथा ले जाने के लिये और वहाँ से बंद यानों में अन्तिम निस्तारण स्थल तक परिवहनकृत करने के लिये प्रतिबद्ध होगा;

(त) पूर्ण या आंशिक दैनिक सफाई कार्य हेतु स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को करने में अपने स्वयं के/बाह्य स्रोतित/ठेका सफाई कर्मकारों तथा वाहनों का उपयोग करेगा ताकि नगरीय निकाय लोकहित में अपने क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रख सकें;

(थ) इस नियमावली के अधिसूचित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर वैज्ञानिक रूप से सृजित पशु शव संचालन संयंत्र भस्मन सुविधा/संयंत्र में उस जिला में उक्त प्रयोजनार्थ मृत पशु निपटान प्रणाली स्वयं सृजित करने या समन्वय के माध्यम से सृजित करने का प्रयास करेगा;

(द) संदूषित माध्यमों, जिनमें नालों, तालाबों, झीलों का जल, मृदा तथा भू-पृष्ठ सामग्री सम्मिलित हैं, को उपचारित करने हेतु जैव उपचार/वानस्पतिक उपचार प्रक्रिया/किसी अन्य प्रौद्योगिकी, जहां कही आवश्यक हो, का उपयोग करेगा;

(ध) राज्य की बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या विकास दर को दृष्टिगत रखते हुए अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत उपाप्तियां करेगा, प्राथमिक/द्वितीयक भण्डारण सुविधायें स्थापित करेगा, अपेक्षित अवसंरचना सृजित करेगा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्यबल नियोजित करेगा;

(न) वार्षिक बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु आवश्यक पूंजीगत निवेशों के साथ ही साथ इनके संचालन और अनुरक्षण हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान का कड़ाई से पालन करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्षिक बजट अन्तर्गत स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यकलापों हेतु वित्तीय आवंटन इन नियमों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य अनिवार्य कार्यों के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। इस उपबन्ध के अनुपालन में असफल होने के परिणाम स्वरूप असंतोषजनक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निम्न स्तरीय स्वच्छता की आवांछनीय स्थिति में को सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन

में गंभीर कदाचार/अवचार की श्रेणी में माना जाएगा उनके विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायित्व कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी;

(प) नगर के संपूर्ण दैनिक सफाई प्रणाली का प्रबंध करने के उद्देश्य से अपना स्वयं का शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा और जनसामान्य में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा;

(फ) प्रोत्साहनों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उपयुक्त मान्यता तंत्र स्थापित करेगा और सफाई तथा उत्तम अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाले पणधारियों सहित इन कर्मचारियों/कर्मकारों/व्यक्तियों/समूहों/संघों को पुरस्कृत करेगा;

(ब) कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन-आधारित गतिविधि के संकेतक को अपनाये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और एक अंतर-वार्ड प्रतियोगिता के माध्यम से एक सर्वश्रेष्ठ वार्ड और वार्ड के सबसे अच्छे कर्मचारी/कर्मकार को पुरस्कृत कर उनके कार्य को समुचित रूप से सम्मानित किया जा सकेगा;

(म) प्रत्येक माह सर्वोत्तम वार्ड और माह के सर्वोत्तम वार्ड कर्मचारी/कर्मकार हेतु अन्तरवार्ड स्पर्द्धा अपनाकर अपने कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ स्पर्द्धा के लिये सुचारु रूप से मान्यता प्रदान करेगा।

### अध्याय-सात

#### मार्ग सफाई और सार्वजनिक कचरा पात्र

26-पथ सफाई -

नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि -

(क) मार्ग पर प्रतिदिन एक बार सफाई और वाणिज्यिक क्षेत्रों में दो बार सफाई उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे मार्ग पर सफाई करने, गली की सफाई, कूड़ा-करकट, नालियों से निकाली गई धूल तथा गाद से संबंधित सफाई कार्य दिया गया;

(ख) ठोस अपशिष्ट संचालित करने वाले समस्त कर्मकारों/सफाई कर्मियों को इस नियमावली की अधिसूचना के प्रारंभ होने के दिनांक से 90 दिवसों के भीतर आवश्यकतानुसार हेलमेट, वर्दी, पलोरेसेन्ट जैकेटों, दस्तानों, रेनकोटों, समुचित जूतों और मास्कसेट आदि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ग) अपने द्वारा नियोजित किये गये समस्त सफाई कर्मियों को स्वयं निकाय द्वारा और संविदा तथा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अभिनियोजित किये गये कर्मचारियों को सेवा प्रदाता द्वारा वर्ष में दो सेट वर्दियां उपलब्ध करायी जायेंगी। नगरीय स्थानीय निकायों को अपने वार्षिक आय-व्ययक में ऐसे प्रति कर्मचारी के लिये कम से कम रूपये 2000/- (दो हजार रूपये) का उपबंध करना होगा और वह अपशिष्ट सफाई/संचालन हेतु संविदात्मक/वाह्य स्रोतित जनशक्ति कर्मकारों को उपलब्ध कराने हेतु संलग्न अपने अभिकर्ता /सेवा प्रदाता के साथ ऐसा उपबंध भी करेगा;

(घ) जैव नाशित, जैव अनाशित और अक्रिय अपशिष्ट के रूप में मार्ग सफाई के अपशिष्ट पृथक्कृत किये जायं और ऐसे पृथक्कृत अपशिष्टों का भण्डारण नियमावली के अनुसार मार्ग सफाई में संलग्न व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा;

(ङ) सफाईकर्मी मार्ग सफाई से संग्रहीत हुए ठोस अपशिष्टों तथा वृक्ष की पत्तियों को नहीं जलायेंगे और उन्हें पृथक-पृथक भण्डारित करेंगे तथा प्राधिकृत व्यक्ति/अभिकरण को सौंप देंगे।

27-कूड़ा-कचरा के डिब्बे/पात्र-

नगरीय स्थानीय निकाय-

(क) सभी सार्वजनिक मार्गों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रूप से कूड़ा-कचरा निक्षेपित करने हेतु समुचित व सुविधाजनक अवस्थानों पर कूड़ा-कचरा डिब्बों को स्थापित करेगा;

(ख) उत्प्रवाह को रोकने हेतु किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान की स्थानीय स्थिति तथा आवासीय जनसंख्या घनत्व एवं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए कूड़ा-कचरा डिब्बों का रखा जाना अवधारित करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कूड़ा-कचरा के डिब्बे प्रयोज्य दशा में समुचित रूप में अनुरक्षित किये जायं और उत्प्रवाहित न हों या खुले पर्यावरण में उपदर्शित न हों जिससे जनता के लिये उपताप कारित करना या होना सम्भाव्य हो और उन्हें पशुओं या पक्षियों द्वारा बिखरे जाने से रोका जा सके;

(घ) यह सुनिश्चित करते हुए कि कूड़ा-कचरा अपशिष्ट, प्राथमिक संग्रहण प्रणाली के माध्यम से संग्रहीत अपशिष्ट के साथ अपमिश्रित न हो, अपने द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली या स्थल-स्थल संग्रहण प्रणाली या अन्यथा के माध्यम से कूड़ा-कचरा के डिब्बों में संग्रहीत किये गये टोस अपशिष्ट की नियमित सफाई करने और उसे हटाये जाने के लिए दैनिक आधार पर उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था करेगा;

(ङ) कूड़ा-कचरा के डिब्बों या पथ सफाई पात्रों में संग्रहीत किये गये अपशिष्ट का परिवहन किया जाना सुनिश्चित करेगा और निम्नलिखित का परिवहन करने का उपबंध करेगा;

(एक) सुविधाजनक आर्द्र अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थल तक जैव नाशित अपशिष्ट;

(दो) सुविधाजनक सामग्री प्राप्ति सुविधास्थल तक जैव अनाशित अपशिष्ट;

(तीन) परिवहन, निपटान या प्रसंस्करण हेतु निकटतम अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा स्थल, अंतरण स्थल या सन्निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट निपटान या प्रसंस्करण सुविधा स्थल तक गाद, धूल, बालू और अन्य अक्रिय अपशिष्ट;

(च) अतिरिक्त कूड़ा-कचरा के डिब्बों, जागरूकता अभियानों, प्रवर्तन अभियानों और गैर सरकारी संगठनों आदि की संलग्नता का उपबंध करने सहित कूड़ा-कचराकरण की घटनाओं को कम करने के लिये इस नियमावली या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समस्त आवश्यक और समुचित उपाय करेगा—

### अध्याय—आठ

#### अपशिष्ट उत्पापकगण—मान्यता और अधिकार

28—नगर विकास विभाग, श्रम विभाग और राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सहायता से संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के छः माह के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि—

(क) टोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रिया-कलापों में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संलग्न अपशिष्ट उत्पापकों के लिये पहचान-पत्र जारी किये जायें;

(ख) समस्त अपशिष्ट उत्पापकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और निजी आपरेटरों के माध्यम से उन्हें शिक्षित किये जाने और सुविधा प्रदान किये जाने के दौरान ऐसे उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायें जिनमें हेलमेट, वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्तानें, रेनकोट समुचित प्रकार के जूते और मास्क सम्मिलित हैं;

(ग) औपचारिक तंत्र सृजित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्ग के संबंध में विभिन्न योजनायें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय करके विभिन्न सरकारी योजनाओं की ऐसी प्रसुविधा उपबंधित की जाय जिसमें अपशिष्ट उत्पापक सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु वह उन्हीं तक सीमित नहीं होगी;

(घ) कमजोर वर्ग के संबंध में विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जायें जिनमें अपशिष्ट उत्पापकों की सुविधा और कल्याण सम्मिलित हो किन्तु वे उन्हीं तक सीमित न हों;

(एक) नियमित अंतरालों पर और प्रत्येक छः माह में आवश्यक रूप से एक बार निःशुल्क चिकित्सीय जाचें की जायें और टीके लगाये जायें और अपशिष्ट उत्पापकों तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्यगत परिसंकेतों को कम करने तथा उन्हें दूर करने के लिये कोई अन्य उपाय किया जाय;

(दो) अपशिष्ट उत्पापकों और उनके बच्चों को मूलभूत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जाय;

(तीन) अपशिष्ट उत्पापकों के कार्य-स्थल पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था अनुरक्षित की जाय;

(चार) कूड़ा निक्षेप स्थलों पर कार्यरत युवा लोगों को लक्ष्य करके सामाजिक सुरक्षा और शैक्षिक योजनाएं उपबंधित की जायें;

(पांच) नियमानुसार ऋण सुविधा की प्रसुविधा कर वित्तीय समावेशन से आच्छादित करने हेतु प्रयास किया जाय;

(ङ) अपशिष्ट उत्पापकों के प्रति अधिकाधिक सकारात्मक लोक भावना को प्रोत्साहित करने और पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों के पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिये जागरूकता अभियान संचालन किये जायें;

(च) अपशिष्ट उत्पादकों के कार्य की पर्यावरणीय और आर्थिक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रास्थिति तथा शारीरिक एवं मानसिक भलाई के समुत्थान के लिये कोई क्रिया-कलाप या योजना उपक्रमित की जायेगी, अपनायी जायेगी और क्रियान्वित की जायेगी ;

### अध्याय-नौ

#### प्रयोक्ता शुल्क

29-प्रयोक्ता शुल्क,-

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 08 अप्रैल, 2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के विषय में स्थानीय निकायों हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (च) में वर्णित है कि "उपयोक्ता फीस, जो समुचित समझी जाए, समय-समय पर विहित करना और स्वयं यह प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से फीस का संग्रह करना"; तदनुसार उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानीय निकाय द्वारा नियमों के अनुपालन विषयक कार्यवाही की जाएगी;

राज्य सरकार के स्तर से कोई प्रयोक्ता शुल्क निर्धारित नहीं किये जा रहे हैं, इस बिंदु पर यथासमय निर्णय लिया जाएगा;

(2) उपर्युक्त द्वार-द्वार या स्थलीय अपशिष्ट संग्रहण शुल्क, नगरीय स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अभिकर्ताओं/व्यक्तियों द्वारा ही संग्रहीत किये जायेंगे। उपर्युक्त दर, नगरीय स्थानीय निकाय/संस्था/व्यक्ति द्वारा समुचित रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और उक्त दरें अपशिष्ट प्रबंधन वाहनों पर भी प्रदर्शित की जायेंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को प्रयोक्ता शुल्क और शास्ति संग्रहीत करने हेतु हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रयोग करने का तंत्र स्थापित करने का प्रयास करना होगा;

(3) यदि इस नियमावली के अधीन यथा विहित रीति से किसी व्यक्ति/दल द्वारा अपशिष्ट सामग्री का निपटान नहीं किया जाता है और उसका निपटान अभिहित स्थलों, अपशिष्ट डिब्बों, कूड़ा-कचरा डिब्बों, मार्गों में रखे गये पात्रों, पाकों या ऐसे अन्य अभिहित स्थलों पर नहीं किया जाता है और उसका निपटान अन्य जगह किया जाता है, जहां अपशिष्ट निपटान किया जाना प्रतिषिद्ध हो, ऐसी परिस्थितियों में विहित नियमित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति/पक्षकार से जुर्माना/प्रशमन शुल्क उद्ग्रहीत किया जायेगा;

(4) शास्ति या प्रयोक्ता शुल्क/फीस, यदि स्थल पर या मासिक आधार पर संग्रहीत न की गई हो तो उपरोक्त देयता उक्त संबंधित हाउसहोल्ड/अधिष्ठान के सम्पत्ति कर देयक में जोड़ संग्रहित किया जा सकेगा;

(5) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा स्वस्थाने (आन साइट)/स्थलीय अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय प्रयोक्ता शुल्कों में प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर सकता है, तथापि ऐसे थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपनायी गयी स्थलीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रथा का सत्यापन समुचित रूप में प्रतिपादित पारदर्शी रीति से किया जायेगा। थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों के प्रोत्साहनों से संबंधित ऐसे किसी प्रस्ताव को राज्य सरकार को संसूचित किया जायेगा और ऐसे प्रोत्साहनों की प्रसुविधा का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् ही उन्हें बढ़ाया जायेगा;

(6) प्रयोक्ता शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि, किसी पृथक बैंक खाता में रखी जायेगी और उसका अनन्य रूप में उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन के लिये किया जायेगा। राज्य सरकार इस धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये निदेश जारी कर सकती है;

**अध्याय—दस****प्रतिषेध और अपराध**

30—सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा—कचरा,—

इस नियमावली में अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में अथवा किसी अन्य विधि, जो प्रवर्तित हो, के अधीन उपबंधित रीति के सिवाय कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक स्थान, पथ, खुले स्थानों, नाली या जलाशयों में या पर मल सहित कोई टोस, अर्द्धटोस, तरल या टोस अपशिष्ट न तो फेंकेगा, न निक्षेपित करेगा अथवा न फेकवायेगा या न निक्षेपित करवायेगा;

स्पष्टीकरण : प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि पगडंडी और खुली नाली/नाबदान सहित उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिभुक्त किसी परिसर के समक्ष स्थित या उससे संलग्न कोई सार्वजनिक स्थान, मल और अपशिष्ट जल सहित किसी तरल/अर्द्ध टोस या टोस अपशिष्ट से मुक्त हो और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में कूड़ा—कचरा डिब्बा उपलब्ध कराना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक मल/जल निकास प्रणाली में अपशिष्ट जल निकास के पर्याप्त संयोजन हों;

31—रिक्त भू-खण्डों पर कूड़ा—कचरा,—

कोई अपशिष्ट उत्सर्जक या नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण किसी रिक्त भू-खण्ड पर टोस अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या नही निक्षेपित करेगा। सरकारी या निजी स्वामित्व वाले ऐसे रिक्त भू-खण्ड के स्वामी या अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त भूमि अपशिष्ट मुक्त हो;

32—जलाशयों में वस्तुएँ फेंक कर प्रदूषण,—

कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपशिष्ट किसी प्रकार के जलाशय (जब तक उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट न किया जाय प्राकृतिक या मानव निर्मित) में नहीं फेंकेगा। मूर्ति विसर्जन हेतु, जहां आवश्यक हो, सिंचाई विभाग या स्थानीय निकाय, मिट्टी के बंधों से अस्थायी कुंड निर्मित कर सकता है। अपशरणीय संश्लिष्ट रजुएँ कुंड के तल में डाली जा सकती हैं जिन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियमित रूप से अपसारित किया जाना चाहिए। किसी वैकल्पिक उपाय स्वरूप काम चलाऊ बांस के ढांचे, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जलाशयों या उसके द्वारा समय—समय पर यथा विनिश्चित किये गये किसी अन्य स्थान पर परिनिर्मित किये जा सकते हैं, जहाँ जनता पुष्प, पत्तियाँ, कपड़े, मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएँ और अन्य पूजा सामग्रियाँ, प्रक्षेपित कर सकती है, जिन्हें तत्पश्चात् प्रसंस्करण सुविधा स्थलों या पुनर्चक्रण केन्द्रों तक ले जाया जा सकता है। सामूहिक जागरूकता हेतु विनिर्दिष्ट पर्चियाँ/पोस्टर तैयार किये जायें और वितरित किये जायें;

33—वाहनों से कूड़ा—कचरा,—

कोई व्यक्ति किसी चलते हुए या पार्क किये गये वाहन से किसी पथ, मार्ग, पार्श्व पगडंडी, क्रीड़ा—स्थल, उद्यान, यातायात-स्थल या अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर नहीं थूकेगा, वहाँ से कूड़ा—कचरा नहीं फेंकेगा या नहीं प्रक्षेपित करेगा। कोई वाहन चालक ऐसे वाहन के किसी यात्री को उक्त रीति से थूकने या उक्त अपशिष्ट को फेंकने की अनुमति या अनुज्ञा नहीं देगा;

स्पष्टीकरण : कोई व्यक्ति कूड़ा—कचरा से भरे हुए किसी ट्रक या अन्य वाहन को तब तक नहीं चलायेगा या संचालित करेगा, जब तक ऐसे वाहन कूड़ा—कचरा को ढकने हेतु न अभिकल्पित किये गये हों और उनमें अपशिष्ट इस प्रकार भरा जाय जिससे कि किसी कूड़ा—कचरा को किसी मार्ग, पार्श्व मार्ग, यातायात-स्थल, क्रीड़ा—स्थल, उद्यान या अन्य सार्वजनिक स्थान पर उड़ने या निक्षेपित किये जाने से रोका जा सके;

34—नाला अपशिष्ट निपटान,—

कोई व्यक्ति किसी मल नाली/नाला/नदी/कुंड/ जलाशयों/झंझा—जल नालों में कोई अपशिष्ट नहीं फेंकेगा;

35—पालतू जानवरों के अपशिष्ट का निपटान,—

पालतू जानवरों द्वारा सड़कों को अपशिष्ट के बिखराव से मुक्त रखने का सम्पूर्ण दायित्व पालतू जानवर पालने वालों का होगा। पालतू जानवरों के स्वामी अपने जानवरों को सड़क पर घुमाते समय उसे पट्टों से बाँध कर रखना सुनिश्चित करेंगे, पालतू जानवर के मल करने की स्थिति में उसे उठाने के लिए पालतू जानवर के स्वामी थैला लेकर चलेंगे और उसे उठाकर निस्तारण हेतु अपने घर लेकर जायेंगे;

36—प्रतिबंधित वस्तुओं का विक्रय, विनिर्माण और वितरण :

(1) कोई व्यक्ति किसी भी रूप में समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अन्य जीव अनाशित कूड़ा—कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के अधीन अधिसूचना संख्या—1056/11—7—18—29 (लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 में प्रतिबंधित किये गये/निषिद्ध किये गये ऐसे प्लास्टिक



कैरीबैग और ऐसी किन्हीं वस्तुओं (कप, ग्लास, प्लेट चम्मच, गिलास आदि जो एक बार प्रयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य प्लास्टिक या थर्मोकोल वस्तुओं से निर्मित हैं) के विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात में लिप्त नहीं होगा;

(2) कोई व्यक्ति झंझा-जल नालियों, मार्ग-खड्डों, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से सम्बन्धित खुले स्थानों और/या सार्वजनिक मार्गों के दोनों ओर सन्निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या कोई अन्य प्रकार का अपशिष्ट निक्षेपित नहीं करेगा या नहीं बिखेरेगा;

(3) कोई नगरीय स्थानीय निकाय या अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा-तंत्र, किसी खुले वाहन में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को संग्रहीत या अंतरित नहीं करेगा;

37-सफाई : कोई व्यक्ति,-

(क) किसी प्रयोजन से विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित सार्वजनिक सुविधा/प्रसुविधा स्थलों से भिन्न किसी सार्वजनिक स्थल, पर स्नान नहीं करेगा, नहीं थूकेगा, पेशाब नहीं करेगा, मल त्याग नहीं करेगा, वाहनों/बर्तनों की धुलाई नहीं करेगा, पशुओं/चिड़ियों के समूह को चारा नहीं देगा अथवा उनके बीट/मल गिरने नहीं देगा अथवा किसी प्रकार का या किसी वस्तु का भंडारण नहीं करेगा;

(ख) अपने स्वयं के भवन, संगठन, वाणिज्यिक अधिष्ठानों से गंदा जल, कीचड़, विष्टा, गोबर, पेशाब प्रदूषित जल अपने स्वयं के अहाते में संग्रहीत नहीं होने देगा और न ही उसे इस रूप में सामान्य पथों पर प्रवाहित होने देगा कि वातावरण बदबू से प्रदूषित हो जाय या लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न हो जाये;

38-जनसमूह एकत्र करना,-

कोई व्यक्ति स्थानीय निकाय को कम से कम तीन कार्य दिवस से पूर्व सूचित किये बिना किसी स्थान पर एक सौ से अधिक व्यक्तियों का समारोह या जनसमूह आयोजित नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति या आयोजनकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण करने तथा अपशिष्ट संग्राहक या अभिकर्ता, जैसा कि स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को पृथक्कृत अपशिष्ट का सौंपा जाना सुनिश्चित करे। ऐसे व्यक्ति या आयोजनकर्ता और साथ ही साथ समस्त सम्बद्ध स्थानीय निकायों को समारोह आयोजित किये जाने के तत्काल पश्चात् उस क्षेत्र के सफाई को सुनिश्चित करना होगा;

39-प्रतिसंदेय सफाई जमा,-

किसी समारोह के आयोजनकर्ता को समारोह की अवधि के लिये सम्बन्धित कार्यालय में अपेक्षित जमा का संदाय करना होगा, जो यह अधिसूचित किये जाने पर कि सम्बन्धित पदाधिकारी प्राधिकारी के समाधान के अनुसार उक्त सार्वजनिक स्थल को साफ स्थित में बहाल कर दिया गया है और समारोह आयोजन के फलस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट को संग्रहीत कर लिया गया है और अभिहित स्थलों तक परिवहनकृत कर दिया गया है, समारोह सम्पन्न होने पर प्रतिसंदेय होगा;

40-अपशिष्ट का जलाया जाना,-

मार्गों के पार्श्व भागों में या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का जलाया जाना प्रतिषिद्ध है। उक्त प्रतिषेध नगरीय स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों सहित समस्त व्यक्तियों, संविदा कर्मकारों, अपशिष्ट उत्पादकों या मार्गों और पथों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छताकरण के कार्यों में संलग्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिये लागू होगा;

41-अपशिष्ट संग्रहण और पक्षेपण प्रतिषेध,-

(1) कोई व्यक्ति, वातावरण और मैदान को उसकी बदबू से प्रदूषित करने और लोक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने या यातायात को बाधित करने के लिये अपने भवन, संस्था या वाणिज्यिक अधिष्ठान से अपशिष्ट जल, कीचड़ जल, मल, गोबर, विष्टा आदि को संग्रहीत या प्रक्षेपित नहीं करेगा;

(2) यदि कोई व्यक्ति मृत पशु/जानवर या उसके आंशिक भागों को फेंककर सार्वजनिक खुले स्थलों आदि में प्रदूषण व गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो वह नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले अन्य वहन शुल्कों का संदाय करने का दायी होगा;

42-कतिपय विनिर्दिष्ट उल्लंघन की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय और/या अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्य;

(1) नगरीय स्थानीय निकाय किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस, उक्त नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट रीति से और समय में परिसर में किसी अपशिष्ट की सफाई करने की अपेक्षा करते हुए, तामील करेगा;

(2) यदि स्वामी या अधिभोगी, जिस पर नोटिस तामील की गई है, निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अवधारित शास्ति का संदाय करने का दायी होगा;

(3) यदि स्वामी या अधिभोगी, जिस पर शास्ति तामील की गई हो पन्द्रह दिन के भीतर अनुपालन करने में विफल हो जाता है, तो संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय उक्त परिसर में प्रवेश कर सकता है और नियमावली के अनुसार उक्त अपशिष्ट की सफाई कर सकता है तथा स्वामी या अधिभोगी से अपशिष्ट क्षेपण करने के कारण अधिरोपित शास्ति के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से उपगत व्ययों की वसूली कर सकता है;

43-अपशिष्ट पृथक्करण, परिदान और संग्रहण उल्लंघनों के उपबंध-

कोई व्यक्ति,-

(क) पृथक-पृथक डिब्बों में बिना यथाविहित रीति से पृथक किये गये और भण्डारित किये गये शुष्क, आर्द्र या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्रदत्त नहीं करेगा;

(ख) नगरीय स्थानीय निकाय से समुचित रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार करण कराये बिना ठोस अपशिष्ट संग्रहीत नहीं करेगा। गैर पंजीकृत तथा अप्राधिकृत किसी विक्रेता/फेरीवाला द्वारा अपशिष्ट संग्रहण किया जाना प्रतिषिद्ध है और कोई व्यक्ति, नगरीय स्थानीय निकाय या उसके प्राधिकृत अभिकरण द्वारा नियमित द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिये अभिनियोजित अपशिष्ट उत्थापकों की कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा;

(ग) यथा विनिर्दिष्ट रूप से पृथक्कृत न किये गये सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को प्रदत्त नहीं करेगा;

(घ) यथा विनिर्दिष्ट रीति से पृथक्कृत न किये गये उद्यान अपशिष्ट और वृक्ष कांट-छांट समकर्तनों को प्रदत्त नहीं करेगा;

(ङ) यथाविहित रूप में पृथक्कृत न किये गये मत्स्य, कुक्कुट और मांस अपशिष्ट को प्रदत्त नहीं करेगा;

(च) कोई थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता इस नियमावली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, सन्निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अंतर सीमा संचालन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति से अपृथक्कृत अपशिष्ट का भंडारण और परिदान नहीं करेगा;

(छ) यदि कोई भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह कार्यस्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट डिब्बों को उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समूह विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना दिये जाने हेतु उत्तरदायी होगा;

44-नालियों/मल नालियों/सोखने वाले गड्ढों से संबंधित उपबंध,-

कोई व्यक्ति,-

(क) निजी नालियों/मल नाली प्रणालियों से झंझा जल नालियों, मार्ग, खुली भूमियों, जलाशयों, जल मार्गों, कृषि भूमि या किसी अन्य गैरे अभिकल्पित अवस्थानों में घरेलू मल/मल जल/बहिःस्त्रावों को उन्मोचित नहीं करेगा या उन्मोचित नहीं करने देगा;

(ख) नाली/सार्वजनिक मल-नाली प्रणाली को क्षतिग्रस्त करने की सम्भावना या उक्त के प्रवाह में बाधा/व्यवधान उत्पन्न करने की सम्भावना वाली किसी वस्तु/द्रव्य को अन्तर्प्रवाहित नहीं होने देगा;

(ग) खुली नालियों और/या प्रवेश विवरों में कोई द्रव्य जमा नहीं करेगा या जमा नहीं करने देगा जिससे कि मल-नाली प्रणाली में अवरोध/गतिरोध उत्पन्न हो सके। यह उपबंध भू-तल टैंकों से निकाले गये गाढ़ा कीचड़ और उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा उत्सर्जित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट आदि को निक्षेपित करने हेतु खुली नालियों में पथ सफाई को निक्षेपित करने वाले नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारी वर्ग पर भी यह लागू होगा;

(घ) आवश्यक विहित उपचार करने के पूर्व औद्योगिक बहिःस्राव विशेष रूप से किसी उद्योग, घरेलू उद्योग, वधशाला और मांस बाजार, दुग्धशाला, पशुबाड़ा, कार्यशाला या गैरेज के क्रिया-कलापों से सम्बंधित किन्हीं अन्य बहिःस्रावों को सार्वजनिक मल-नाली/नालों में उन्मोचित नहीं करेगा या उन्मोचित नहीं करने देगा;

(ङ) समुचित सुरक्षात्मक उपकरण तथा सुरक्षा उपायों के बिना किसी कर्मचारी/ टेकेदार/अभिकर्ता को मल, मलवहन या गाढ़ा कीचड़ से संबंधित कार्य हाथ से करने की अनुज्ञा नहीं देगा;

(च) जल मार्गों, नालों, खुली भूमि, कृषि क्षेत्र या किसी अन्य गैर अभिहित स्थल पर भू-तल टैंकों से गाढ़े कीचड़ से बहने वाले बहिःस्रावों को उन्मोचित नहीं करेगा किन्तु अभिहित मल कीचड़/मल वहन संयंत्रों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विहित स्थल पर निर्माचित करेगा;

(छ) किसी कर्मकार को इस नियमावली या किसी विहित नियमावली/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन यथाविहित रूप में उसे उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये बिना किसी मल वहन प्रवेश विवर में नहीं नियोजित करेगा या नहीं लगायेगा;

(ज) अपने स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन परिसरों के अन्तर्गत कोई जलावरोध, प्रवाहहीनता/अपशिष्ट क्षेपण/अस्वास्थ्यकर स्थितियों/अस्वच्छ स्थितियों/भंजन आदि को नहीं करने देगा, जो विषाणुजनन के वाहक या कारण हो सकते हैं;

नगरीय स्थानीय निकाय को, अपने क्षेत्र में जनित मल वहन का उपचार स्थायी आधार पर करना चाहिए। जब तक उपरोक्त की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक नगरीय स्थानीय निकाय को जैव-उपचार/वानस्पति उपचार/निर्मित आर्द्र भू-प्रौद्योगिकी/ऐसी अन्य प्रौद्योगिकीय को अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी नाला का कोई गैर उपचारित मल वहन अपशिष्ट किसी नदी या जलाशय में न पहुंचे;

नगरीय स्थानीय स्थानीय निकाय के पास विभिन्न स्रोतों यथा केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/किसी अन्य निधि से उपलब्ध निधियों के व्यय किये जाने में टोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय प्रथम वरीयता होगी;

45-अन्य प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप,-

निम्नलिखित क्रिया-कलाप नहीं किये जायेंगे,-

(क) किसी विक्रेता/फेरी वाले के द्वारा विक्रय-स्थल पर अपृथक्कृत जैव नाशित तथा अन्य अपशिष्ट नहीं रखे जायेंगे;

(ख) यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता, एक सौ से अधिक व्यक्तियों का कोई समारोह या जनसमूह आयोजित करता है, उस समारोह के समाप्त होने के चार घंटे से अधिक समय के पश्चात् उस स्थल को गंदा या अस्वच्छ छोड़ देता है;

(ग) यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, परिवार, समिति और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तागण निकाय क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत अपशिष्ट क्षेपित करते हुए या जमा करते हुए पाये गये ऐसे व्यक्ति, परिवार, समितियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तागण पर विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा;

(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र के बाहर के पार्श्ववर्ती और पड़ोसी ग्राम/ग्राम पंचायतें नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं तो ऐसे पार्श्ववर्ती और पड़ोसी ग्राम/ग्राम पंचायतें विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा;

(ङ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय या उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये यानों, पात्रों, टेला-गाड़ियों, सामग्री प्राप्ति सुविधा यंत्रों तथा उपकरणों सहित कोई अवसंरचना बिना अनुज्ञा के हटाता है;

(च) नदियों/जलाशयों/नालों/कैचमेंट क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण;

**अध्याय—ग्यारह**  
**शास्ति एवं स्थलीय जुर्माना**

46—स्थलीय जुर्माना :

(क) कूड़ा—कचरा जनित होने और लोक उपताप की स्थिति होने के विषयगत इस नियमावली के उल्लंघन पर अनुसूची दो के अनुसार उपताप संसूचक अथवा कोई कर्मचारी/अभिकर्ता/प्रवर्तन कार्यबल के सदस्य और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को स्थलीय जुर्माना उद्ग्रहीत करने की शक्ति होगी;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा मौके पर जुर्माना नहीं दिये जाने की दशा में वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन अभियोजित किये जाने के लिए दायी होगा/होगी;

47—इस नियमावली के उल्लंघन पर उद्ग्रहीत शुल्क,—

(क) जो कोई इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा इस नियमावली के अधीन किये गये किन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुसूची—दो में यथा वर्णित जुर्माना का संदाय करने के लिये दायी होगा। इस नियमावली के क्रम में अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना किसी अन्य विधि अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निदेषों/जुर्माने के प्राविधानों के अतिरिक्त होगा;

(ख) प्रशमनीय प्रभार—इस नियमावली के उपबंधों को भंग करते रहने की दशा में प्रतिदिन व्यतिक्रम के लिये समान धनराशि का शुल्क अथवा प्रतिदिन 100 रूपये, जो भी अधिक हो, मूल जुर्माने के अतिरिक्त उद्ग्रहीत किया जायेगा;

(ग) उपरोक्त के अनुपालन हेतु किसी सफाई कर्मी या पर्यवेक्षक को यदि समुचित उपकरण और संसाधन नहीं दिये गये हैं तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सफाईकर्मी एवं पर्यवेक्षक इस नियमावली की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर उपकरण आदि की अपनी मांग नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी के समक्ष रखेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय आवश्यक उपकरण मांग प्राप्त होने के यथा संभव 30 दिन की अवधि में उपलब्ध कराएगा;

(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकायों के कोई कर्मचारी, किसी संग्रहण या परिवहन स्थल पर पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को मिश्रित करते हैं या विनिर्दिष्ट समय सीमा के दौरान ठोस अपशिष्ट को उठाने में विफल रहते हैं अथवा अन्यथा इस नियमावली और एस.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध शास्तियों, अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, वेतनों से कटौतियों सहित समुचित कार्यवाही करनी होगी;

(ङ) यदि कोई अभिकर्ता एस.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 और या इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगरीय स्थानीय निकाय के पास यह शक्ति होगी कि वह अभिकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यवाही करे,—

(एक) अभिकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त शास्ति अधिरोपित करना;

(दो) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के साथ संविदा या प्रबंधन को समाप्त करना जिसमें रियायत करार को रद्द किया जाना सम्मिलित है;

(तीन) इस नियमावली, एस.डब्ल्यू.एम. नियम और/या लागू विनियमावली के अधीन कोई ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन या प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र संचालित करने हेतु किसी लाइसेंस को निलंबित किया जाना या प्रतिसंहत किया जाना;

(च) नगरीय स्थानीय निकाय, यथा स्थिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1860, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए इस नियमावली के अधीन किसी कार्रवाई के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के अधीन समुचित कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(छ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा और उसकी ओर से स्थलीय जुर्मानों और शुल्कों के रूप में संग्रहीत समस्त धनराशियों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन निधियों के लिए अनुरक्षित किसी पृथक बैंक खाता में अन्तरित की जायेगी। ये धनराशियाँ इस नियमावली के अधीन ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय की लागतों हेतु ही प्रयुक्त की जायेंगी;

(ज) शास्ति/स्थलीय जुर्माने मुख्यतः इस नियमावली में किये गये उपबंधों को प्रवर्तित करने हेतु आशयित हैं और इस प्रकार इसका वाचन राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य विद्यमान नियमों/अधिनियमों/उपबंधों के अतिरिक्त किया जायेगा;

### अध्याय—बारह

#### प्रकीर्ण

48—सरकारी विभागों/निकायों के साथ समन्वय,—

(1) नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी अभिकरणों विभागों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना होगा;

(2) क्रियान्वयन का पुनरीक्षण—नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा मासिक रूप से अनुश्रवण, मूल्यांकन और दक्षतामापन (बेंचमार्किंग) हेतु सत्यापित किये जाने योग्य लक्ष्य को निरूपित किया जायेगा, जिन्हें पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट/जिला एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा;

(3) नियमों का पुनरीक्षण नगर विकास विभाग द्वारा किसी मामले में, जैसा और जब आवश्यक हो, यदि इस नियमावली के उपबंधों में कोई संशोधन या उनका अद्यतनीकरण किया जाना अपेक्षित हो तो तदनुसार पुनरीक्षण और निर्धारण किया जायेगा। पुनरीक्षण व निर्धारण प्रत्येक 03 वर्ष में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार उसके पहले भी किया जायेगा;

(4) कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो नगर विकास विभाग आदेश द्वारा ऐसे उपबंध करेगा या ऐसे निदेश देगा, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो;

(5) निरसन और व्यावृत्ति—सुसंगत नियमावली के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाई के होते हुए भी उक्त नियमावली से पूर्व में कृत या उपयुक्त किसी बात या पूर्व में अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या तत्सम्बन्ध में किसी उपाय या कार्यवाही या किसी ऋण शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग के किसी निर्माचन या उससे निर्मुक्ति, या पूर्व में स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, प्रवर्तन या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;

आज्ञा से

डा० रजनीश दुबे  
अपर मुख्य सचिव

### अनूसूची —एक

#### अपशिष्ट का वर्गीकरण

अपशिष्टों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जायेगा,—

- (1) "राख" में काष्ठ, कोयला, काष्ठ कोयला, कोक और गृहों तथा संस्थाओं में खाना पकाने तथा गर्म करने हेतु प्रयुक्त अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट सम्मिलित होते हैं। इसमें बारीक पाउडरनुमा अवशिष्ट, अंगार और खंगर भी सम्मिलित होते हैं, जो प्रायः धातु और कांच के छोटे-छोटे टुकड़ों से मिश्रित होते हैं;
- (2) "जैव-नाशित अपशिष्ट/आर्द्र अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसी किन्हीं कार्बनिक सामग्रियों के अपशिष्ट से है जो किसी युक्ति-युक्त समयावधि के भीतर सूक्ष्म-जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित किये जा सकते हैं और जिनमें ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे यथा—चाय पत्तियां अण्डों के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके, पका हुआ खाद्य पदार्थ थाली अपशिष्ट, मांस और अस्थियां, उद्यान और पत्तियों का कूड़ा-कचरा फूल, पशु-मल, दूषित कागज, घर की सफाई के बाद धूल, नारियल के छिलके, राख आदि;
- (3) "जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट" में ऐसा कोई अपशिष्ट सम्मिलित होगा, जो मानव या पशु रोग-निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या तत्सम्बन्धी क्रिया-कलापों के शोध में या जैव नाशित सामग्रियों के निर्माण या परीक्षण

- में या स्वास्थ्य शिविरों में और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में या जैसा कि तत्सम्बन्धी किरसी संशोधन में अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट रूप में परिभाषित हो, उत्सर्जित हो;
- (4) "उद्यान और उद्यान कृषि थोक अपशिष्ट" में सार्वजनिक या निजी पार्को, उद्यानों, यातायात स्थलों, बंगलों, थोक उत्सर्जकों यथा आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, समितियों या उद्यान या वृक्ष युक्त परिसर वाले संस्थाओं के थोक जैव नाशित अपशिष्ट सम्मिलित हैं और जिसमें घास कतरन, खरपतवार, काष्ठवत, ब्राउन, कार्बन युक्त सामग्रियाँ यथा छटाई, शाखायें, टहनियाँ, काष्ठ कतरन, पुआल या सूखी पत्तियाँ और वृक्ष की कतरनें, जिन्हें दैनिक जैव-नाशित अपशिष्ट द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता है, सम्मिलित हैं;
- (5) "बड़े/भारी आकार अपशिष्ट" में वाणिज्यिक/आवासीय अपशिष्ट सम्मिलित हैं जो अपनी मात्रा, रूपरेखा, आकार या परिमाण के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण की राय में, नगरीय स्थानीयनिकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये दैनिक द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं हैं अर्थात् फर्नीचर, टी0वी0 तथा फ्रीज आदि;
- (6) "ज्वलनशील अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अनाशित, गैर पुनर्चक्रिय, गैर पुनः उपभोज्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है, जिसका कैलोरिक मान न्यूनतम 1500 किलो कैलोरी प्रति किलो ग्राम से अधिक हो जिसमें क्लोरिनेटेड सामग्रियाँ यथा प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि सम्मिलित न हो;
- (7) "वाणिज्यिक अपशिष्ट" में कार्यालयों, थोक और फुटकर स्टोरों, भोजनालयों, बाजारों, भण्डारों और किन्हीं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों में संलग्न अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठानों से उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित हैं। इन अपशिष्टों में कूड़ा-कचरा और कूड़ा-करकट सम्मिलित है;
- (8) "वाणिज्यिक या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" में परिसंकटमय रसायनों से संदूषित अपशिष्ट और घरेलू तथा वैयक्तिक स्तर पर उत्सर्जित संक्रामक अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे,—
- (क) घरेलू मार्जक  
— अपवृषक चूर्ण  
— अमोनिया और अमोनिया-आधारित मार्जक  
— क्लोरीन ब्लीच  
— नाली खोलने वाले पदार्थ
- (ख) मोटरवाहन से संबंधित उत्पाद:—  
— ब्रेक और ट्रांसमिशन प्लूड्स  
— कार की बैटरियां  
— ईंधन-जैसे प्रयुक्त हो चुका डीजल, केरोसीन और गैसोलीन  
— व्यर्थ हो चुका इंजन ऑयल और लुब्रीकेटिंग ऑयल  
— ऑयल फिल्टर और कार केयर उत्पाद एवं उपभोग्य उत्पाद
- (ग) पेंट उत्पाद  
— इन्वैमल  
— तेल आधारित, लेटेक्स या जल आधारित पेंट  
— पेंट सॉल्वेंट्स और थिनर्स  
— तेल, चिपकने वाले पदार्थ और उनके खाली डिब्बे
- (घ) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट : जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट परिव्यक्त और पुरानी दवाइयाँ और साइटोटोक्सिक दवाइयाँ, तरल पदार्थ और गोलियाँ, इंजेक्शन, सूइयाँ, सिरिज, छूरियाँ, ब्लेड्स और दोनों प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार उपकरणों सहित पंचर या घाव करने वाले धारदार उपकरण, थर्मामीटर और द्रव्य सहित मर्करी रक्त तथा शारीरिक द्रव्यों से संदूषित वस्तुएं यथा रूई, पट्टियाँ, दूषित प्लास्टर प्रक्षेप, अस्तर, चादर या रक्त से संदूषित अन्य सामग्री, ट्यूब्स नाल-शलाकाएं आई0वी0 आदि सम्मिलित हैं;
- (ङ) विविध उत्पाद :  
— सौन्दर्य प्रसाधन सम्बन्धी उत्पाद

- बैटरी और बटन सेल्स
  - फोटोग्राफिक ऑडियो/विडियो टेप और उनके रखने वाले डिब्बे और रासायनिक
  - ट्वायलेट साफ करने के लिए प्रयुक्त एसिड
  - कीटनाशक, शाकनाशक और चींटी, काकरोच और मच्छर मारने वाले रसायन और उनके खाली डिब्बे।
  - रासायनिक खाद
  - हल्के बल्ब, ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प्स (सी0एफ0एल0)
  - एयरोसोल के डिब्बे
  - स्टायरोफोम और साफ्ट फोम पैकेजिंग
- (9) "निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट" का तात्पर्य संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई क्रियाकलापों, खुदाईकरण या गाद हटाये जाने संबंधी क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाले अपशिष्ट से है। इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ संरचनाओं का तात्पर्य सभी प्रकार के भवनों (दोनों आवासीय और गैर आवासीय), उपयोगिताओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मानव निर्मित किसी अन्य प्रकार की संरचना से है। निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट में ईंट, कंक्रीट, मलबा और अन्य चुनाई संबंधी सामग्रियां, मिट्टी, वृक्ष, किसी प्रकार की वनस्पति, चट्टान, काष्ठ (जिसमें चित्रित, उपचारित जड़ित काष्ठ और काष्ठ उत्पाद सम्मिलित हैं), भू-सफाई अपशिष्ट, भित्ति आवरण, प्लास्टर, शुष्क भित्ति प्लंबिंग के साज-समान, गैर-परिसंकटमय विद्युत्संयोजन, छतकरण, जलरोधी सामग्रियाँ और अन्य छतावरण, डामर, खड्डंजा, प्लास्टिक, कागज, जिप्सम बोर्ड, विद्युत् वायरिंग और संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त गैर परिसंकटमय सामग्रियों, पाइपों, स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य गैर परिसंकटमय धातुओं से अन्तर्विष्ट संघटक सम्मिलित हैं। किन्तु निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम-2016 के अधीन यथा परिभाषित कोई परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथा परिभाषित ई-अपशिष्ट सम्मिलित है को सम्मिलित नहीं किया जायेगा भले ही वे संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई संबंधी क्रियाकलापों के फलस्वरूप जनित हुये हों;
- (10) "मृत पशुओं" में ऐसे पशुओं की काया और अस्थियां सम्मिलित होंगे जो प्राकृतिक रूप में मृत हो जाते हैं या जिनका आकस्मिक रूप में वध कर दिया जाता है। इसमें वधशालाओं, कसाईबाड़ों और मांस बाजारों आदि के शव और पशुअंग सम्मिलित नहीं हैं;
- (11) "वधशाला/मांस/चिकन अपशिष्ट" में वधशालाओं, मांस, मत्स्य और चिकन स्टॉलों तथा बाजारों से जनित अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
- (12) "ई-अपशिष्ट" का तात्पर्य उत्सर्जनकर्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप में उत्सर्जित और साथ ही साथ विनिर्माण, निर्माण और मरम्मत प्रक्रियाओं से कूड़ा-करकट के रूप में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण सम्बन्धी अपशिष्ट से है, जो समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यथा परिभाषित हैं;
- (13) "परिसंकटमय अपशिष्टों" में ऐसे कोई अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनसे अकेले या अन्य अपशिष्टों या द्रव्यों के सम्पर्क में आने पर उनकी अपनी भौतिक, रासायनिक, प्रतिकारात्मक विष जनित, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी विशेषताओं में से किसी विशेषता के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरा उत्पन्न हो या उत्पन्न होना संभाव्य हो और इनमें परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 या उसके किसी संशोधन में परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट सम्मिलित है;
- (14) "घरेलू/आवासीय अपशिष्ट" में घरेलू क्रिया-कलापों के फलस्वरूप एकल और बहु परिवार वाली इकाइयों से उत्सर्जित अपशिष्ट अथवा घरेलू पारिवारिक क्रियाकलापों यथा खाना बनाना, सफाई मरम्मत शिकरा, सजावट, रिक्त पात्र, पैकेजिंग, पहनावा पुस्तक, लेख-पत्र, समाचार-पत्र, उपस्कर, टेलीवीजन, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि उत्पादों से सम्बन्धित अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;

- (15) "औद्योगिक अपशिष्ट" में उद्योग के लिये अनोखें विशाल श्रेणी के पदार्थों से युक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं और औद्योगिक संक्रियाओं से निकली ठोस सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें लघु औद्योगिक संयंत्रों के ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका भू-भराई केन्द्रों पर प्रायः निस्तारित किये जाने वाले संयंत्रों की राख भी सम्मिलित होंगे;
- (16) "अक्रिय अपशिष्ट" में ऐसा कोई ठोस अपशिष्ट अथवा अवशेष सम्मिलित है जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशिष्टताएं उसे सेनेटरी लैंडफिल हेतु उपयुक्त बनाता है;
- (17) "संस्थागत अपशिष्ट" में ऐसी संस्थाओं यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों सार्वजनिक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और शोध संगठनों आदि से उद्भूत होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
- (18) "तरल अपशिष्ट" में मल वहन तरल अपशिष्ट और गाढ़ा मल अपशिष्ट सम्मिलित होगा;
- (19) "नगर पालिका अपशिष्ट" में नगर पालिका प्राधिकरण के क्रियाकलापों और उसकी सेवाओं के फलस्वरूप होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित हैं और इनमें सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने वाले अपशिष्ट यथा पथ अपशिष्ट, मृत पशु तथा बाजार अपशिष्ट भी सम्मिलित हैं;
- (20) "जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अनाशित सामग्री से निर्मित और सूक्ष्म जीवों या जैविकीय प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त समयावधि के भीतर या किसी प्रवर्तित विधि द्वारा यथा विहित अवधि के भीतर सरलतर स्थायी योगिकों के रूप में क्षय न होने योग्य, लम्बी समयावधि तक पर्यावरण में रहने वाले कूड़ा या अपशिष्ट से है;
- (21) "प्लास्टिक अपशिष्ट" का तात्पर्य प्लास्टिक से निर्मित ऐसे किसी उत्पाद से है जिसे उपयोग करने के पश्चात् या जिसकी वांछित आयु समाप्त होने के पश्चात् परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 में विहित किया गया हो;
- (22) "पूजा सामग्री" का तात्पर्य किसी जैव नाशित या जैव अनाशित सामग्री, मूर्ति या किसी संस्कृति या धर्म पूजा में प्रयुक्त सामग्रियों से है;
- (23) "पुनर्चक्रिय अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट सामग्री से है जो नैसर्गिक रूप में पुनर्चक्रिय हो जिसमें निम्नलिखित अपशिष्ट सम्मिलित हैं किन्तु वे वहीं तक सम्मिलित नहीं हैं;
- (क) कागज उत्पाद-समाचार-पत्र, कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट, लेख-पत्र, लिफाफे, कार पार्क कूपन, विवरणिकायें, पम्पलेट, मैगजीन, पुस्तकें, दफती और कागज पैकेज (यथा धान्य डिब्बे और पेय पेटियों) खाद्य कागज आवरण और अन्य कागज उत्पाद;
- (ख) धातु उत्पाद-धातु निर्मित डिब्बे या पात्र यथा मृदु पेय डिब्बे, दुग्ध पाउडर डिब्बे तथा खाद्यान्न डिब्बे;
- (ग) प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद-प्लास्टिक निर्मित बोतल या पात्र यथा प्रक्षालक पात्र, दुग्ध पात्र, मिनरल वाटर बोतलें, मृदु पेय बोतलें, जूस बोतलें, प्लास्टिक पैकेजिंग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद किन्तु जिनमें स्टाइरोफोम, डिस्पोजेबुल कटलरीज, क्राकरी और पोलिथीन कैरीबैग सम्मिलित नहीं हैं;
- (घ) कांच उत्पाद-जार, बोतल, खिड़की कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, सरामिक तथा मत्स्य टैंक, जिनमें लाइट बल्ब सम्मिलित नहीं हैं;
- (ङ) कपड़े, चर्म, रेक्सीन;
- (च) काष्ठ उत्पाद;
- (24) "अवशिष्ट अपशिष्ट" का तात्पर्य सामग्री प्रति प्राप्ति, ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उपचार या प्रसंस्करण सुविधा स्थलों, जो पुनर्चक्रण या अग्रतर प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त न हों किन्तु जो भू-भराई हेतु उपयुक्त हों, से उत्सर्जित अपशिष्टों तथा कूड़ा-करकटों से है और वे उनमें सम्मिलित हैं;
- (25) "मल अपशिष्ट" में मल प्रक्षालन नैफिन, तौलिया, फाहा, कन्डोम, डायपर्स तथा मलरोधी पैड/चादर संबंधी अपशिष्ट तथा अन्य समान अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
- (26) "ठोस अपशिष्ट" का तात्पर्य मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक/आवासीय संस्थागत अपशिष्ट, खानपान तथा बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, पथ सफाई संबंधी अपशिष्ट, भू-पृष्ठ स्थित नालियों से निकाले गये या संग्रहीत किये गये गाद, उद्यान अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट और औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को अपवर्जित करते हुए उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, अनुपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर जनित या लाये गये अपशिष्ट सहित ऐसे ठोस या अर्द्ध ठोस अपशिष्ट से है, जिसमें वे सम्मिलित हैं;
- (27) "पथ सफाई" में ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे जो पथां, पगडण्डियों, वीथिकाओं, पार्कों और रिक्त भू-भागों से संग्रहीत हों;



## अनुसूची दो

अपराध/उल्लंघन शास्ति/स्थलीय जुर्माना शुल्क

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	
कूड़ा फैलाने/उपताप करने/स्वच्छ आंगन उपताप करने के प्रत्येक दृष्टांत/कृत्य हेतु शास्ति/स्थलीय जुर्माना निम्नलिखित रूप में उद्ग्रहीत किया जायेगा:-						
1	किसी पात्र या आधान में जो की इस हेतु विनिर्दिष्ट किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में ऐसे विनिर्दिष्ट रूप से संसूचित पात्र/स्थल जोकि इस हेतु रखा गया हो अथवा विनिर्दिष्ट हो के अतिरिक्त किसी अन्य सार्वजनिक स्थल या निजी स्थल पर अपशिष्ट क्षेपित करना, निक्षेपित करना, उन्मोचित करना, उसे फैलाना या बेकार छोड़ना अथवा ऐसे अपशिष्ट को क्षेपित, उन्मोचित, बिखेरित या मोचित कराना या कराने को अनुमन्य होने देना। इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित नहीं हैं:-					
	क	कोई अध्यासित खुली या रिक्त भूमि, खेल का मैदान या उद्यान	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
	ख	किसी जल स्रोत के किनारे पर या फिर जलीय प्रणाली में यथा-नदी, जल मार्ग, सीवर, झंझा जल नाले	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	(इसमें पूजा सामग्री को प्रवाहित करना, फेंकना, सम्मिलित है।)				
ग	सार्वजनिक पथ या निजी पथ अथवा किसी ऐसे खाली मैदान पर जो किसी पथ, सड़क, फुटपाथ, सड़क डिवाइडर इत्यादि के पास हो	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
घ	शैक्षणिक संस्थायें, चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी संस्थायें, धार्मिक स्थल, विरासतीय इमारतें	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये
2	जान-बूझकर अपने परिसर/संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी आदि को इस प्रकार रखना, जमा करना अथवा, रखने/जमा करने देना जिससे वह 24 घंटे से अधिक समय तक उक्त परिसर में जमा रहे।	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
3	नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर वाहन चलाते समय या फिर खड़े वाहन से या फिर किसी वाहन से यात्रा करते समय किसी सार्वजनिक या निजी सड़क या किसी सार्वजनिक या निजी परिसर में अपशिष्ट फेंकना/डालना। किसी ऐसे वाहन का चालक अपने वाहन के किसी भी यात्री को थूकने या फिर इस तरह से अपशिष्ट फेंकने या जमा करने नहीं देगा।	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
4	क	प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बिक्री में लिप्त होना जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित हैं।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।		
	ख	प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित हैं।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।		
5	थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ना जमा करना जिससे कूड़ा-कचरा का बिखराव हो।	250 रुपये	150 रुपये	100 रुपये	50 रुपये
6	किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन करना/उसे मिट्टी के अन्दर दबाना या फिर उसका दहन करने/मिट्टी के अन्दर दबाने का प्रयास करना या दहन करने या मिट्टी के अन्दर दबाने के माध्यम से	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये

विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
<p>किसी मार्ग के किनारे, एकत्र स्थलों या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण करना। यह प्रतिषेध समस्त प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होगा, जिनमें सफाई कर्मचारी या नगरीय स्थनीय निकाय के अन्य कर्मचारी, संविदाकर्मचारी, अपशिष्ट उत्पाक या सड़क, पथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छता कार्य में संलग्न कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है।</p>				
<p>7 बिना ढंके (अनकवर्ड) हुए किसी ट्रक या अन्य किसी वाहन को चलाना या उसको एक स्थान से दुसरे स्थान पे ले जाना जबकि उसमें अपशिष्ट/कूड़ा से भरा हो</p>	2000 रूपये	1500 रूपये	1200 रूपये	1000 रूपये
<p>8 अपने पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग करने देकर सड़कों/पार्कों/सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा करना। टिप्पणी: किसी पालतू जानवर द्वारा खुले में मल त्याग किये जाने की स्थिति में स्वामी मल को अपने घर ले जायेगा ताकि इसका निस्तारण मल वहन के माध्यम से बहाकर किया जा सके अन्यथा शास्ति उद्ग्रहीत किया जायेगा।</p>	500 रूपये	300 रूपये	200 रूपये	100 रूपये
<p>9 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या किसी प्रकार के अपशिष्ट को झंझा-जल नालियों, सड़क के फुटपाथ, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित खुले मैदानों और/या सार्वजनिक</p>	3000 रूपये	2500 रूपये	1500 रूपये	1000 रूपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	मार्गों के किनारे जमा करना या फैलाना				
अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा पृथक्करण, परिदान और संग्रहण किये जाने संबंधी उपबंध					
10	अपृथक्कृत रूप से शुष्क, आर्द्र और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का परिदान किया जाना/सौंपा जाना और अपशिष्ट पृथक डिब्बों में न रखना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये प्रति माह विहित प्रयोक्ता शुल्क के अतिरिक्त शास्ति की धनराशि प्रति माह प्रभारित की जायेगी)	200 रुपये प्रतिमाह	150 रुपये प्रतिमाह	100 रुपये प्रतिमाह	50 रुपये प्रतिमाह
11	निर्माण एवं विध्वंस थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपृथक्कृत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	2000 रुपये	1200 रुपये	750 रुपये	500 रुपये
12	अपृथक्कृत उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छाल और कतरनों का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	200 रुपये	100 रुपये	75 रुपये	50 रुपये
13	अपृथक्कृत मत्स्य, कुक्कुट, और मांस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शास्ति की धनराशि प्रभारित की जायेगी।)	750 रुपये प्रतिमाह	500 रुपये प्रतिमाह	300 रुपये प्रतिमाह	150 रुपये प्रतिमाह
14	किसी थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण तथा परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति सप्ताह शास्ति की धनराशि प्रभारित की जायेगी।)	1000 रुपये प्रति सप्ताह	750 रुपये प्रति सप्ताह	500 रुपये प्रति सप्ताह	350 रुपये प्रति सप्ताह
15	नगरीय स्थानीय निकाय में बिना रजिस्ट्रीकरण और बिना प्राधिकार	500 रुपये प्रति	400 रुपये प्रति	300 रुपये प्रति	200 रुपये प्रति

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	के निकायों में अपशिष्ट संग्रहण किया जाना।	अपराध पर	अपराध पर	अपराध पर	अपराध पर
नालों/मल नालियों/सोक पिट से संबंधित उपबंध					
16	निजी नालियों/सीवर लाइनों से घरेलू मल/मल जल/बहिस्त्राव को किसी झंझा-जल नालियों, मार्गों, खुले मैदान, जल स्रैतों, जलमार्गों, कृषि भूमि, अथवा अन्य किन्हीं गैर अभिहित अवस्थानों पर प्रवाहित किया जाना या प्रवाहित किये जाने देना।	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये	100 रुपये
17	किसी ऐसे सामग्री को नाली के प्रवाह में आने दिया जाना जिससे नाली को क्षति पहुंचने की आशंका हो या फिर सार्वजनिक सीवर लाइन में उसके प्रवाह को बाधित किया जाना	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये	100 रुपये
18	खुले नालों और/या मैनहोलों में किसी ऐसी सामग्री को जमा किया जाना या जमा किये जाने देना जिसके कारण सीवर लाइनों में बाधा/जाम होने की स्थिति बने। यह उपबंध नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए भी लागू है जो खुले नालों में मार्गों की सफाई से निकला कूड़ा करकट, सेप्टिक टैंक से निकली गाद, अपशिष्ट उत्सर्जक के निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट आदि को जमा करते हैं।	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये
19	औद्योगिक बहिस्त्राव अथवा विशेष रूप से किसी उद्योग, कुटीर (घरेलू) उद्योग, वधशालाओं और मांस बाजार, दुग्धशाला और पशुपालन स्थल, कर्मशाला या गैराज के	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	क्रियाकलाप की वजह से उत्सर्जित औद्योगिक बहिष्कारों का आवश्यक विहित उपचार किये बिना उन्हें सार्वजनिक मल नालों में बहाना या बहाने देना।				
20	किसी कर्मचारी/ ठेकेदार/ अभिकर्ता द्वारा समुचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना किसी व्यक्ति को सेप्टेज, गंदे नाले, और मलकुंड में हाथ से कार्य करने देना	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये
21	अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाले परिसर में जल जमाव/अपशिष्ट क्षेपण /अस्वास्थ्यकर स्थितियों / अस्वच्छ स्थितियों/ दरार आदि होने देना, जिससे रोगवाहक विषाणु प्रजनित हो सकें अथवा उनके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हों	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये
	अन्य विनिर्दिष्ट अपराध				
22	विक्रय स्थल पर किसी विक्रेता /फेरीवाले द्वारा अपृथक्कृत जैव नाशित और अन्य अपशिष्ट रखा जाना	25 रुपये प्रतिदिन	20 रुपये प्रतिदिन	15 रुपये प्रतिदिन	10 रुपये प्रतिदिन
23	यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जक कोई ऐसा आयोजन या जमावड़ा करता है जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं और आयोजन समाप्त होने के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है।	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी
24	नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, परिवार, आवासीय सोसाइटियां	1000 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	750 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	250 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	/कालोनियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जक, यदि नगर निकाय की सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं।	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	में आयी लागत
25	नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के अंचल और सीमांत ग्राम/ग्राम पंचायतें यदि नगरीय सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं।	1000 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	750 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	250 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत
26	नगरीय स्थानीय निकाय अथवा इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा स्थापित उपकरण, वाहनों, कंटेनरों डिब्बों, हाथ-गाड़ी, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा सहित किसी अवसंरचना को क्षतिग्रस्त करना या बिना अनुज्ञा के उन्हें हटाना	2000 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/ प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	1500 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/ प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	1000 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	500 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत
27	नदियों/जलाशयों/नालों/जल ग्रहण क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण	3000 रुपये	2000 रुपये	1000 रुपये	500 रुपये
28	यदि भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला/वाले कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बे उपलब्ध नहीं कराते हैं।	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये

आज्ञा से,  
संजय कुमार सिंह यादव,  
विशेष सचिव।



No. 257/9-5-2021-162-SA/2019

Lucknow, Dated October 20, 2021

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 114, 124, 420 and 573 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, (U.P. Act no. 2 of 1959) and sections 153 and 296 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, (U.P. Act no.2 of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under subsection (1) of section 300 of the Act of 1916.

Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to, Pramukh Sachiv Nagar Vikas Vibhag, Uttar Pradesh Shasan, Room No: 824, Bapu Bhawan, Lucknow,-226001. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the Gazette.

### RULES

In exercise of powers conferred under sections 114, 124, 420, 573 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, (U.P. Act no 2 of 1959) and sections 153 and 296 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, (U.P. Act no. 2 of 1916) the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating municipal solid waste management and handling thereof and for ensuring sanitation in the area of urban local bodies in the State of Uttar Pradesh.

The Uttar Pradesh Solid Waste (Management, Handling and Sanitation) Rules, 2021

### PREFACE

The waste management and scientific disposal of waste in order to maintain good sanitation is the basic responsibility of urban local bodies. The waste management hierarchy of Reduce, Reuse, Recycle, Recover and Disposal should be prompted. The waste segregation at source and its processing closest to the time of its segregation and place of its origin is the most cost effective and practical way of waste management.

The processing and disposal of waste is a scientific problem and it should be handled scientifically using the technological solutions.

### CHAPTER I

#### GENERAL

#### 1. Short title extent, and commencement,—

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Solid Waste (Management, Handling and Sanitation) Rules, 2021. They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*;

(2) These rules shall have an overriding effect over the rules or guidelines on the subject matter, framed by any urban local body in the state to the extent of repugnancy;

(3) These rules shall prevail notwithstanding the provisions of any rules of urban local body to the contrary;

#### 2. Definitions,—

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “**agency or agent**” Agency or Agent means an entity/firm /company/NGO/CSO or any other person that is appointed or authorised by urban local body undertake any work assigned to it;

(b) “**aerobic composting**” means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in the presence of oxygen;

(c) “**anaerobic composting**” means a controlled process involving microbial decomposition/breaking down of organic matter in the absence of oxygen;

(d) “**authorisation**” means the permission given by the State Pollution Control Board to the operator of a facility or urban local authority, or any other agency responsible for processing and disposal of solid waste;

(e) “**bio-degradable waste**” means any organic material that can be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;

(f) "**bio-methanation**" means a process which entails enzymatic decomposition/ breaking down of the organic matter by microbial action to produce methane-rich biogas;

(g) "**brand owner**" means a person or company who sells any commodity under a registered brand label;

(h) "**buffer zone**" means zone of no-development to be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five tons per day (5 TPD) of installed capacity. This will be maintained within the total area allotted for the solid waste processing and disposal facility;

(i) "**bulk Waste Generator**" means and includes building occupied by the Central government departments or undertakings, state government departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadia and sports complexes, having an average waste generation rate exceeding 100kg per day; for better management of waste in it's area urban local body may add others as well in bulk waste generator's category;

(j) "**census town**" means an urban area as defined by the Registrar General and Census Commissioner of India;

(k) "**combustible waste**" means non-biodegradable, non-recyclable, non-reusable, non-hazardous solid waste having minimum calorific value exceeding 1500 kcal/kg and excluding chlorinated materials like plastic, wood pulp, *etc.*;

(l) "**composting**" means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;

(m) "**contractor**" means a person or firm that undertakes a contract to provide materials or labour to perform a service or do a job for service providing authority;

(n) "**co-processing**" means use of non-biodegradable and non-recyclable solid waste having calorific value exceeding 1500 kcal as raw material or as a source of energy or both to replace or supplement the natural mineral resources and fossil fuels in industrial processes;

(o) "**decentralised processing**" means establishment of dispersed facilities for maximizing the processing of bio-degradable waste and recovery of recyclables closest to the source of generation so as to minimize transportation of waste for processing or disposal;

(p) "**disposal**" means the final and safe disposal of post-processed residual solid waste, inert street sweepings and silt from surface drains on land to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;

(q) "**domestic hazardous waste**" means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, LED tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, *etc.*, generated at the household level;

(r) "**door to door collection**" means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, offices, institutional or any other non-residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi storied building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;

(s) "**dry waste**" means waste other than bio-degradable waste and inert street sweepings and includes recyclables and non-recyclable waste, combustible waste and sanitary napkin and diapers, *etc.*;

(t) "**dump sites**" means a land utilized by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;

(u) "**extended producer responsibility**" (EPR) means responsibility of any producer of packaging products such as plastic, tin, glass and corrugated boxes, *etc.*, for environmentally sound management, till end-of-life of the packaging products;

(v) “**facility**” means any establishment wherein the solid waste management processes namely segregation, recovery, storage, collection, recycling, processing, treatment or safe disposal are carried out;

(w) “**handling**” includes all activities relating to sorting, segregation, material recovery, collection, secondary storage, shredding, baling, crushing, loading, unloading, transportation, processing and disposal of solid wastes;

(x) “**incineration**” means an engineered process involving burning or combustion of solid waste to thermally degrade waste materials at high temperatures;

(y) “**inerts**” means wastes which are not bio-degradable, recyclable or combustible streetsweeping, or dust and silt removed from the surface drains;

(z) “**informal waste collector**” includes individuals, associations or waste traders who are involved in sorting, sale and purchase of recyclable materials;

(aa) “**leachate**” means the liquid that seeps through solid waste or other medium and has extracts of dissolved or suspended material from it;

(ab) “**materials recovery facility**” (MRF) means a facility where non-compostable solid waste can be temporarily stored by the Urban local body or any other entity or any person or agency authorised by any of them to facilitate segregation, sorting and recovery of recyclables from various components of waste by authorised informal sector of waste pickers, informal recyclers or any other work force engaged by the Urban local body or the agency for the purpose before the waste is delivered or taken up for its processing or disposal;

(ac) “**Municipal Corporation/Municipal Council/Municipality/Urban Local Body**” means the Municipal Corporation / Municipal Council / Municipality / Urban Local Body established under Municipal Corporation Act 1959 (up act no 2 of 1959) or the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916(up act no 2 of 1916);

(ad) “**non-biodegradable waste**” means any waste that cannot be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;

(ae) “**occupier**” includes,-

(a) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable; in occupation of, or otherwise using, any land or building or part thereof, for any purpose whatsoever;

(b) an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;

(c) a rent- free tenant of any land or building;

(d) a licensee in occupation of any land or building; and

(e) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;

(f) The office in charge of an establishment/office located within the jurisdiction of geographical limit of Urban Local Body;

(af) “**operator of a facility**” means a person or entity, who owns or operates a facility for handling solid waste which includes the local body and any other entity or agency appointed by the local body;

(ag) “**primary collection**” means collecting, lifting and removal of segregated solid waste from source of its generation including households, shops, offices and any other non-residential premises or from any collection points or any other location specified by the local body;

(ah) “**processing**” means any scientific process by which segregated solid waste is handled for the purpose of reuse, recycling or transformation into new products;

(ai) “**recycling**” means the process of transforming segregated non-biodegradable solid waste into new material or product or as raw material for producing new products which may or may not be similar to the original products;

(aj) **“redevelopment”** means rebuilding of old residential or commercial buildings at the same site, where the existing buildings and other infrastructures have become dilapidated;

(ak) **“refuse derived fuel”** (RDF) means fuel derived from combustible waste fraction of solid waste like plastic, wood, pulp or organic waste, other than chlorinated materials, in the form of pellets or fluff produced by drying, shredding, dehydrating and compacting of solid waste;

(al) **“residual solid waste”** includes the waste and rejects from the solid waste processing facilities which are not suitable for recycling or further processing;

(am) **“sanitary land filling ”** means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants slope instability and erosion;

(an) **“sanitary waste”** means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;

(ao) **“schedule”** means a Schedule appended to these rules;

(ap) **“secondary storage”** means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or MRFs or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;

(aq) **“segregation”** means sorting and separate storage of various components of solid waste namely biodegradable wastes including agriculture and dairy waste, non-biodegradable wastes including recyclable waste, non-recyclable combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;

(ar) **“service provider”** means an authority providing public utility services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage, etc.;

(as) **“solid waste”** means and includes solid or semi-solid domestic waste, sanitary waste, commercial waste, institutional waste, catering and market waste and other non-residential wastes, street sweepings, silt removed or collected from the surface drains, horticulture waste, agriculture and dairy waste, treated bio-medical waste excluding industrial waste, bio-medical waste and e-waste, battery waste, radio-active waste generated in the area under the local authorities;

(at) **“sorting”** means separating various components and categories of recyclable such as paper, plastic, card-boards, metal, glass, etc., from mixed waste as may be appropriate to facilitate recycling;

(au) **“stabilizing”** means the biological decomposition of biodegradable wastes to a stable state where it generates no leachate or offensive odours and is fit for application to farm land, soil erosion control and soil remediation;

(av) **“street vendor”** means any person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words “street vending” with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;

(aw) **“transfer station”** means a facility created to receive solid waste from collection areas and transport in bulk in covered vehicles or containers to waste processing and, or, disposal facilities;

(ax) **“transportation”** means conveyance of solid waste, either treated, partly treated or untreated from a location to another location in an environmentally sound manner through

specially designed and covered transport system so as to prevent the foul odour, littering and unsightly conditions;

(ay) **“treatment”** means the method, technique or process designed to modify physical, chemical or biological characteristics or composition of any waste so as to reduce its volume and potential to cause harm;

(az) **“user fee”** means a fee imposed by the local body on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services;

(ba) **“vermi composting”** means the process of conversion of bio-degradable waste into compost using earth worms;

(bb) **“waste generator”** means and includes any person or group of persons, every residential premises and non-residential establishments including State Government and Central Government establishments, which generate solid waste;

(bc) **“waste hierarchy”** means the priority order in which the solid waste is to be managed by giving emphasis to prevention, reduction, reuse, recycling, recovery and disposal, with prevention being the most preferred option and the disposal at the landfill being the least;

(bd) **“waste picker”** means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood;

2. Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act 1986 and the rules made therein, such as Solid Waste Management Rules 2016, Biomedical Waste Management Rules 2016, Plastic Waste Management Rules 2016, Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, Hazardous and Other Wastes (Management and transboundary Movement) Rules 2016 and E-Waste Management Rules 2016 etc;

## CHAPTER II

### DUTIES OF STAKEHOLDERS

#### A. SEGREGATION

#### 3. Duties of waste generators,-

(a) every waste generator including Bulk Waste Generators shall segregate and store the waste generated by them in three categories namely biodegradable, non-bio-degradable(recyclable) and hazardous (domestic or commercial) wastes(non-recyclable) in suitable bins and handover segregated wastes to authorised waste pickers or waste collectors as per the directions as notified from time to time;

(b) wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads etc., in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material as instructed by the local authorities and shall place the same in the bin meant for dry waste or non-bio-degradable waste;

(c) all shops, commercial establishments, market associations and businesses shall store segregated waste onsite;

(d) construction and demolition waste, as and when generated, shall be stored separately in own premises and the urban local body shall dispose it off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules 2016;

(e) horticulture waste and garden waste generated from premises shall be separately stored in own premises and dispose of as per the directions of the urban local body from time to time/ shall be stored in biodegradable stream and shall be taken to nearby composting plants by the urban local body;

(f) every street vendor shall keep two or three containers, as per requirement, for storage of waste generated during the course of his / her activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the urban local body;

(g) all bulk waste generators, resident welfare associations, gated communities, institutions with more than 5000 square meter area, shall in partnership with the urban local body, ensure segregation of waste at source by the generators as prescribed in rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed-off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible;

(h) waste generator shall ensure that non-biodegradable waste such as packets, food containers, boxes, bottles, tetra packs, cartons, paper cups, plates and other disposable items are cleaned, dried and then handed over to the urban local body for effective recycling;

(i) there shall be no intermixing of biomedical waste, e-waste, hazardous waste or industrial waste with solid waste, by anyone in the chain of solid waste management from the source of waste generation up to the processing facility;

(j) the residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the urban local body;

(k) the vendors, shops, commercial establishments or any other person should not use the disposal items prohibited under the Uttar Pradesh Plastic and Non-Biodegradable Garbage Regulation (U.P. Act no 29 of 2000) Act 2000 as amended in 2018;

#### **4. Duties of Poultry, Fish and Slaughter Waste (other than designated slaughter houses/market),-**

Every owner / occupier of any premises other than designated slaughter houses and markets, who generates poultry, fish and slaughter waste as a result of any commercial activity, shall store the same separately in closed, hygienic condition and deliver it at a specified time, on a daily basis to urban local body collection vehicle provided for this purpose. Deposit of such waste in any community bin is prohibited and shall attract fines as indicated in the Schedule of Fines (Schedule II);

#### **5. Duties of Vendor/Hawkers,-**

All vendors/hawkers shall keep their biodegradable and other waste segregated in bins at the site of vending. It shall be the responsibility of the waste generator/ vendor to deliver this waste duly segregated to the municipal collection vehicle of urban local body or to the nearest designated community bins. Each Vendor/hawker shall be responsible to maintain their 'Clean Angan'. If the owner or vendor fails to comply with the provisions of the rules, fine shall be imposed as per the Schedule of Fines;

#### **6. Duties in respect of Stormwater drains/Gullies,-**

(i) Every owner or occupier of the premise along which the storm water drain/gully is situated shall be responsible to ensure that no waste is dumped or thrown in it and to keep it clean. It shall be the duty of the owner or occupier of the premise to segregate and deliver any solid waste to the waste collection vehicle which shall be provided by the urban local body at such spots and at such times as may be notified by official/authority. For drains/ gully inside the premise, the occupier shall keep it clean. In case of waste accumulation in gully inside the premise, the occupier shall clean it, segregate the waste and hand it over to urban local body or deliver it at site ear marked by the urban local body;

(ii) Where owners/occupiers of such premises wish to avail of the services of the urban local body for the cleaning of the house gully, they must apply to the concerned office of the urban local body and pay suitable prescribed charges as notified by the urban local body from time to time. It shall be the responsibility of the owners/occupiers to provide access to the house gully for cleaning purposes;

(iii) It shall be the responsibility of the urban local body to keep the storm water drains/gullies of the city clean from waste and sewage;

**7. Duties of organisers of bhandara / langar,-**

Every person or group of persons organizing a bhandara or langar shall provide for bins for segregated waste at site;

**8. Responsibility of institutions owned and controlled by Government,-**

(1) Government / Semi-government, statutory bodies shall be responsible for implementation of these rules within the public premises owned or occupied by them;

(2) The urban local body and/or Department of Urban Development may, by notification, require any category of generators to segregate their solid waste into additional categories;

(3) Nothing in these rules shall affect the duty of any generator to segregate waste into additional categories under any other law for the time being in force applicable to such generator;

**B. PRIMARY STORAGE OF SOLID WASTE****9. The storage of solid waste shall be as follows,-**

(a) of every owner or occupier of private property shall maintain suitable number of refuse receptacles on their premises in the manner that garbage is not visible from public street/roads and sidewalks nor accessible to animals;

(b) of bulk waste generators or any aggregation of individual generators including multi-storied buildings, apartments, row houses, tenements, townships, hostels, parks, malls, Government or private residential colonies or societies, shops, offices, commercial establishments, airports, railways, public utilities, industries, household industries *etc.* shall provide and maintain separate receptacles of appropriate size, colour and specification for each category of segregated waste within their premises;

(c) of hawkers, vendors, kiosks, food stalls, food trucks whether permanently or temporarily situated shall provide and maintain at the place of their business at least two receptacles for dry and wet waste to avoid any littering;

**10. Storage of specific category of waste shall be done as follows,-**

(a) in respect of permissible packaging material of food wastes, shall be emptied of their food contents, before being segregated. Further, non-plastic biodegradable wastes (including food wastes) shall not be disposed of in prohibited plastic bags and it shall be disposed of in suitable garbage bags/ liner bags manufactured specifically for the disposal of non-plastic biodegradable waste;

(b) in respect of sanitary waste, all sanitary waste shall be wrapped securely as and when generated in a newspaper or suitable wrapping material or bags/ pouches as instructed by the urban local body, or provided by manufacturers or brand owners of such products to prevent any possible leakage or spillage, marked distinctively (e.g. with a red 'X' mark, or with standardised labels for diapers / napkins) and placed in the receptacle meant for dry waste in such manner as may be notified by the urban local body;

(c) in respect of domestic/ commercial hazardous waste,-

(i) All Domestic/ Commercial Hazardous Waste shall be stored, and labelled if so prescribed, in a separate bag/ receptacle as may be notified by the urban local body;

(ii) All sharps forming part of domestic hazardous waste shall be stored in a separate sharps container, as may be notified by the urban local body;

(d) in respect of construction and demolition waste, all generators shall store the segregated construction and demolition(C&D) waste within their premises in the manner prescribed under Construction and Demolition Rules 2016 and as may be notified by the urban local body, in a location convenient for delivery and collection;

(e) in respect of bulk garden and horticultural waste, all such waste shall be stored by the generators within their premises/ pick-up points/ locations specified by the urban local body in large bags, bins or heaps with adequate protection from scattering and as may be convenient for storage, delivery and collection by urban local body or any person appointed by the urban local body;

### C. SECONDARY STORAGE OF SOLID WASTE

#### 11. The storage of solid waste in the secondary storage points shall be as follows,-

(1) Segregated solid waste collected from doorsteps shall be taken to waste storage depots, community storage bins or fixed or mobile transfer stations or the locations specified by the urban local body and/or Agent for secondary storage of waste;

(2) Storage facilities shall be created and established by taking into account quantities of waste generation in a given area and the density of population. Such secondary storage points shall have covered containers of specified colours for separate storage of,-

- a. Bio-degradable or wet waste;
- b. Non-biodegradable or dry waste c. Domestic hazardous waste;

(3) Dry waste sorting centres / material recovery facilities (MRF) /recycling centres for non-biodegradable waste,-

a. In order to regulate and facilitate the sorting of the recyclable and non-recyclable waste, the urban local body shall provide for as many dry waste sorting centres/MRF or recycling centres as possible and required. Dry (non-biodegradable) waste from street /door- to-door collection system and from commercial establishments shall be transferred to these designated centres. These designated centres shall receive only dry waste. Such centres shall be fenced/screened in such a way that waste shall not be visible to passers-by;

b. These dry waste sorting centres shall be manned/operated by registered/licensed recyclers or any other Agents authorized/appointed by urban local body;

c. There shall also be a provision for the households to directly deposit or sell their recyclable dry waste to the authorized agents and/or authorized waste dealers of urban local bodies at these recycling centres at pre-notified rates. The authorized agents and/or authorized waste dealers shall be allowed to dispose of or sell the recyclable waste to the secondary market or recycling units only in consonance with the provisions of SWM Rules;

(4) Deposition centre for specified domestic hazardous waste,-

a. For the collection of domestic hazardous waste, deposition centres will be set up at suitable locations for receiving the specified domestic hazardous waste. The locations of such facility shall be publicised widely to make people aware of it for direct disposition of hazardous waste. The urban local body and/or Agent may collect domestic hazardous waste from all waste generators in segregated manner;

b. Such waste shall be transported separately to the hazardous waste disposal facility set up by the urban local body;

c. Sanitary Waste will be segregated from domestic hazardous waste at the secondary storage facilities and/or deposit centres and shall be processed through incineration;

(5) Specifications of secondary storage facilities,-

a. The urban local body and/or Agent or through outsourcing agencies shall maintain the storage facilities for solid waste in a manner that does not create unhygienic and unsanitary conditions around it;

b. Storage facilities shall be user friendly and shall be so designed that it ensures compaction of waste and that the waste stored is not exposed to open atmosphere;

c. Secondary storage facilities shall be created and established by taking into account quantities of solid waste generation in a given area or ward as per the density of population or generation of solid waste in the area;

### CHAPTER III

#### A. COLLECTION AND DELIVERY OF SOLID WASTE

#### 12. Collection and delivery of dry and wet waste shall be done as follows,-

(1) **In the case of door to door collection-** door to door collection of segregated wet and dry waste at notified timings shall be implemented and notified by the urban local body / or agency authorised by the urban local body as the case maybe within the territorial limits of the urban local body;



(2) **In the case of point to point collection-** if door to door services cannot be carried out for a specific period or the services cannot be provided for any other unforeseen reason or until the services of door to door are provided, the urban local body may notify multiple locations in every ward within its jurisdiction including locations that have been used as de-facto dumping points and install large compactor bins where citizens can deposit their segregated solid waste. The collection points shall be attended daily for clearing waste. The areas around the place where the bins or containers or compactors are placed shall also be cleaned;

(3) **In the case of collection of residual waste from in-situ processing units-** the urban local body and/or the Agency shall fix a schedule of waste collection from units/places processing waste in-situ and publish the time slots for collection in prominent parts of that area as well as the website of the urban localbody/ district NIC website. The urban local body shall maintain an updated list of all units/places that process waste in-situ that are bulk waste generators such as hotels, restaurants, office complexes, educational institutions, marriage halls, hospitals' non- biomedical waste and commercial areas within its territorial jurisdiction on their website;

(4) **In the case of collection from bulk waste generators-**in the event that it is generating 10 tons or more of Solid Waste per day, the urban local bodies and/or Agent shall set up a separate collection system for such Bulk Waste Generators including separate transportation/collection vehicles for collection of waste;

(5) **In the case of bulky waste-** the urban local body and/or the Agent shall specify one day a month for door to door collection of Bulky Waste and publish the time slots for collection in prominent parts of that area as well as the website of urban local body/district NIC website;

#### **B. Collection and Delivery of various other specific types of waste**

#### **13. Collection and delivery of various other specific types of waste shall be as follows,-**

(a) **Hazardous(Commercial / Domestic) Waste:** Such waste shall be deposited by generators at the deposition centres notified by the urban local body or it shall be delivered to or collected by the notified collection system everyday where the collection vehicle has a separate receptacle for hazardous waste or in case the collection vehicle does not have a separate receptacle for hazardous waste, the urban local body shall ensure that specific days are notified to the citizens of the area when such waste shall be collected;

(b) **E-Waste:** Generators shall ensure channelization of e-waste through collection centre / dealer or producer/ dismantler / recycler of e-waste or through the designated take-back service provider of the producer to authorized dismantler or recycler of e-waste;

(c) **Construction and demolition waste:** Generators shall be responsible for collection, segregation, storage and delivery of C&D waste generated, as per provisions of Construction and Demolition Rules 2016 and as may be directed or notified by the urban local body;

(d) **Bulk Garden or Horticultural Waste:** Generators shall be responsible for collection, segregation, storage, delivery and management of Bulk Garden and Horticultural waste as may be directed or notified by the urban local body;

(e) **Other Waste:** Bio-Medical Waste, Liquid Slaughter, Effluents, Batteries waste and such other waste of urban local body for which the urban local body has notified a separate primary collection system shall not be delivered to or collected by the notified collection system for wet and dry waste and shall be delivered by generators to collectors or agencies of such waste notified by the urban local body on payment of appropriate fees or as may be prescribed in these rules;

(f) **Hawkers, Vendors, kiosks, food stalls, and food trucks** whether permanently or temporarily situated maintaining litter bins at their place of business or generators, shall ensure delivery of segregated waste to the collection points, Community Bins, Community Containers or waste collectors/vehicles notified by the urban local body in this behalf;

#### **14. Provisions of announcement and Publication,-**

(1) Area or ward wise specific time slots including relevant day of the week for different categories of solid waste shall be notified by the urban local body and published in prominent parts of that area as well as on the district NIC website/website of the urban local body and/or the Agent as the case may be generally, the time for door to door collection of garbage will be set from 6 am to 11 am. For collection from trading establishments, shops in commercial areas or any other institutional waste generators, the urban local body may notify separate time slot;

(2) Route maps for collection including stops, starting and ending times and other relevant details shall be published and notified along with the time slots;

(3) Where the urban local body has notified a Door-To-Door Collection System, each generator shall ensure delivery of segregated solid waste to the primary collection point, i.e. door-step/ gate/ point of entry from public road or Community Bin, as may be prescribed or notified;

(4) Where the urban local body has notified a Point-To-Point Collection System, each generator shall ensure delivery of segregated solid waste into community containers or directly to waste collectors/ vehicles, as may be prescribed or notified;

(5) Automatic voice recording device, bell or horn within permissible noise levels shall be installed on every garbage collection vehicle used by waste collectors. In narrow and congested lanes and streets, waste collector/driver/helper shall use a whistle and walk through such lanes and streets to announce arrival and ensure collection;

#### **15. Additional Measures for delivery/Collection: -**

(1) The urban local body shall ensure that separate primary collection systems are established for Bio-Medical Waste, Construction and Demolition Waste, Bulk Garden or Horticultural Waste, Street Sweeping waste, litter waste and Dead Animals (pets and large animals), as may be necessary under the respective Waste Management Rules of the Central Government applicable to the urban local body;

(2) The urban local body shall notify a separate primary collection system for particular categories of generators such as Hotels and Eateries, Slaughter Houses, Dairies etc. or particular categories of waste such as E-Waste etc;

(3) No waste shall be handed over during collection in a manner that would endanger the health, of either the waste generator or the waste collector or the general public, creating a risk of traffic, harm to the environment or create a nuisance/ produce odour or result in littering;

(4) Collected segregated bio-degradable waste from residential and other areas shall be transferred to the processing plants like compost plants, bio-methanation plants or any such other facilities in a covered manner;

(5) Collected non-bio-degradable waste shall be transported to the respective processing facilities or secondary storage facilities created for recycling;

### **CHAPTER IV**

#### **COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SOLID WASTE**

#### **16. Collection and transportation of solid waste shall be as follows,-**

(a) for collection and transportation of solid waste the urban local body and/or Agent should prepare vehicle deployment plan in the manner that segregated dry waste, wet waste and hazardous waste is not intermixed during transportation;

(b) as far as possible the urban local body shall procure automated waste collection vehicles that utilize automated mechanisms to collect and dump waste thereby eliminating the need to manually lift and dump the contents. The design of the primary and secondary transportation vehicles will be such that the solid waste will not be allowed to touch ground until it reaches its final processing/disposal site and thus avoiding recurring manual handling of waste;

(c) vehicles used for transportation of waste shall be covered in such manner that the collected waste is not exposed to open environment or visible to the public or cause scattering on the road during transportation. The vehicles may also include compactors and mobile transfer stations depending upon choice of technology by the urban local body;

(d) the urban local body shall assess the number of waste collection vehicles that will be allotted to each identified ward. The ratio of number of waste collection vehicles to the number of

waste generators shall be computed every six months and in accordance with the methodology as may be specified by the urban local body from time to time;

(e) based on the quantity of waste generated within the area of the urban local body, feasibility of deploying dedicated Mobile Transfer Station or Fixed Compactor Transfer Station shall be ensured by the urban local body at specified locations to receive waste from the Auto Tippers, 3 Wheelers, Rickshaws etc. engaged in street-level and door-to-door collection of solid waste from households and commercial establishments as per the approved route plans. Design of mobile transfer station and fixed compactor transfer station shall allow unloading of waste from primary collection vehicles by consuming minimum time and without littering waste. In Municipal Corporations where wards are large in size and there is more than 10 MT per day waste generation within the ward area, the Municipal Corporation may provide a compactor in the ward for secondary collection;

(f) changing needs and advancements in technology shall be taken into consideration for selection of collection and transportation equipment and vehicles. Vehicle Tracking System / GPS shall be installed in all the vehicles deployed by the urban local body for waste collection;

## CHAPTER V

### PROCESSING OF SOLID WASTE

#### 17. Processing of Biodegradable Waste or Wet Waste,-

(1) To minimise transportation/collection cost and environmental impacts, preference shall be given to decentralized processing such as composting, bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilisation of biodegradable waste. Wherever applicable, for bio-degradable waste, preference shall be given for in-situ processing of such waste;

(2) The urban local body shall enforce that markets dealing with vegetables, fruits, flowers, meat, poultry and fish waste while processing bio-degradable waste ensure hygienic conditions;

(3) **In-situ processing:** Bulk waste generators of bio degradable waste shall setup and maintain their own wet waste processing facilities in accordance with the conditions laid down in license/permission obtained from the urban local body within 90 days to the notification of these rules;

(4) It shall be mandatory for the waste generators mentioned in table below to set up and maintain their own wet waste processing facility in accordance with the conditions laid down in the license/authorization obtained from urban local body,-

**TABLE**

	<b>Type of Generators</b>	<b>Quantity of waste generated</b>
1	Hotels, restaurants and other eateries	More than 100 kg. Daily or all three star and higher category hotels.
2	Marriage halls, trade fairs, party plots, community halls, clubs	More than 100 kg. Daily or during events.
3	Slaughter houses, chicken, fish and mutton shops	More than 50 kg. daily (either single outlet or collectively from multiple outlets owned by a single owner).
4	Hospitals and other health care institutions	Operating more than 20 beds or generating more than 100 kg. of wet waste daily.
5	Industrial areas	Generating more than 50 kg. daily
6	Private Gardens/ Public Parks	More than 50 kg. of garden waste daily
7	Dairy and cattle sheds	All dairy and cattle sheds
8	All gated communities and institutions with more than 5000 square meter area	All waste generated within the premise.

(5) Where such generators are not in a position to set up such facilities due to land constraint, they may deliver the biodegradable waste to the urban local body and/or Agent. The generators shall be required to pay applicable/additional user fees based on the quantity of waste generated and delivered;

(6) The Municipal Commissioner/Executive Officer may at her/his discretion extend the requirement of processing biodegradable waste to any other category of generators within the jurisdiction of the urban local body;

(7) The urban local body shall undertake periodic checks and inspections to ensure that such on-site processing facilities are established, operational and are processing the entire wet- waste generated by the generator in accordance with any standards laid down in this behalf. In case of failure to establish, operate properly or comply with standards, any incentives associated with wet waste processing will be rescinded and recovered, and the urban local body shall impose such administration charges and Compounding Fees as may be prescribed until such time as the wet-waste processing facilities become operational and compliant;

(8) The urban local body shall notify and update regularly,-

(a) standards of quality for in-situ/ on-site wet waste processing (including, construction, operations, management, residue and product) binding on all generator and all building plans and permissions shall be subject to adherence of such standards;

(b) approved technologies and detailed designs for in-situ processing of wet-waste, taking into consideration various environmentally, operationally and economically viable techniques and technologies available in the market, for facilitation and implementation of these rules. Provided that adopting any such, technology or vendor notified by the urban local body shall not be mandatory on generators;

(9) The waste management facilities or in-situ bulk waste generators of compost shall strictly adhere to the guidelines issued by Central Pollution Control Board (CPCB) from time to time;

(10) The urban local body shall phase out the use of chemical fertilizer in two years and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction;

(11) The urban local body shall facilitate processing of wet waste through dissemination of information relating to technology, engagement and integration of waste-pickers, awareness campaigns, education of generators, workshops *etc.*;

(12) The urban local body shall involve communities in waste management and promote home composting, bio gas generation, decentralized processing of waste at community level, subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility;

(13) Institutional arrangement for distribution of compost;

(a) urban local body and/or the Department of Urban Development shall co-ordinate with the respective concerned Department dealing with Fertilisers to set up a mechanism for the standards for compost generated, its distribution thereof, different schedule of rates for distribution to farmers and companies *etc.*;

(b) the waste processing facilities manufacturing compost shall after ensuring proper quality check provide a fraction of such compost, as decided by urban local body and/or Agent, to farmers of the neighbouring areas at subsidized rates as fixed by the urban local body and/or Department of Urban Development in consultation with concerned Department dealing with Fertilisers from time to time. The urban local body and/or Agent shall ensure that knowledge of availability of compost at subsidized rates is made easily available to the farmers of the region;

**(14) Specifications of in-situ/on-site wet waste processing facilities;**

(a) facilities shall accept, store and treat only segregated wet waste;

(b) facilities shall have a separate space on site for temporary storage of mixed solid waste that may be collected from the generators;

(c) all residual wet waste shall be temporarily stored at a designated place for delivery to the notified collection system, in closed receptacles with protection and measures against littering, spillage, scattering, nuisance to public, foul odour *etc.*;

(d) facilities shall have adequate infrastructure and utilities to ensure that there are no unsanitary and unhygienic conditions, nuisance to public or workers operating the facility;

(e) all facilities shall take appropriate measures to monitor the quality and quantity of wet waste received and the product (compost/gas) generated to reduce rejection, residue and amount of unprocessed waste;

#### **18. Processing of Non-Biodegradable Waste or Dry Waste,-**

(1) Bulk Generators of non-biodegradable waste shall set-up and maintain their own Material Recovery Facilities (i.e. sorting sheds) or give the residual waste to the waste collectors or Agency in accordance with any conditions laid down by the urban local body;

##### **(2) Integration of existing facilities,-**

(a) urban local body shall make efforts to register or authorize existing informal waste collection/ aggregation/ trading facilities operated by registered informal waste traders as MRFs subject to compliance with the provisions, standards and specifications relating to such facilities hereunder;

(b) seek to designate material recovery facilities as deposit centres for Domestic/Commercial Hazardous waste provided that a separate secure storage area is provided within such MRFs and the waste- pickers/ collection agencies managing/operating/working in such MRFs are given adequate training and equipment by the urban local body to handle such waste safely;

(3) The Authorized operator of all Material Recovery Facilities shall comply to the following:

(a) material recovery facilities will only accept segregated Non-Biodegradable Waste/ Dry Waste;

(b) material recovery facilities will not accept any mixed waste, biodegradable waste, Liquid Waste, E-Waste, Construction and Demolition Waste, Domestic/ Commercial Hazardous Waste etc. unless specifically notified by the urban local body after provision of separate adequate facilities for such categories of waste in accordance with the provisions, standards and specifications under these rules and other applicable Rules;

(c) material recovery facilities shall have adequate space and facilities for,-

(i) Accepting dry waste from collection vehicles/ waste-collectors/ agents;

(ii) Sorting, baling and temporary storage of dry waste;

(iii) Appropriate and separate receptacles for temporary storage of inert waste, non-recyclable waste, non-reusable waste and for other categories of waste for which facilities have been provided;

(iv) Transfer to secondary collection of inert, non-recyclable, non-reusable dry waste and for other categories of waste for which facilities have been provided;

(d) material recovery facilities shall have adequate facilities to ensure smooth functioning and to avoid unhygienic conditions;

(e) prevent nuisance to public or to waste-pickers/ workers within the facility, including sanitisation/disinfection and cleaning of MRFs, especially sections where Domestic/ Commercial Hazardous Waste is temporarily stored;

(f) material recovery facilities shall be constructed within delineated premises providing for a properly enclosed space in a manner to prevent scattering by stray animals or birds etc. and restricting access to registered waste-pickers/authorized individuals;

(g) waste-Pickers, informal waste traders or operators of any MRF shall ensure that all recyclable waste shall enter the recycling stream and that only inert, non-recyclable, domestic/ commercial hazardous and non-reusable waste shall be rejected from the facility and transferred to the secondary collection system for further processing or disposal;

**19. Processing of Non-Biodegradable Recyclable Waste,-**

The Non-Biodegradable Recyclable Waste shall be sent to Dry waste sorting centres / Material Recovery Facilities and thereafter to authorized recycling units. As far as possible the urban local body shall create institutional mechanism for segregated Non-Biodegradable Recyclable Waste to be sent directly by waste generators or urban local bodies and/or Agent to authorized recycling units;

**20. Processing of Non-Biodegradable Non- Recyclable Waste,-**

(1) The Non-Biodegradable that cannot be recycled in accordance with these rules and having calorific value exceeding 1500 kcal/kg shall be used for waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns;

(2) Every urban local body shall ensure that the menstrual and other sanitary waste stream within the territorial limits of its jurisdiction is disposed and processed through incineration;

**21. Processing of Hazardous (Domestic or Commercial)Waste,-**

Hazardous waste so collected from households, bulk waste generators, commercial establishments and/or industries shall be processed through TSDF (Treatment Storage Disposal Facility), incineration and/or any other suitable method as authorized by the urban local body or the Department of Urban Development;

**22. Processing of Construction and Demolition Waste,-**

The Construction and Demolition Waste shall be processed in accordance with C&D Rules 2016 and shall be transported to appropriate processing plants, sanitary landfills and/or other designated locations;

**23. Processing of Slaughterhouse Waste,-**

Waste generated from slaughterhouses, poultry and fish markets will be processed or disposed through rendering, composting, bio methanation, controlled incineration and burial where stipulated scientific standards are followed;

**24. Standards for processing and treatment of solid waste and landfill sites,-**

It shall be the duty of the urban local body to ensure that all waste processing facilities and landfill sites are designed and maintained as per provisions and standards prescribed under the Solid Waste Management Rules 2016 and guidelines issued by CPCB or State Pollution Control Board in this regard. Scientific processing and disposal may not be possible at the level of each urban local body, in that case arrangements for scientific processing and disposal can be taken up at regional or state level. The user charges collected under these rules may be used for funding such state level projects and its operation and maintenance cost;

**CHAPTER VI****OTHER OBLIGATORY DUTIES OF THE URBAN LOCAL BODIES****25. In addition to obligatory duties, every urban local body shall,-**

(a) provide adequate infrastructure facilities to enable citizens so that they may comply the provisions of these rules. In addition to waste collection services, litter bins, dry waste sorting centres, and composting centres shall be set up, wherever possible and essential, in consultation with local citizens;

(b) provide and maintain suitable community bins on public roads or other public spaces, as determined by the urban local body itself or through an Agency as an interim arrangement till urban local body make provision for collection at source or point-to-point collection at the required frequencies. Segregated waste shall be delivered by the concerned generators to such community bins, and thereafter collected by the urban local body. The urban local body and/or Agency shall ensure compliance of segregation and avoidance of public nuisance and health hazards from these community bins. Every community bin shall be separate for bio-degradable and non-bio-degradable waste;

Details of all such places including the arrangements and schedules of waste collection from such places shall be available at the public notice board in the office of urban local body and district NIC website. The urban local body and/or Agency shall ensure that at no point of time the community bins are overflowing or exposed to open environment and prevent their scattering by rag pickers, stray animals or birds *etc.*;

(c) facilitate information about composting as well as recycling of dry waste through composting centres and dry waste sorting centres listing them on district NIC web site;

(d) establish a system to recognise organizations of waste pickers /informal waste collectors and promote a system for integration of these authorized waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste. For establishment of the system the urban local bodies may consider to form Self Help Group of the informal waste pickers or waste collectors and issue identity cards for integrating them into the management of solid waste. The urban local body shall also endeavour to promote people/groups that are locally engaged in sanitation and cleanness drive and such person/groups should be integrated while enabling a clean environment;

(e) take action against the Transport Contractor and/or Agency/employees of urban local body, if any worker of the contractor/Agency/ or of urban local body mixes segregated waste at any point of collection or fails to pick up waste as per the specified time schedule;

(f) release publicly, the monthly data about the quantity of waste going to the different landfills and waste processing sites. Such information shall be available at the Office and on urban local body website/ district NIC website;

(g) take appropriate steps and discharge their statutory obligation in accordance to Para 7 of Schedule III of Biomedical Waste Management Rules 2016;

(h) have right to enter, at all reasonable times, with such assistance as it considers necessary, any place for the purpose of (i) performing any of the functions entrusted to him by urban local body or (ii) determine whether, and if so, in what manner, any such functions are to be performed, or whether any provisions of these Rules or other waste management rules notified have been complied with;

(i) provide and strengthen the system of Nuisance Detectors by providing suitable logistics support;

(j) designate officers under their control who shall be responsible for implementing the obligatory responsibilities of Urban Local Body specified under these Rules in accordance with the plans and time schedules for implementation. The specific plans and time schedules and achievements against the same along with reasons for short falls, if any, shall also be shared publicly by the official/authority of the urban local bodies. Supervisor, Sanitary Inspectors to have uniform and walkie- talkie or mobile based application to contact and coordinate the work;

(k) safai karmis/ waste pickers deployed by the urban local bodies or its authorised agency for door to door collection will be properly equipped with vehicle support/ hand cart/ tricycle to take the garbage to the compactor / secondary collection point, which should be within 2 to 3 kilometres from the primary collection point;

(l) ensure greater transparency and public accessibility, the urban local bodies shall provide all necessary information that is required to be publicized through district NIC website. Each household or establishment will be provided with name and number of safaikarmi and supervisor of that area;

(m) publicize the provision of the rules through the media of signs, leaflets, announcements through vehicles/ or through any other appropriate means, so that all citizens are made aware about the various provisions of these rules such as user charges, statutory duties (e.g. segregation and recycling of waste), anti-litter and anti-nuisance penalties and fines and other prohibitions;

(n) co-ordinate with other government agencies and authorities, to ensure compliance of these rules;

(o) ensure arrangements for regular cleaning at all the public roads, places, colonies, slums, markets and tourism places, parks of the urban local body, cremation grounds etc. and the urban local body shall be committed to collect and carry the garbage from these places door to door or from the nearest garbage bin/container/facility and transport it from there to the final disposal place in closed vehicles;

(p) utilize its own/outsourced/contract sanitation workers and vehicles in carrying out sanitation and solid waste management functions for full or partial daily cleaning work, so that the urban body is able to keep its area neat and clean in public interest;

(q) endeavour within a period of one year from the notification of these rules, to create on its own or through coordination create a system for disposal of dead animal in a scientifically created carcass handling plant incineration facility/plant in the district for such purpose;

(r) utilize the process of bioremediation/ phytoremediation / any other technology wherever necessary to treat contaminated media, including water, in drains, ponds, lake, soil and subsurface material;

(s) make procurements, establish primary/secondary storage facilities, create requisite infrastructure, employ work force for solid waste management within its territorial limits keeping in mind the increasing urban population growth rate of the State;

(t) strictly adhere to make adequate provision of funds for capital investments as well as operation and maintenance of solid waste management services in the annual budget ensuring that funds for discretionary functions of the local body have been allocated only after meeting the requirement of necessary funds for solid waste management and other obligatory functions of the local body as per these rules. Failure of authorities in adhering to this provision resulting into improper solid waste management and poor sanitation shall be considered as grave misconduct in discharge of duties by concerned officials/authorities of the urban local bodies and penal action shall be initiated against them under relevant rules by competent authorities;

(u) establish its own grievance redressal mechanism and make it widely known to the public, in order to manage the complete daily cleaning system of the city;

(v) establish a suitable mechanism for recognitions and reward those employees/ workers/ persons/ groups/ associations including other stakeholders that promote sanitation and better waste management practises in order to promote incentives and best practices;

(w) adopt a performance-based indicator for such recognition by promoting healthy competition among its employees and adopting an inter ward competition, a best ward and the employee/worker of the best ward may be suitably recognised and rewarded;

(x) suitably recognise healthy competition among its employees by adopting an inter ward competition each month for best ward and the best employee/ worker of the month thereof;

## CHAPTER VII

### STREET SWEEPING AND PUBLIC RECEPTACLES

#### 26. Street Sweeping,-

The urban local bodies shall ensure that,-

(a) street sweeping shall be done every day or twice a day in the case of commercial areas by the person assigned by it for street sweeping, cleaning of surface drains/ trenches abutting streets and related activities;

(b) personal protection equipment including helmet, uniform, florescent jackets, hand gloves, raincoats, appropriate footwear and masks etc. will be supplied as per requirement to all workers/sweepers handling solid waste within 90 days from the date of commencement of these rules;

(c) all safaikarmi (sweepers) employed by it shall be given two set of uniforms in a year by itself and the employees deployed through contract and service providers by the contracting agencies. The urban local bodies shall make provision of at least rupees two thousand (Rs.2000)



per such employee in its annual budget and it shall also incorporate such provision with its Agent engaged for providing contractual/outsourced manpower workers for sweeping/ handling of solid waste;

(d) segregate street sweepings into biodegradable, non- biodegradable and inert waste and storage of such segregated waste will be ensured by the persons engaged in street sweeping in accordance with rules;

(e) sweepers shall not burn solid waste, tree leaves collected from street sweeping and store them separately and hand over to the authorised person / agency;

## **27. Litter Bins/Receptacles**

The urban local body shall,-

(a) provide an adequate number of litter bins at proper and convenient locations and frequency on all public streets and in public places for the temporary deposit of litter etc;

(b) litter bins shall be determined having regard to density of residential population, extent of commercial activity and local situation in any public street or public place to avoid overflowing;

(c) ensure that litter bins are properly maintained in a usable condition and not overflowing or exposed to open environment, causing or likely to cause nuisance to the public and be prevented scattering thereof by animals or birds;

(d) provide suitable mechanism on daily basis for regular cleaning and removal of solid waste deposited in litter bins, either through its Door-to-Door Collection System or Point-to-Point Collection System or otherwise while ensuring that litter waste is not mixed with waste collected through the primary collection systems;

(e) ensure transportation of the waste deposited in litter bins or street sweepings, provide for transportation of,-

(i) biodegradable waste to a convenient Wet-Waste Processing facility;

(ii) non-biodegradable waste to a convenient Materials Recovery facility;

(iii) silt, dust, sand and other inert waste to the nearest Waste Management Facility, Transfer Station or Construction and Demolition Waste disposal or processing facility for transportation, disposal or processing;

(f) take all necessary and appropriate measures under these rules or any other law in force for reducing the incidents of littering including by way of providing additional litter bins, awareness campaigns, enforcement drives, and engagement of NGOs etc;

## **CHAPTER VIII**

### **WASTE PICKERS—RECOGNITION AND RIGHTS**

**28.** With the assistance of Urban Development Department, Labour Department and Department of Medical Health and Family Welfare, etc. of the state government, the concerned urban local body shall within six months of the notification of these rules ensure that,-

(a) identity cards are made for the waste pickers whether formally or informally engaged for the activities of solid waste management;

(b) all waste pickers shall be provided with suitable personal protective equipment including helmet, uniform, florescent jackets, hand gloves, raincoats, appropriate footwear and masks etc. while educating and facilitating them through various social safety schemes and private operators;

(c) benefit of various government schemes in co-ordination with other government departments shall be provided in order to implementing various schemes in relation to weaker section that may include but not limited to waste pickers, with a view to creating formal mechanism;

(d) implementing various schemes in relation to weaker section that may facilitate waste pickers,-

- (i) Free medical check-ups and inoculations are carried out at regular intervals and necessarily once every six months and undertake any other measure to minimise and eliminate health hazards to the waste pickers and their children;
- (ii) Basic health insurance cover to waste pickers and their children;
- (iii) High level of hygiene is maintained at the work site of waste pickers;
- (iv) Social protection and educational schemes targeting young people working at the dump sites are provided;
- (v) Financial inclusion for providing benefit of credit facility as per rules;
- (e) awareness campaigns for encouraging more positive public attitude towards waste pickers and for promoting segregation of recyclables;
- (f) any activity or scheme to uplift the socio-economic status and physical and mental well-being of waste pickers keeping in mind the environmental and economic value of their work shall be undertaken, adopted and implemented;

### CHAPTER IX USER CHARGES

#### 29. User charges,—

(1) Solid Waste Management Rules, 2016 as notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dated 8<sup>th</sup> April 2016 has prescribed for Urban Local Bodies, to implement the Solid Waste Management Rules, 2016 effectively and 15(f) of the rules defines the duties of urban local bodies as *“prescribe from time to time user fee as deemed appropriate and collect the fee from the waste generators on its own or through authorised agency”*. Accordingly, as per the provisions stated in SWM Rules 2016, the necessary action shall be taken by urban local bodies. The State Government is not fixing any user charges rates and decision regarding this will be taken later;

(2) The charges for door to door or point garbage collection as above shall be collected only by the authorized agents/person of the urban local body. The above rates shall be properly advertised by the urban local body/institution/person and the rates shall also be displayed on the Waste Management Vehicles. For ensuring transparency, the urban local body or its authorised Agency shall endeavour to establish mechanism of using hand held devise to collect user charges and penalty;

(3) If the waste material is not disposed by any person/party in a manner as prescribed under these rules and is not disposed on the designated sites, waste bins, litter bins, containers kept on the roads, parks or other such designated sites and is disposed elsewhere where waste disposal is prohibited, in such circumstances, fine/compounding charges shall be levied on the concerned person/party in addition to regular user charges;

(4) Penalty or User charges / Fees if not collected on the spot or monthly basis, will get added to the property tax bill of the household / establishment and shall be recovered accordingly;

(5) To promote in-situ /onsite waste management by bulk waste generators, urban local body may consider to provide incentives in user charges, however, the verification of onsite waste management practice adopted by such bulk waste generators shall be done in a well formulated transparent manner. Any

such proposal regarding incentives to bulk waste generators shall be communicated to the state government and only after the state government approval the benefit of such incentives shall be extended;

(6) The amount collected as user charges will be kept in a separate bank account and will be used exclusively only for waste management. The state government can issue directions for ensuring proper usage of this amount;

## CHAPTER X PROHIBITION AND OFFENCES

### 30. Littering in public place,—

No person shall throw, deposit or cause to be thrown or deposited any waste whether solid, semi-solid, liquid or solid including sewage and wastewater upon or in any public place, street, open spaces, drain or water bodies except in a manner provided for in these rules, or in any other rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986 or under any other law which may be in force;

*Explanation:* Every person shall ensure that any public place in front of or adjacent to any premises owned or occupied by him including footpath and open drain/ gutter is free of any waste whether liquid, semi-solid or solid including sewage and waste water and every such person shall provide an adequate number of litter bins within such premises and ensure that there are adequate connections for drainage of waste water into the public sewerage/ drainage system;

### 31. Littering on vacant plots,—

No waste generator or urban local body or Agency shall throw or deposit solid waste on any vacant plot. It shall be the duty of the owner or occupier of such vacant plot, government or privately owned, to ensure that the land is waste free;

### 32. Pollution by throwing articles in water bodies,—

No person shall throw any type of waste into any type of water body (natural or man-made unless specified for the purpose). For idol immersion where necessary, the Irrigation Department or Local Body may construct temporary pond with earthen bunds. Removable synthetic liners may be placed in the bottom of the pond which should be removed regularly as per Central Pollution Control Board guidelines. As an alternate measure make-shift bamboo structures can be erected near water bodies or any other place as decided by the urban local body from time to time where the public may deposit flowers, leaves, cloths, idols, ornaments and other Pooja articles that may then be further taken to processing facilities or recycling centres. Specific leaflets/posters, etc. for mass awareness be prepared and distributed;

### 33. Littering from vehicles,—

No person shall spit, throw or deposit litter upon any street, road, sidewalk, playground, garden, traffic island or other public/private place from any vehicle either moving or parked. No driver of vehicle shall allow or permit any passenger in such vehicle to spit, throw or deposit such waste in a like manner;

*Explanation:* No person shall drive or move any truck or other vehicle filled with litter unless such vehicles are so designed to cover the litter and loaded as to prevent any litter from being blown off or deposited upon any road, sidewalks, traffic islands, playground, garden or other public place;

### 34. Disposal of waste in drain,—

No person shall throw any waste in any sewer/drain/river/pond/water bodies/ storm water drains;

### 35. Litter by pets,—

Pet owners shall take full responsibility of keeping the roads litter-free by keeping the pets on leash while walking on the roads, carrying a bag with them to take the pet's faeces on the roads back home for disposal;

### 36. Sale, manufacturing and distribution of banned items,—

(1) No person shall indulge in any manner in manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of such disposable plastic carry bag and any such items (cups, glasses, plates spoons, tumblers, etc. made up of plastic or thermocol disposable after one time use) which has been restricted / banned in notification No: 1056/IX-7-18-29 (Lucknow)/18, Dated: July 15, 2018 under the Uttar Pradesh plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation) Act,2000 as amended from time to time;

(2) No person shall deposit or litter construction and demolition waste or any other type of waste in storm water drains, road pavements, open lands belonging to government or urban local body and/or on the sides of public roads;

(3) No Urban Local Body or waste management facility shall collect or transfer municipal solid waste in an open vehicle;

### **37. Sanitation,-**

No Person shall,-

(a) bathe, spit, urinate, defecate, wash vehicles/utensils, feed groups of animals/ birds or allow their droppings/poop or keep any type of storage or any other object in any public place except in such public facilities/conveniences specifically provided for any of these purposes;

(b) let the dirty water, mud, night soil, cow dung, urine, polluted water from their own house, organisation, commercial establishments to accumulate in their own compound nor let it flow on common streets in a way that the environment gets polluted by foul smell or poses a threat to public health;

### **38. Public gatherings,-**

No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any place without intimating the local body, at least three working days in advance. It shall be the duty of such person or organiser to ensure segregation of waste at source, handing over of waste to waste collector or agency as specified by the local body. Such person or organizer as well as all appurtenant local body shall ensure cleanliness of that area immediately after the event;

### **39. Refundable Cleanliness Deposit,-**

The Organiser of an event shall pay required deposit with the concerned office for the duration of the event, which shall be refundable on the completion of the event on notifying that the said public place has been restored back to a clean state, and any waste generated as a result of the event has been collected and transported to designated sites, to the satisfaction of official/authority concerned. The said deposit shall be only for the cleanliness of the public place and does not cover any damage to property;

### **40. Burning of waste,-**

Disposal by burning of any type of solid waste at road sides, or at any private or public property is prohibited. This prohibition shall be applicable to all persons including sweepers (Safai Karmacharis) or other employees of the urban local body, Contract Workers, waste- pickers or any other individual involved in the work of sweeping and cleaning of the roads and streets and other public places;

### **40. Prohibition for collection and throwing of waste,-**

(1) No person shall collect or throw waste water, muddy water, night soil, dung, excreta etc. from his/her building, institution or commercial establishment to pollute the atmosphere and ground with its stench and harm public health or obstruct traffic;

(2) If a person is found spreading pollution or filth in public open spaces etc. by throwing dead animal/cattle or its parts, shall be liable to pay the carrying other charges as may be levied by urban local body;

### **42. Duties of Urban Local Body and /or generators of waste in case of some specific violation,-**

(1) The urban local body may serve a notice on the owner or occupier of any premises requiring him/her to clear any waste on such premises in such manner and at such time as may be specified in the notice;

(2) If the owner or occupier on whom the notice has been served fails to comply within the stipulated period, such person shall be liable to pay penalty as may be determined by urban local body;

(3) If the owner or occupier on whom penalty has been served fails to comply within fifteen days, concerned urban local body to enter the said premises and clear the waste in accordance with the rules and recover from the owner or occupier the expenditure incurred in addition to the penalty imposed for causing dump;

**43. Provisions regarding segregation, delivery and collection violations**

No person shall,-

(a) deliver dry, wet or domestic hazardous waste that is not segregated and not stored in separate bins in the manner as specified;

(b) collect solid waste without proper registration or authorisation from the urban local body. Collecting waste by any vendor/hawker that is not registered and authorised by the urban local body is prohibited and no person shall cause hindrance in functioning of waste pickers deployed by the urban local body or its authorised Agency for regular door to door collection of solid waste;

(c) deliver construction and demolition waste that is not segregated in the manner as specified;

(d) deliver garden waste and tree trimmings that is not segregated in the manner as specified;

(e) deliver fish, poultry and meat waste that is not segregated in the manner as specified;

(f) no bulk waste generator shall store and deliver unsegregated waste in a manner contrary to that specified in these rules or Solid Waste Management Rules 2016, Biomedical Waste Management Rules 2016, Plastic Waste Management Rules 2016, Construction and Demolition Waste Management Rules 2016, Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and E-Waste Management Rules 2016;

(g) If a person or group of persons organizing a bhandara or langar do not provide bins for segregated waste at site, such person or group of persons shall be liable to be fined as per charges prescribed;

**44. Provisions regarding drains/sewers/soak pits,-**

No Person shall,-

(a) discharge or cause to be discharged domestic sewage/ sullage/ effluents from private drains/sewer lines to storm water drains, road, open lands, water bodies, water ways, agricultural land or any other non- designated locations;

(b) allow the inflow of any substance likely to injure the drain/public sewer-line, or to interfere with its flow;

(c) deposit or cause to deposit any substance in open drains and/or manholes, thus creating blockage/clogging in sewer lines. This provision is applicable to the urban local body's staff depositing street sweeping in the open drains, to deposit of sludge removed from septic tanks, construction and demolition waste by generators *etc.*;

(d) discharge or cause to be discharged industrial effluents or any other effluents particular to the activity of any industry, household industry, slaughter house and meat market, dairy and cattle sheds, workshop or garage into the public sewer/drains before necessary prescribed treatment;

(e) allow any employee/ contractor/ agent to engage in manual handling of septage, sewage or sludge without proper protective equipment and safety measures;

(f) discharge the effluents from de-sludging of septic tanks in water ways, drains, open land, agricultural field or any other non-designated spot, but shall discharge at the designated faecal sludge/ sewage treatment plants only or site prescribed by the urban local body;

(g) employ or engage a worker in sewage manhole without providing him necessary equipment for his safety and protection as prescribed under these rules or any prescribed rules/instructions issued by the urban local body;

(h) allow any water logging/ stagnation/ waste dumping/ unhygienic conditions/ insanitary conditions/ cracking etc. within their premises owned or controlled by them which may lead to or be conducive for vector breeding;

The urban local body should strive to treat the sewage generated in its area on permanent basis. Till above is achieved the urban local body should adopt bio-remediation/ phytoremediation/ constructed wetland technology/ any such technology and ensure that no untreated sewage waste in a drain reaches any river or water body;

The expenditure on solid waste management and liquid waste management will have first priority on funds available with the urban local body from different source like Central Finance Commission (CFC)/ State Finance Commission (SFC)/ any other fund;

**45. Other prohibited activities,-**

The following activities shall not be done,-

- (a) unsegregated biodegradable and other waste kept by any vendor/hawker at the site of vending;
- (b) if any person or bulk waste generator organizes an event or gathering of more than one hundred persons, keeps a place dirty or unclean after more than 4 hours of the end of event;
- (c) if individuals, households, societies and bulk waste generators residing outside the urban local body limit dump waste within the municipal area, such individuals, households, societies and bulk waste generators found dumping or depositing waste within the urban local body area shall be liable to be fined as per the charges prescribed;
- (d) If fringe and neighbouring villages/ gram panchayats outside the urban local body area dump waste within the area of the urban local body, such fringe and neighbouring villages/village gram panchayats shall be liable to be fined as per the charges prescribed;
- (e) remove without permission any infrastructure including vehicles, containers, push-carts, material recovery facilities and equipment provided by urban local body or any agency appointed by it under these rules;
- (f) dispose human or animal dead bodies in an improper way in rivers/ water reservoirs/ drains/catchments areas etc;

**CHAPTER XI**

**PENALTY AND SPOT FINE**

**46. Spot Fines,-**

- (a) nuisance Detectors or any employee/agent/ member of enforcement task force and other person authorised by the urban local body shall have the power to levy spot fines as per Schedule II for violations of these rules in relation to littering and /or creating public nuisance;
- (b) in case of non-payment of fine at the spot by any person, he/she shall be liable to be prosecuted under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986;

**47. Charges levied for contravention of these rules,-**

- (a) whosoever contravenes any of the provisions of these rules or fails to comply with the requirements made under any of these rules shall be liable to pay such fine as described in Schedule-II. These Penalties (under Schedule-II) shall be in addition to any other penal provisions enforced under any law or direction of competent authorities;
- (b) compounding charges: In the event of continuation of the breach of the provisions of these rules, the equal amount of charges for every day of default shall be levied or Rs.100/day, whichever is higher, in addition to original fine;
- (c) Any safaikarmi or supervisor if not provided with adequate equipment or where withal to ensure the above will not be penalised. The safaikarmi or supervisor shall place the demand of equipment etc with municipal commissioner/ executive officer within 60 days of notification of there rules. The urban local body shall provide the necessary equipment in 30 days of receipt of demand;
- (d) The urban local body shall take appropriate action including penalties, initiation of disciplinary action, deductions from salaries against the employees of urban local body, if any of them mix segregated solid waste at any point of collection or transportation, fails to pick up solid waste during the specified time-slots, or otherwise violate the provisions of these rules and SWM Rules 2016;

(e) In the event an Agency contravenes or fails to comply with any of the provisions of SWM Rules 2016 and/or these rules, the urban local body shall have the power to take any one or more of the following actions against the Agent,-

(i) Imposing suitable penalty against the Agency;

(ii) Termination of contract or arrangement with the urban local body for Solid Waste Management services including cancellation of the concession agreement;

(iii) Suspension or revocation of any license to operate any solid waste collection, transportation or processing facility under these rules, SWM Rules and/or applicable regulations;

(f) The urban local body shall be at liberty to initiate appropriate proceedings under any other law in addition to any action under these rules as the case maybe such as the Environment (Protection) Act 1986, the Indian Penal Code 1860, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 for violations of any provisions there under;

(g) All amounts collected as spot fines and charges by and on behalf of the urban local body under these rules shall be transferred to a separate bank account maintained for funds for Solid and liquid Waste Management. These amounts shall be used only towards the costs of the urban local body for providing solid and liquid waste management services under these rules;

(h) Penalty/spot fines are primarily intended to enforce the provisions made in these rules and thus it shall be read in addition to any other prevailing rules/acts/provisions made by State/Central government;

## CHAPTER XII

### MISCELLANEOUS

#### 48. Coordination with government departments/bodies,-

(1) The urban local body shall coordinate with other government agencies, departments and authorities to ensure compliance of these rules;

(2) In one-year time all urban local bodies to achieve 100% door to door collection of segregated waste;

(3) In one-year time all urban local bodies to ensure 100% processing of organic waste and recycling of recyclables;

(4) Review of implementation: The urban local body shall establish monthly Monitoring, Evaluation and Benchmarking verifiable targets that shall be published on its website/ district NIC website to ensure transparent governance;

(5) Review of Rules: The Urban Development Department shall review and assess if the provisions of these rules require any amendments or updating as and when necessary, in any case, at least once every three years or earlier if need arises;

(6) Power to remove difficulties: If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the Urban Development Department, by order, make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of these rules as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty;

(7) Repeal and Saving: Notwithstanding anything done or any action taken under the relevant rules, the rules shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

By order,

*Dr. Rajneesh Dube,*  
*Additional Chief Secretary.*

**Schedule I****CLASSIFICATION OF WASTE**

**Waste shall be classified as follows,-**

(1) **“Ashes”** shall consist of residues arising from the burning of wood, coal, charcoal, coke and other combustible materials used for cooking and heating in houses, institutions and small industrial establishments. This also includes fine powdery residue, cinders and clinker which are often mixed with small pieces of metal and glass;

(2) **“Bio-degradable waste/Wet waste”** means any organic material waste that can be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds within a reasonable time period and shall include waste such as Tea leaves, egg shells, fruit and vegetable peels, cooked food, plate waste, meat and bones, garden and leaf litter, flowers, animal litter, soiled paper, house dust after cleaning, coconut shells, ashes etc;

(3) **“Bio-medical waste”** shall consist of any waste, which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals or in research activities pertaining thereto or in the production or testing of biological materials or health camps, and as more particularly defined in the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 or any amendment thereto;

(4) **“Bulk Garden & Horticulture waste”** shall consist of bulk bio-degradable waste from public or private parks, gardens, traffic islands, Bungalows, Bulk Generators such as residential and commercial buildings, societies or other institutions having gardens or trees on their premises etc. and includes grass clippings, weeds, woody ‘brown’ carbon-rich material such as pruning, branches, twigs, wood chipping, straw or dead leaves and tree trimmings, which cannot be accommodated in the daily Door to Door Collection system for bio-degradable waste;

(5) **“Bulky waste”** shall consist of commercial/ residential waste which, by virtue of its mass, shape, size or quantity is, in the opinion of the urban local body or agency for collection of waste, inconvenient to be accommodated in the daily Door to Door Collection system provided by the urban local body i.e. furniture, T.V., freeze etc.;

(6) **“Combustible waste”** means non-biodegradable, non-recyclable, non-reusable, non-hazardous solid waste having minimum calorific value exceeding 1500 kcal/kg and excluding chlorinated materials like plastic, wood pulp, etc.;

(7) **“Commercial waste”** shall consist of wastes generated from offices, wholesale and retail stores, restaurants, markets, warehouses and other commercial establishments engaged in any commercial activities. These wastes include garbage and rubbish;

(8) **“Commercial or Domestic Hazardous waste”** shall consist of waste contaminated with hazardous chemicals or infectious waste generated at the household or individual level including but not limited to the following,-

(a) **Household cleaners,-**

- Abrasive powders
- Ammonia and ammonia based cleaners
- Chlorine bleaches
- Drain Openers

(b) **Automotive products,-**

- Brake and Transmission Fluids
- Car Batteries
- Fuels such as spent diesel, kerosene and gasoline
- Waste Engine and Lubricating Oils
- Oil Filters and Car Care Products and Consumables

(c) **Paint products,-**

- Enamel
- Oil based, Latex or Water Based Paints
- Paint Solvents and Thinners
- Oils, Glues and their empty containers



(d) **Bio-medical waste**,—As specified under Biomedical Waste Management Rules 2016 including discarded and out dated medicines and cytotoxic drugs, liquids and tablets; injection, needles, syringes, scalpels, blades and other sharps that may cause puncture or cuts including both used and unused sharps; thermometers and mercury containing products; items contaminated with blood and bodily fluids including cotton, dressings, soiled plaster casts, lines, beddings or other material contaminated with blood; tubes, catheters, IVs *etc.*;

(e) **Miscellaneous products**,—

- Cosmetic products
- Batteries and button cells
- Photographic audio/video tapes and their containers and chemicals
- Acid used for toilet cleaning
- Pesticides, Herbicides and Ant, Cockroach and Mosquito Killers and their empty cans
- Chemical Fertilizers
- Light Bulbs, Tube lights and Compact Fluorescent Lamps (CFL)
- Aerosol cans
- Styrofoam and soft foam packaging

(9) **"Construction and Demolition Waste (C&D Waste)"** means the waste resulting from construction, remodelling, repair, renovation or demolition of structures or from land clearing activities, trenching or de-silting activities. "Structures" for the purposes of this definition means buildings of all types (both residential and non-residential), utilities, infrastructure facilities and any other type of man-made structure. Construction and demolition waste includes, but is not limited to bricks, concrete, rubble and other masonry materials, soil, trees, any type of vegetation, rock, wood (including painted, treated and coated wood and wood products), land clearing waste, wall coverings, plaster, drywall, plumbing fixtures, non-hazardous insulation, roofing, waterproofing material and other roof coverings, asphalt pavement, glass, plastics, paper, gypsum boards, electrical wiring and components containing no hazardous materials, pipes, steel, aluminium and other non-hazardous metals used in construction of structures. Provided however construction and demolition waste shall not include (even if they result from construction, remodelling, repair, renovation or demolition of structures or from land clearing activities) any hazardous waste as defined under the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016 or E-Waste as defined under the E-Waste Management Rules, 2016;

(10) **"Dead animals"** shall consist of bodies and remains of animals that die naturally or are accidentally killed. It shall not include carcass and animal parts from slaughter houses, butcher shops, meat markets etc;

(11) **"Slaughter house/ mutton/ chicken waste"** shall consist of the waste generated at slaughter houses, meat, fish and chicken stalls and outlets;

(12) **"E-waste"** means waste electrical and electronic equipment, whole or in part, discarded as waste by the generator as well as rejects from manufacturing, refurbishment and repair processes and as may be defined in the E-Waste Management Rules, 2016 amended from time to time;

(13) **"Hazardous wastes"** shall consist of any waste which by reason of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive characteristics causes danger or likely to cause danger to health or environment, whether alone or when in contact with other wastes or substances and includes the hazardous waste defined in the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016 or any amendment thereof;

(14) **"Household / Residential waste"** shall consist of the wastes generated from single and multi-family household units as a consequence of household activities or as a product of domestic household activities such as cooking, cleaning, repairs, hobbies, decoration, empty containers, packaging, clothing, books, writing papers, newspapers, furnishings, television, bulbs, tube lights *etc.*;

(15) “**Industrial wastes**” shall consist of discarded solid materials of manufacturing processes and industrial operations covering a vast range of substances which are unique to each industry. It shall also include the solid wastes from small industrial plants and ash from power plants which are frequently disposed at municipal landfills;

(16) “**Inert waste**” shall consist of any solid waste or remnant of processing whose physical, chemical and biological properties make it suitable for sanitary land filling;

(17) “**Institutional wastes**” shall consist of wastes arising from institutions such as schools, colleges, public libraries, universities, religious institutions, research organizations etc.;

(18) “**Liquid waste**” shall consist of sewage liquid waste and seepage waste;

(19) “**Municipal wastes**” shall consist of waste resulting from activities and services of the Municipal authority and also includes wastes thrown on public places such as street waste, dead animals, market waste *etc.*;

(20) “**Non-Biodegradable Waste/ Dry Waste**” means the garbage or waste made up of non-biodegradable material and not capable of being degraded by micro-organisms or biological natural process into simpler stable compounds within a reasonable time period, which remain in the environment for long periods of time or as may be prescribed by any law in force, and includes recyclable waste, non-recyclable waste and combustible waste but excludes inert street sweepings;

(21) “**Plastic Waste**” means any product made of plastic which has been discarded after use or after their intended life is over and as may be prescribed under the Plastic Waste Management Rules, 2016 and the Uttar Pradesh Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation) Act 2000 as amended in 2018;

(22) “**Pooja Articles**” means any biodegradable or non-biodegradable item, idol or paraphernalia used in worship of any culture or religion;

(23) “**Recyclable waste**” means any waste material which is recyclable in nature, including but not limited to the following wastes,-

(a) “**Paper products**”- Newspaper, computer printouts, writing paper, envelopes, car park coupons, brochures or pamphlets, magazines, books, cardboard and paper packaging (such as cereal boxes and drink cartons) paper food wrappers and other paper products;

(b) “**Metal products**”- Cans or containers made of metal such as soft drink cans, milkpowder tins and food cans;

(c) “**Plastic & rubber products**”- Bottles or containers made of plastic such as detergent containers, milk containers, mineral water bottles, soft drink bottles, juice bottles, plastic packaging and other plastic products but excluding Styrofoam, disposable cutlery, crockery and polythene carry bags;

(d) “**Glass products**”- Jars, bottles, window glass, porcelain, ceramic and fish tanks but excluding light bulbs;

(e) Textiles, Leather, Rexene;

(f) Wood products;

(24) “**Residual Waste**” means and includes the waste and rejects from material recovery, solid waste recycling, treatment or processing facilities which are not suitable for recycling or further processing and which are suitable for land filling;

(25) “**Sanitary Waste**” shall consist of used Sanitary Napkins, Towels, Tampons, Condoms, Diapers and incontinence pads/sheets and any similar waste;

(26) “**Solid waste**” means and includes solid or semi-solid waste including sanitary waste, commercial/ residential/ institutional waste, catering and market waste and other non-residential wastes, street sweepings, silt removed or collected from the surface drains, horticulture waste, agriculture and dairy waste and treated bio-medical waste excluding industrial hazardous waste, untreated bio-medical waste, battery waste, radio-active waste and e-waste generated or brought within the limits of the urban local body;

(27) “**Street sweeping**” shall consist of wastes collected from streets, walk ways, alleys, parks and vacant plots;

**Schedule II****Penalty/Spot Fines Charges for offences/violations.**

	Specific Offences	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population $\geq$ 6 Lacs)	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population < 6 Lacs)	Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area	Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area
--	-------------------	--	---	--	--

**Penalty/Spot fines provisions for littering/creating nuisance/clean aangan violation for every instances/act shall be levied as following :-**

1	Dump, deposit, discharge, spill or release waste, or cause or permit such waste, to be dumped, discharged, spilled or released, whether or not the waste is in a container or receptacle, in or at any public or private place except in a container or at a place which has been specially indicated, provided or set apart for such purpose. For this purpose of these rules, public or private place includes but not limited to the following:				
a.	any occupied, open or vacant land, playground and gardens;	Rs. 500	Rs. 400	Rs. 300	Rs. 200
b.	on the bank of a water body or into water body like rivers, waterways, catchments, sewers, storm water drains including throwing or depositing "pooja articles";	Rs. 750	Rs. 500	Rs. 400	Rs. 300
c.	Public street or private street or on any unoccupied ground alongside any street, road side walk, road dividers etc.;	Rs. 500	Rs. 400	Rs. 300	Rs. 200
d.	Educational Institutions, hospitals and other healthcare institutions, religious places, heritage buildings;	Rs. 750	Rs. 500	Rs. 400	Rs. 300

	Specific Offences	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population $\geq$ 6 Lacs)	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population < 6 Lacs)	Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area	Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area
2	Willfully place, deposit or allow to be placed or deposited on his/her premise/property any kind of waste rubbish, filth etc. to accumulate for more than twenty-four hours.	Rs. 500	Rs. 400	Rs. 300	Rs. 200
3	throw or deposit waste on any public or private road or on any public or private premises within the urban local body limits while driving a vehicle, or from a parked vehicle or while being conveyed in a vehicle. No driver of vehicle shall allow or permit any passenger in such vehicle to spit, throw or deposit such waste in a like manner.	Rs. 1000	Rs. 750	Rs. 500	Rs. 350
4	a. Indulge in the production, distribution, storage and sale of banned plastic, thermocol or any such items responsible directly or indirectly for damage of public health or-such items the use of which has been restricted /banned under these rules, central or state rules and regulations.	As per provisions of penalty/spot fines prescribed under notification No. 1056/IX-7-18-20(Lucknow)-18 dated; July 15, 2018 under the Uttar Pradesh plastic and other Non-Biodegradable Garbage (regulation) Act, 2000 as amended in 2018.			
	b. use of banned plastic, thermocol or any such items responsible directly or indirectly for damage of public health or-such items the use of which has been restricted/banned under these rules, central or state rules and regulations.				

	Specific Offences	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population $\geq$ 6 Lacs)	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population < 6 Lacs)	Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area	Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area
5	Spit, urinate, defecate, leave/deposit food items in order to feed animals in a manner amounting to littering.	Rs. 250	Rs. 150	Rs. 100	Rs. 50
6	Burn/bury, attempt to burn/bury or abet the burning/burying of any kind of waste or dispose of any type of waste at road sides, dump sites or any public/private property by burning/burying. This prohibition shall be applicable to all person including sweepers (Safai Karmacharis) or other employees of the urban local body, Contract Workers, waste- pickers or any other individual involved in the work of sweeping and cleaning of the roads and streets and other public places.	Rs. 2000	Rs. 1500	Rs. 1200	Rs. 1000
7	Drive or move any uncovered truck or other vehicle filled with waste/litter.	Rs. 2000	Rs. 1500	Rs. 1200	Rs. 1000
8	Litter the roads/parks/public place by allowing their pets to defecate in any public place. (Note; In case of any defecation, the owner shall take the pet's faeces on the roads back home for	Rs. 500	Rs. 300	Rs. 200	Rs. 100

	Specific Offences	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population ≥6 Lacs)	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population <6 Lacs)	Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area	Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area
	disposal by flushing it through sewerage otherwise penalty shall be levied.				
9	Deposit or litter C&D waste or any other type of waste in storm water drains, road pavements, open lands belonging to Government or urban local body and/or on the sides of public roads.	Rs. 3000	Rs. 2500	Rs. 1500	Rs. 1000

**[Provisions regarding segregation delivery and collection violation by waste generators]**

10	Delivering un-segregated dry, wet and domestic hazardous waste and not stored in separate bins. (the penal amount will be charged per month in addition to the user charges prescribed per month from waste generators)	Rs. 200 per month	Rs. 150 per month	Rs. 100 per month	Rs. 50 per month
11	Delivering unsegregated C&D waste (for each such violation) by C&D bulk waste generators	Rs. 2000	Rs. 1200	Rs. 750	Rs. 500
12	Delivering unsegregated garden waste and tree trimmings. (for each such violation)	Rs. 200	Rs. 100	Rs. 75	Rs. 50
13	Delivering unsegregated fish, poultry and meat waste. (the penal amount will be charged per month in addition to the user charges prescribed per month from waste generators).	Rs. 750 per month	Rs. 500 per month	Rs. 300 per month	Rs. 150 per month

	Specific Offences	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population $\geq$ 6 Lacs)	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population <6 Lacs)	Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area	Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area
14	Storage and delivery of unsegregated waste by any Bulk Waste Generator. (the penal amount will be charged per week in addition to the user charges prescribed per month from waste generators).	Rs. 1000 per week	Rs. 750 per week	Rs. 500 per week	Rs. 350 per week
15	Collecting waste without registration and authorisation from the urban local body.	Rs. 500 per offence	Rs. 400 per offence	Rs. 300 per offence	Rs. 200 per offence

**[Provisions regarding drains/sewers/soak pits]**

16	Discharge or cause to be discharged domestic sewage/sullage/ effluents from private drains/sewer lines to storm water drains, road, open lands, water bodies, water ways, agricultural land or any other non-designated locations.	Rs. 500	Rs. 300	Rs. 200	Rs. 100
17	Allow the inflow of any substance likely to injure the drain, or to interfere with its flow to the public sewer-line.	Rs. 500	Rs. 300	Rs. 200	Rs. 100
18	Deposit or cause to deposit any substance in open drains and/or manholes, thus creating blockage/clogging in sewer lines. This provision is applicable to the urban local body's staff depositing	Rs. 1000	Rs. 750	Rs. 500	Rs. 350

	Specific Offences	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population ≥6 Lacs)	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population <6 Lacs)	Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area	Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area
	street sweeping in the open drains, to deposit of sludge removed from septic tanks, C&D Waste by generators etc.				
19	Discharge or cause to be discharged industrial effluents or any other effluents particular to the activity of any industry, household industry, slaughter house and meat market, dairy and cattle sheds, workshop or garage into the public sewer before necessary prescribed treatment.	Rs. 5000	Rs. 4000	Rs. 3000	Rs. 2000
20	Allow any employee/ contractor/ agent to engage personal in handling of waste, seepage, sewage and sludge without proper safety equipment.	Rs. 5000	Rs. 4000	Rs. 3000	Rs. 2000
21	Allow any water logging/ stagnation/ waste dumping/ unhygienic conditions/ insanitary conditions/ cracking etc. within their premises owned or controlled by them which may lead to or be conducive for vector breeding.	Rs. 5000	Rs. 4000	Rs. 3000	Rs. 2000



	<b>Other Specific Offences</b>	<b>Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population <math>\geq</math>6 Lacs)</b>	<b>Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population &lt;6 Lacs)</b>	<b>Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area</b>	<b>Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area</b>
<b>[Other specific offences]</b>					
22	Unsegregated bio-degradable and other waste kept by any vendor/hawker at the site of vending.	Rs. 25 per day	Rs. 20 per day	Rs. 15 per day	Rs. 10 per day
23	If any person or bulk waste generator organizes an event or gathering of more than one hundred persons, keeps a place dirty or unclean after more than 12 hours of the end of event.	Forfeiture of cleanliness deposit	Forfeiture of cleanliness deposit	Forfeiture of cleanliness deposit	Forfeiture of cleanliness deposit
24	If individuals, households, societies/colonies/ and bulk generators residing outside the urban local body limit dump waste within the municipal limits.	Rs. 1000 for each day violation+ Cost of cleaning the waste by urban local body.	Rs. 750 for each day violation+ Cost of cleaning the waste by urban local body.	Rs. 500 for each day violation+ Cost of cleaning the waste by urban local body.	Rs. 250 for each day violation+ Cost of cleaning the waste by urban local body.
25	If fringe and neighbouring villages/village gram panchayats outside the urban local body limit dump waste within the city limits.	Rs. 1000 for each day violation+ Cost of cleaning the waste by urban local body.	Rs. 750 for each day violation+ Cost of cleaning the waste by urban local body.	Rs. 500 for each day violation+ Cost of cleaning the waste by urban local body.	Rs. 250 for each day violation+ Cost of cleaning the waste by urban local body.
26	Damaging or removing without permission any infrastructure including vehicles, containers, bins, push-carts, material recovery facilities and equipment provided by urban local body or any agency appointed by it under these rules.	Rs. 2000 +Cost of restoring/ repairing/ replacement due to the damage/ removal	Rs. 1500 +Cost of restoring/ repairing/ replacement due to the damage/ removal	Rs. 1000 +Cost of restoring/ repairing/ replacement due to the damage/ removal	Rs. 500 +Cost of restoring/ repairing/ replacement due to the damage/ removal

	Other Specific Offences		Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population ≥6 Lacs)	Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population <6 Lacs)	Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area	Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area
27		Disposal of human or animal dead bodies in an improper way in rivers/ water reservoirs/ drains/catchments areas etc.	Rs. 3000	Rs. 2000	Rs. 1000	Rs. 500
28		If a person or group of persons organizing a <i>bhandara</i> or <i>langar</i> do not provide bins for segregated waste at site.	Rs. 2000	Rs. 1500	Rs. 1200	Rs. 1000

By order,  
SANJAY KUMAR SINGH YADAV,  
*Special Secretary.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 373 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(859)-599 प्रतियां-(कम्प्यूट र/टी/आफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० नगर विकास-2020-(860)-100 प्रतियां-(कम्प्यूट र/टी/आफसेट)।